खण्ड-459, अंक-2
शुक्रवार, 22 वैशाख, शक संवत् 1928
(12 मई, 2006 ई0)

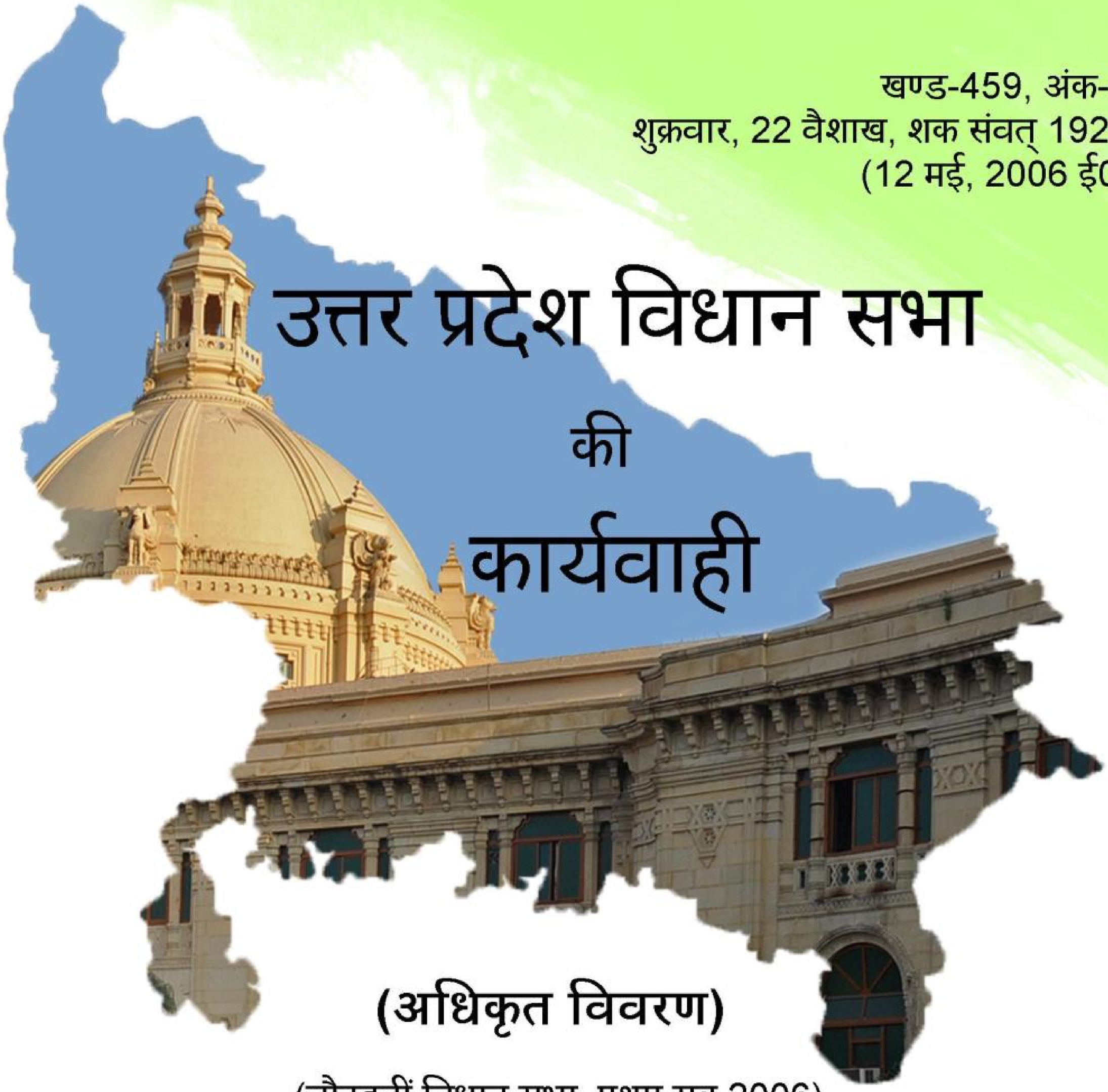

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2006)

खण्ड 459 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
विभिन्न विषयों से सम्बन्धित नियम 311 की सूचनाओं को पहले सुने जाने की मांग	1-2
प्रश्नोत्तर	2-11
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	12-13
वाराणसी शहर में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति करने एवं रात्रिकालीन कटौती बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	13-14
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद हरदोई में बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत म्योढ़ा भदार रोड पर गम्भीरी नदी पर पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	14
जनपद सन्त कबीरनगर के ब्लाक पौली में तिलकपुर गांव के पास बने घाघरा नदी के बांध को कटान से बचाने के लिये नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	15
जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
जनपद बरेली में परियोजना अधिकारी वैकल्पिक ऊर्जा द्वारा श्री रमेश चन्द्र गुप्ता को सोलर सिंचाई पम्प आवंटित किये जाने के प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15-16
जनपद जालौन में सीजनल संग्रह अमीनों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	16
मण्डी परिषद् में मण्डी शुल्क में बढ़ोत्तरी के साथ आढ़तिया कमीशन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	16-17
इलाहाबाद में गंगा नदी के बेसिन में जल प्रवाह कम होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	17
जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के ग्राम पचदेवरा में चकबन्दी प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच पर पुनः चक निर्धारण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	17-18
जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत समग्र विकास योजना/अम्बेडकर विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में अपेक्षित कार्य योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	18
शाहजहांपुर मोहम्मदी मार्ग पर हथौड़ा व महमदपुर के बीच पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	18-19

विषय	पृष्ठ-संख्या
मेरठ नगर निगम द्वारा जनरेटरों के माध्यम से नगर की जलापूर्ति व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	19
जनपद सीतापुर में विकास खण्ड ऐलिया के काजी कमालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	19
जनपद जौनपुर में बयालसी में सई नदी पर प्लाटून ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	19-20
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	20
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में पदासीन प्रमुख सचिव के अतिरिक्त एवं अन्य प्रमुख सचिव की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	20-21
मंत्रि-मण्डल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के विपरीत प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के बीच शीतयुद्ध चलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	21-24
मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में हैण्ड पम्प स्थापना का कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	24-29
दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा आजमगढ़ में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिलान्यास एवं लोकार्पण किये जाने की सूचना विधान सभा सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी) ...	29-30
दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को लोक निर्माण मंत्री द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य में उल्लिखित कार्यों का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	30
दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा आजमगढ़ में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिलान्यास एवं लोकार्पण किये जाने की सूचना विधान सभा सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	30
संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के रूप में नामित होने के बावजूद कोई बैठक न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	30-32
तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णयों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	32-33
दिनांक 11 मार्च, 2006 को पारित बजट में गृह विभाग का बजट साहित्य अभी तक न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	33
संग्रह अमीनों के विधान भवन के समक्ष दिये जा रहे धरने की ओर ध्यान आकर्षण	33
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	33-46
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	46
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	46-56

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में गरीब किसानों की फसल दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने विषयक श्री कौशल किशोर द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा ...	56-63
प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तरीके से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियां अपनाने तथा कृषकों को उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को डा0 अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी किये गये चर्चा का स्थगन ...	64
भारत सरकार की एन0 यू0 आर0 एम0 योजना में प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मथुरा तथा मेरठ में सीवेज उत्सर्जन की शत प्रतिशत शुद्धि हेतु प्राथमिकता के आधार पर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने, जिससे नदियों का जल पीने और सिंचाई के लिये उपयोगी हो सके, के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ...	64-86
मद संख्या 12 एवं 13 को पहले लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	86
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	86-88
जनपद एटा स्थित बी0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लाखों लीटर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	88
विधायक निधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव (जारी)	88-89
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांग का विवरण (प्रस्तुत किया गया)	89
विधायक निधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव	89-92

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 12 मई, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-290

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमाशंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
काशीराम, श्री	रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रभु नारायण, श्री — चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
फागू, श्री — मऊ
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री — जालौन
बाबू लाल, श्री — गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री — बांदा
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री — बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री — मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
राजा राम, श्री — प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राज अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-, परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन),
सिंचाई मंत्री (डा0 मेराजुद्दीन), तथा
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विभिन्न विषयों से सम्बन्धित नियम-311 की सूचनाओं को पहले सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्य के पुत्र के सम्बन्ध में जो सूचना आयी है उसको आप नियम-56 में पहले नंबर पर ले लें।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मेरी एक नियम-311 में सूचना है उसको आप नियम-56 में ले लीजिए।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 की सूचना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जब सारे नियम शिथिल हो जाते हैं, जब कोई चारा नहीं रहता है तो नियम-311 होता है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। मेरे क्षेत्र में 2 घंटे बिजली मिल रही है और वह भी 3-4 दिन पर आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों ने और अन्य माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सूचना दी है। सबको संकलित करके उस पर मैं चर्चा कराने पर विचार कर रहा हूं। अलग-अलग समय देने की कोई बात नहीं है, तमाम सूचनायें बिजली की हैं, आप अकेले नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों ने नियम-56 में सूचना दिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने नियम-51 में दिया है और कुछ ने 301 में दिया है। मैं सबको संकलित करके उस पर चर्चा कराने पर विचार कर रहा हूं। आप बैठ जायं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मैंने अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना दी है। बहुत गंभीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

जब इस पर चर्चा होगी तो आप अपनी बात करियेगा। आपकी सूचना नियम-311 में स्वीकार नहीं हुयी है इसलिये आपको इस पर बोलना नहीं चाहिये। आपकी बात लिखी नहीं जायगी।

श्री अध्यक्ष-

बिजली के सम्बन्ध में तमाम माननीय सदस्यों की सूचनायें आयी हैं। उस पर समय निर्धारित कर रहा हूं और उस पर चर्चा होगी। तो फिर अब इसका क्या औचित्य है।

(अल्पसूचित तांराकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम इकबाल सिंह-

बहुत महत्वपूर्ण समस्या है।

(खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा अन्य सूचित तांराकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर पढ़ने हेतु खड़े होते ही श्री राम इकबाल सिंह अपनी सूचना को सुने जाने की मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष-

कौन सी बात है कि नियम-311 में सुन लिया जाय। यह अच्छी बात नहीं है। आप सीनियर सदस्य हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपकी सूचना क्षेत्र में चली गयी है आप अपने स्थान पर आइये। माननीय हरीश जी, माननीय सुखदेव राजभर जी की सूचना है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने 301 में इस सम्बन्ध में सूचना दी है। श्री श्यामदेव राय चौधरी की भी सूचना है इसीलिये मैंने सबको जोड़कर चर्चा कराने की बात की है। इस पर चर्चा हो जाय जिससे सभी माननीय सदस्य बोल लें। आप अपनी बात अकेले कर रहे हैं। जब चर्चा होगी तो आप अपनी बात कह लीजियेगा।

(मा0 नेता विरोधी दल एवं श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर श्री राम इकबाल सिंह अपने आसन पर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गेहूं खरीद का निर्धारित लक्ष्य

**1-डा0 अजय कुमार-

क्या खाद एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान रबी, 2006 में गेहूं खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं 30 अप्रैल, 2006 तक कितने गेहूं की खरीद सरकारी एजेन्सियों द्वारा की जा चुकी हैं ? क्या यह सही है कि पिछले वर्षों के सापेक्ष इस वर्ष गेहूं की खरीद कम हो रहीं है ? यदि हां, तो कम गेहूं खरीद के क्या कारण हैं ? निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गेहूं खरीद हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)-

वर्तमान रबी विपणन वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा राज्य पूल के लिए 25 लाख मी0टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय पूल के लिए 2 लाख मी0 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दिनांक 30 अप्रैल, 2006 तक प्रदेश की विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा राज्य पूल के लिए 21074 मी0 टन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1894 मी0टन, कुल 22968 मी0टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।

जी हां।

वर्तमान रबी विपणन वर्ष 2006-07 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 650/- प्रति कुन्तल से गेहूं का बाजार भाव अधिक होने के कारण किसान राज्य सरकार की एजेन्सियों को अपना गेहूं बेचने के लिए आकर्षित नहीं हो रहे हैं। यद्यपि भारत सरकार द्वारा रु0 50/- प्रति कुन्तल बोनस की घोषणा भी की गयी है फिर भी गेहूं का बाजार भाव अधिक होने के कारण कृषक अपना गेहूं सरकारी क्रय एजेन्सियों को देने हेतु प्रोत्साहित नहीं हो रहे हैं।

जी हां।

किसानों की सुविधा के लिये 20 हजार रुपये तक के गेहूं का बियरर चेक से भुगतान किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त किसानों से उनका गेहूं उनके दरवाजे से क्रय किये जाने हेतु सचल केन्द्रों की भी व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जीं, अभी सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में माना है कि वर्तमान में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 650/- प्रति कुन्तल है वह बाजार भाव से कम है। सरकार ने 50 रुपये बोनस के रूप में बढ़ाये हैं लेकिन फिर भी गेहूं कृषक अपना गेहूं देने के लिये प्रोत्साहित नहीं हो रहे हैं। आज बाजार में देखा जाय तो गेहूं का दाम साढ़े 8 सौ रुपये प्रति कुन्तल है और केन्द्र सरकार चाहती है कि गेहूं के दाम साढ़े 6 सौ रुपये दिये जायं। जो बोनस प्रति कुन्तल 50 रुपये घोषित किया गया है उसको मिलाकर 700 रुपये प्रति कुन्तल पर सरकार गेहूं की खरीद करना चाहती है। मेरा यह कहना सामयिक होगा कि केन्द्र सरकार साढ़े 9 सौ रुपये प्रति कुन्तल विदेशों से गेहूं आयात करना चाहती है लेकिन अपने प्रदेश और देश के किसानों को वह 700 रुपये प्रति कुन्तल गेहूं का मूल्य देना चाहती है। यह केन्द्र सरकार की एक बहुत बड़ी किसान विरोधी नीति है। केन्द्र सरकार की इस किसान विरोधी नीति के विरोध में यह आग्रह करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

डॉ0 अजय कुमार-

केन्द्र सरकार की इस किसान विरोधी नीति से किसानों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। केन्द्र सरकार की मंहगे दामों पर गेहूं आयात नीति के विरोध में एवं देश के किसानों को वाजिब लाभकारी मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में किसानों का जमावड़ा हुआ था जिसमें देश के बड़े-बड़े किसान नेता इकट्ठे हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जो

अपने किसानों से कम दाम पर गेहूं खरीदना चाहती है और विदेशों से अधिक दाम पर गेहूं खरीदना चाहती है यह एक गलत नीति है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करें। नीति के बारे में बहस क्यों कर रहे हैं ?

डॉ0 अजय कुमार-

इस वर्ष हमारे प्रदेश में गेहूं की उपज भी बेहतर रही है। पिछले वर्ष जहां 225.14 लाख मी0टन गेहूं का उत्पादन हुआ था वहीं इस वर्ष लगभग 233.97 मी0टन गेहूं के उत्पादन की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न नहीं कर रहे है।

डॉ0 अजय कुमार-

गेहूं की कमी नहीं है। यह नीति का सवाल है। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रदेश सरकार केन्द्र से 50 रुपये जो बोनस देने की घोषणा हुई है तो इस बोनस की राशि को बढ़ाकर 200 रुपये किसानों को दिलाने पर केन्द्र सरकार से अनुरोध करने पर विचार करेगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

अध्यक्ष जी यह सदन अवगत है कि केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इसके पूर्व मैंने और स्वयं मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर यह अनुरोध किया था कि यह राशि बहुत कम है। इस राशि पर गेहूं की खरीद नहीं हो सकती है। बार-बार मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। केन्द्र सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए अगर वह नहीं बढ़ते हैं तो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जहां तक किसानों की उपज का वाजिब मूल्य मिलने की बात है तो किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य बाजार द्वारा मिल रहा है। लेकिन जहां तक खरीद की बात है तो ज्यादातर योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं तो उनकी यह जिम्मेदारी है वह गेहूं का भण्डारण करें हम कम कीमत पर जबरदस्ती तो किसानों से खरीद कर नहीं सकते हैं। केन्द्र सरकार उन योजनाओं को चलाने के लिए हमें खाद्यान्न उपलब्ध कराए। जहां तक मंहगा गेहूं आयात करने की बात है उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं कि यह गलत हो रहा है यह नहीं होना चाहिए। जिस मूल्य पर गेहूं आयात हो रहा है वही मूल्य अगर हम अपने किसानों को दें तो हमें बाहर से गेहूं खरीदना नहीं पड़ेगा और यहां के किसानों को लाभ भी होगा।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी मेरा, प्रश्न यह है अगर सरकारी केन्द्रों से गेहूं की खरीद नहीं होगी तो गेहूं का भण्डारण नहीं होगा और अगर भण्डारण नहीं होगा तो जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं उन योजनाओं में अन्न उपलब्ध नहीं होगा। भण्डारण में एक निश्चित कोटा आपका भी है तो उसको पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

अध्यक्ष जी, मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूं मूल्य केन्द्र सरकार तय करती है। जब बाजार में साढ़े आठ से नौ रुपये प्रति किलो गेहूं खरीदा जा रहा है तो हम कैसे यह उम्मीद करें कि कोई साढ़े छः, सात रुपये में हमें गेहूं देगा। यह सम्भव नहीं है। जहां तक हुकुम सिंह जी का प्रश्न है प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लिखा गया है कि हमें अपनी योजनाएं संचालित करने के लिए गेहूं प्रदान करें। क्योंकि योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं तो दायित्व भी उनका बनता है। मूल्य भी उन्हीं का निर्धारित किया है। हमने मूल्य बढ़ाने के लिए बार-बार लिखा है। मुख्य मंत्री जी ने भी उनसे भेंट की है इसके बावजूद मूल्य नहीं बढ़ाया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

वैकल्पिक योजना आपकी क्या है। अगर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गेहूं भण्डारण नहीं किया और केन्द्र से गेहूं न मिला ऐसी स्थिति में क्या होगा ? क्योकि अनेकों योजनाएं प्रदेश सरकार की भी हैं। तो प्रदेश सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह अपने गरीब आदमियों का पेट भरे। आपने केन्द्र को लिखकर भेज दिया। आप भी यहां सरकार के रूप में बैठे हैं। इस सरकार की जिम्मेदारी यह है कि जितने भी बी0पी0एल0 के पात्र लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं जो इस भाव पर अनाज नहीं खरीद सकते हैं उनको अनाज देने की आपकी क्या योजना है ? आपने कहा कि आपने केन्द्र सरकार को लिखा है केन्द्र सरकार को सिर्फ लिखने से ही काम नहीं चलेगा। प्रदेश सरकार को इस बारे में व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि आपने इस बारे में कोई वैकल्पिक योजना बनाई है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

इस बारे में केन्द्र सरकार को सिर्फ लिखा ही नहीं गया है बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वार्ता भी की है ऐसा नहीं है कि झूठी चिट्ठी ही डाल दी। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे। इसके साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में चावल की मात्रा आपको बढ़ा देगें। मान्यवर, जो मजबूरी है वह सबके सामने है, उसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहने से कोई फायदा नहीं है। किसानों को उसकी उपज मूल्य का लाभ मिलना चाहिए हम उनसे कोई जबरदस्ती खरीद करने नहीं जा रहे हैं। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि जो गेहूं हम बाहर से मंगायेंगे वह आपको उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको तो स्टेट गवर्नमेंट ही चलायेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं है इसलिए यह मान लिया जाय कि यह कि यह जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, वह बन्द कर दी जायेंगी, इनमें राशन नहीं मिलेगा। हमारे पास स्टाक नहीं है तो कहां से लायेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा बाहर से 1350 रुपये में गेहूं खरीद की बात हो रही है, तो वह यहां पर किस भाव में पड़ेगा ? कितनी सब्सिडी देंगे ? मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है और इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। आखिर गरीब आदमी का क्या होगा ? अभी 12-14 रुपये किलो

आटा बिक रहा है, यह 20 रुपये तक हो जायेगा तो क्या हालत होगी उस आदमी की जो 50 रुपया रोज कमाता है। उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है ? माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह लगा कि सरकार द्वारा इस पर कोई चिन्तन नहीं हुआ। मान्यवर, इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1 के अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष-

जा रहे हैं तो पीछे मुड़कर नहीं बोलना चाहिए। पहले बोल देना चाहिए था। अब जाइये।

श्री राम नरेश यादव-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। इतना जरूर आश्वस्त किया है कि जो केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, प्रदेश में कभी बाढ़, कभी सूखा जैसी दैवी आपदाएं आती रहती हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिये केन्द्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 700 कर दिया है। हम जानते हैं कि जिस भाव में बाजार में गेहूं मिल रहा है उतना तो प्रदेश सरकार नहीं कर पायेगी लेकिन अपने स्तर से विशेष व्यवस्था करके किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

प्रदेश सरकार के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं कि 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ा सके। यह केन्द्र सरकार के सोचने की बात है। 950 रुपये में बाहर से मंगा रहे हैं और इतना किसानों को नहीं दे सकते हैं। इससे स्पष्ट हैं कि केन्द्र सरकार किसान विरोधी है। मैंने और प्रदेश सरकार ने बार-बार केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। दाम वह तय करते हैं और यह हर बार होता है, इसी बार की बात नहीं है हर वर्ष धान या गेहूं कर खरीद रेट वही तय करते हैं। हमने इसको गम्भीरता से लिया है और दो बार केन्द्र सरकार के साथ मुख्य सचिव और माननीय शिवपाल सिंह जी ने बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। हम बराबर नजर रखे हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि गरीबों के लिये जो भी खाद्यान्न योजनाएं हैं उनसे वे वंचित न हों। जो लाभ की योजनायें हैं वह चलती रहें। माननीय टण्डन जी ने कहा कि दुकानें बंद हो जाएंगी, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है।

श्री रामस्वरूप सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो थोड़ी बहुत व्यवस्था है उसमें दोष है। जैसे गरीबों को आधे दाम पर गेहूं बांटने की व्यवस्था है उसमें गांव के गरीबों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है। जो आप बांटते हैं, गरीबों को मजदूरों को 35 रुपये प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीदना पड़ रहा है। तमाम तेल ब्लैक में बिक रहा है। गरीबों को मिट्टी का तेल नहीं पहुंच पा रहा है। आप इसके लिए प्रयास करें योजना को मजबूती और ईमानदारी के साथ पालन करायें। आप अपने विभाग के लोगों को इस बात के लिए सचेत करें। खासतौर से बिजनौर जिले की बात बता रहा हूं 30-35 रुपये प्रति लीटर मिट्टी का तेल बिक रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न तो यह गेहूं खरीदारी का है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सत्र में एक स्थायी तौर पर क्रय केन्द्र और एक स्वचालित केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। दोनों केन्द्रों पर किसान का गेहूं खरीदने की व्यवस्था है। मजबूरी आपने सिद्ध किया कि बाजारों में एक रुपया ज्यादा मिल रहा है आपके केन्द्रों पर कम आ रहा है तब भी आपके केन्द्रों पर किसानों ने गेहूं बेचा है। चाहे दस पैसे का हानि लाभ रहा हो। आज भी किसान चाह रहा है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आज भी किसान विचौलियों के बीच में जाकर क्वालिटी और क्वान्टिटी के प्रति ठगे जा रहे हैं। किसानों का शोषण हो रहा है। किसान आपके केन्द्रों पर गेहूं बेचना चाहता है लेकिन आपके केन्द्र बहुत कम खुले हैं जिलों में। फारमेल्टी के तौर पर कोई बैठ गया चाहे जिन संस्थाओं द्वारा परचेज कराया जा रहा हो, आपकी कोई संस्था नहीं चल रही है न केन्द्र है। किसान तैयार है चाहे दस रुपया कम मिले तो भी सरकारी क्रय केन्द्रों पर बेचेगा जो केन्द्र आपने बतायें हैं वह संचालित नहीं है जो संचालित नहीं है केवल कागजों में दिखाए हैं तो क्या मंत्री जी इसकी उनकी जांच करायेंगे ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

माननीय अध्यक्ष जी सबसे पहले बताना चाहूंगा कि दस रुपये का प्रश्न नहीं है डेढ़ सौ से दो सौ रुपये प्रति कुन्तल किसानों के लिए बड़ी रकम होती है। माननीय राजभर जी वरिष्ठ सदस्य हैं अगर आपके संज्ञान में है केन्द्र पर कायदे से काम नहीं हो रहा है कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं या कोई किसान बेचने गया उससे दुर्व्यवहार किया गया है तो वह बता दें। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा हमारा प्रयास होगा जो केन्द्र खुले हैं वह ठीक तरह से संचालित हों। विभाग और सरकार गम्भीर हो। आपको कहीं की विशेष जानकारी हो आप उपलब्ध करा दें। अलग-अलग एजेंसी के अलग केन्द्र खुले हैं वह मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं।

डॉ0 अजय कुमार-

मैं पुनः चाहूंगा और आश्वासन चाहूंगा कि आप आज ही केन्द्र सरकार से 200 रुपये प्रति कुंतल बोनस की मांग का अनुरोध कर लें।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मैं आज ही केन्द्र सरकार से 200 रुपये प्रति कुंतल दाम बढ़ाने का अनुरोध आज ही कर लूंगा।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने एवं मा0 सदस्य डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल के उपस्थित न रहने पर)

डॉ लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी रुचि है।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम हेतु टीकाकरण किये जाने की नीति

**2-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण किये जाने की कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है तथा उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां।

सरकार द्वारा वर्ष 2006 में प्रदेश के जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित अति संवेदनशील जनपदों में 1 से 15 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण कराये जाने की नीति है। टीकाकरण का कार्य माह मई, 2006 में दो चरणों में लागू कराये जाने की योजना है-- प्रथम चरण में जनपद गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर तथा द्वितीय चरण में जनपद खीरी, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीरनगर में टीकाकरण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि जापानी इन्सेफलाइटिस बीमारी एक जानलेवा बीमारी है। पिछले वर्ष इस बीमारी से लगभग 1500 मौतें हुई थीं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या आगामी सीजन में, क्योंकि जब बरसात शुरू होगी, तब उसके बाद इस बीमारी का प्रकोप शुरू होगा। जैसा मंत्री जी ने बताया कि सरकार ने इसके लिए नीति बनाई है कि इसे दो चरणों में लागू करने की योजना है। प्रथम चरण में जनपद गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर तथा द्वितीय चरण में जनपद खीरी, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीरनगर में टीकाकरण कराया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, विधान सभा में भी मैंने प्रश्न किया था, इसके अलावा भी अनेकों जनपद ऐसे हैं, जहां मस्तिष्क ज्वर से मौतें हुई हैं, क्या सरकार इन्हीं जनपदों के बारे में चिन्ता करेगी, जो पिछले वर्ष प्रभावित थे या प्रभावित होने वाले हैं या इसके अलावा भी अन्य जनपदों के लिए भी कोई नीति बनाई है और सरकार का टीकाकाण का कितना लक्ष्य है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जापानी इन्सेफलाइटिस से पिछले वर्ष मौतें हुई हैं और इसके अतिरिक्त कुछ लोग विकलांग हुए हैं, वह मात्र इन जनपदों में नहीं हैं, जिनका उल्लेख किया गया है। मैं यह सूची आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि अन्य जनपदों में जो प्रभावित संख्या है, वह इसके मुकाबले में नगण्य है और सर्वाधिक प्रभावित जनपद जो थे, उनमें सघन तरीके से लागू करने के लिए यह योजना बनाई है कि पहले इनको कवर कर लें उसके बाद बाकी अन्य जनपदों में भी आवश्यकतानुसार वैक्सीन भिजवायेंगे। लेकिन उन जनपदों के बारे में कहना चाहता हूं जो सर्वाधिक प्रभावित जनपद हैं। जहां तक आपने पूछा है कि कितने टीकाकरण का लक्ष्य है, टीका लगाये जायेंगे, उसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं, जो कहा था, जनपद खीरी को द्वितीय चरण में मैंने लिया था लेकिन आज जब आपके सामने उत्तर दे

रहा हूं, अब खीरी के लिए प्रथम चरण में ही टीका उपलब्ध हो गया है, वह दिल्ली आ गया है और करनाल के लिए भेजा जा चुका है, वहां से वापस आने के बाद उपलब्ध हो जायेगा। 15 लाख गोरखपुर, 8.5 लाख महाराजगंज, 11 लाख देवरिया, 11.5 लाख कुशीनगर और 11 लाख टीकों की व्यवस्था खीरी के लिए की गई है। यह टीके प्रथम चरण के लिए प्राप्त हुए हैं और द्वितीय चरण के लिए जब प्राप्त होंगे तब उसके लिए व्यवस्था करायेंगे।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन टीकों को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रीजरेटर चाहिए, जहां बिजली की हालत खराब है, जहां बिजली नहीं होगी, तो जो इस समय आप टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू करायेंगे, क्या इनको महानगरों में ही रखेंगे ? गोरखपुर जनपद सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, वहां पर 12 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आती है तो इन टीकों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों और जिला चिकित्सालयों में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई नीति बनाई है कि मेडिकल कालेजों और सभी जिला चिकित्सालयों पर इसकी व्यवस्था रहे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, गौर साहब ने जो बात कही है कि इनको ठण्डे में रखना होगा, बात सच है, इस टीके के प्रभावी बने रहने के लिए कोल्ड चेन टूटनी नहीं चाहिए और इसके लिए 8 डिग्री से प्लस-माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए। यह कोल्ड चेन टूटने न पाए, इसके लिए हमने तो व्यवस्था की ही है, चीन से टीका की यह खेप दिल्ली में उतरी है और दिल्ली से करनाल को यह टीके भेजे गये हैं, जहां इनकी रिपैकेजिंग होनी है और भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। यह चीन से आयात हो रहे हैं और भारत सरकार ने इसका प्रबन्ध करनाल में किया है, वहां पर इसकी रिपैकिंग होगी। वह करनाल में पहुंच गया है। खीरी में 6 लाख डोजेस सीधे एयर ड्राप होंगी। वहां से सीधे लखनऊ एयरपोर्ट आएगा और वहां से खीरी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। बाकी गोरखपुर से प्रत्येक स्थान पर 2-2 सौ किलोमीटर पर उसकी मानीटरिंग कर रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत न हो सके और बिजली के संकट की जो आपने बात कही है इसको ध्यान में रखते हुए प्रमुख सचिव, ऊर्जा को इस बारे में सूचित किया गया है कि जिन जनपदों के यह कोल्ड चेन बनाए रखनी है वहां पर बिजली की उपलब्धता वह बनाए रखें। अगर फिर भी कहीं पर बिजली की व्यवस्था में कमी होती है तो वहां पर टीकों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जनरेटर और डीजल की व्यवस्था कर दी गयी है। इसके लिए डाक्टरों की भी व्यवस्था कर दी गयी है और डाक्टरों की छुट्टियां निरस्त कर दी गयी हैं। प्रत्येक घण्टे इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह कोल्ड चेन किसी भी हालत में टूटने न पाये और हम इस कोल्ड चेन को अंतिम स्थान पर जहां हम टीकाकरण करेंगे क्योंकि इस्तेमाल के समय दो घण्टे के बाद यह टीका लगाने योग्य नहीं रह जाएगा। सिरिंज की अलग व्यस्था है। इस प्रकार से यह पूरी व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से इन जनपदों में सभी जगहों पर कर ली गयी है। बाकी जनपदों के लिए गोरखपुर को मुख्यालय बनाकर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद जो अन्य जिले प्रभावित होंगे वहां पर अलग से टीके पहुंचाये जाएंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि दो चरणों में टीकाकरण की योजना लागू कर रहे है। प्रथम चरण पूरा करने के बाद दूसरे जनपदों को लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि जो डोजेस की संख्या बतायी है तो इसके निर्धारण का तरीका क्या है ? किसने तय किया है ? अगर वह डोजेस जनपद में पूरा नहीं होता है तो दूसरे चरण में भी वहां पर डोजेस लगाएंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जहां तक डोजेस के आगणन का प्रश्न है यह पिछले वर्ष का आंगणन है। उसी आंगणन के हिसाब से एक अनुमानित संख्या हमने तय की है और जापानी इंसेफेलाइटिस के विस्तार के जो कारण हैं जैसे सुअर इसका वाहक है और एक विशेष प्रकार का मच्छर है जिसके काटने से यह होता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका आगणन किया गया है। एक बार जहां पर हम वैक्सीनेशन कर देंगे तो अगर वहां पर कमी रह जाएगी तो उसे आगे पूरा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर यह टीके लगने शुरू हो जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे और जहां आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर पूरा करेंगे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में विस्तार से बताया है। मैं केवल एक बात यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि मई प्रथम चरण में टीकाकरण शुरू कर देंगे। आज 12 मई है। एक सप्ताह के भीतर यह टीके जनपद तक पहुंच जाएंगे। प्रथम चरण में जितने टीके लगाने और जितनी डोजेज का आंकलन किया जायेगा, यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जायेगा और दूसरा चरण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रथम चरण की जो बात चलायी गयी है, जितने जनपदों का प्लान था उसके अतिरिक्त खीरी को ले लिया गया है। एक सप्ताह में यह पहुंच जायेगा और टीकाकरण प्रारम्भ हो जायेगा। इसके कारण पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्लान बना हुआ है। यह एक सप्ताह में प्रारम्भ हो जायेगा। हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी यह हो जाय, हो जाय। जहां तक एक्जेट तिथि बताने की बात है तो यह अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि इसके संचरण का समय जो है वह अगस्त है, जुलाई में बरसात होती है तब यह नहीं शुरू होता उसके बाद शुरू होता है, इसके पूर्व दूसरा प्लान कम्प्लीट कर लेंगे। प्रथम चरण मई में पूरा कर लेंगे।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मस्तिष्क ज्वर से बचने के लिए औषधियुक्त मच्छरदानियां होती हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए खरीदी गयी थीं लेकिन उनका वितरण नहीं किया गया, तो क्या इनका आंकलन करके वितरण किया जायेगा, और कब तक किया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, औषधियुक्त मच्छरदानियां देने की कोई योजना नहीं है। लेकिन एक दूसरी योजना है कि मच्छरों का घनत्व कम हो सके। इसके लिए हमने प्रबन्ध किया है और दो तरह का प्रबन्ध किया

है। एक तो हम बाहर फागिंग करा रहे हैं और दूसरा इन्डोर की भी व्यवस्था हमने करा रखी है। यह केमिकल पहुंच चुका है जिससे उनका समुचित घनत्व कम किया जा सके। औषधियुक्त मच्छरदानियां देने का कोई प्राविधान नहीं है और आंकलन करके सभी को उपलब्ध कराना संभव भी नहीं हो पायेगा। अगर गौर साहब को आवश्यकता होगी तो इस पर हम विचार कर लेंगे।

डॉ0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि द्वितीय चरण में किन-किन जनपदों का चयन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

यह उत्तर में आ चुका है आप उसमें देख लीजिए। अभी तक आप कहां थे ?

डॉ0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें जनपद पीलीभीत है कि नहीं यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में दिया गया है। द्वितीय चरण में संत कबीरनगर, खीरी और सिर्द्धाथनगर है, जनपद पीलीभीत इसमें शामिल नहीं है।

डॉ0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, यह तराई की बेल्ट में आता है। पीलीभीत में बहुत से मस्तिष्क ज्वर के केस पाये गये। प्रथम चरण में जब आप लखीमपुर खीरी को शामिल कर लिये हैं तो द्वितीय चरण में पीलीभीत का चयन कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

आवश्यकता होगी तो विचार कर लेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो इन्फेक्शन मंत्रीगण फैला रहे हैं उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल पर पहले असर न हो जाय इसलिए पहली इनकी व्यवस्था कर दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो मंत्रीगण के अत्यधिक सम्पर्क में हैं उन्हें यह इन्फेक्शन लग सकता है। इन बीमारी का निदान होना जरूरी है।

डॉ0 विनोद तिवारी-

कौन-कौन मंत्री हैं मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 मई, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है। (श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा सूचना पढ़ी गई) दूसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की है। तीसरी सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर) चौथी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है। पांचवीं सूचना श्री राम करन आर्य की है। छठवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की है। सातवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है (माननीय सदस्या का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर) आठवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की है। नौवीं सूचना डॉ0 अरूण कुमार मेहरोत्रा की है। दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है। ग्यारहवीं सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर आप अपनी सूचना पढ़ना चाहते हैं तो पढ दें।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ी गयी)

श्री अध्यक्ष-

बारहवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की है।

श्री बीजू पटनायक-

मान्यवर, मैं भी अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप भी अपनी सूचना पढ़ दें।

(श्री बीजू पटनायक द्वारा अपनी सूचना सदन के समक्ष पढ़ी गयी।)

श्री अध्यक्ष-

तेरहवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की है। चौदहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है। पंद्रहवीं सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

चूंकि श्री मदन गोपाल वर्मा सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनकी सूचना के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री राम हेत भारती की सूचना को ले लिया गया है तथा श्रीमती विद्या चौधरी भी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनकी सूचना के स्थान पर अस्वीकार सूचनाओं में से श्री जगदीश नारायण राय की सूचना को ले लिया गया है।

जिन माननीय सदस्यों ने अपनी सूचनायें सदन के समक्ष नहीं पढ़ी हैं, उन्हें पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं--

1-श्री घूरा राम

2-डॉ0 पूर्णमासी देहाती

3-डॉ0 विनोद तिवारी

4-श्री सुन्दर सिंह

5-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय

6-श्री दुर्गा प्रसाद यादव

7-श्री कौशल किशोर

8-श्री रंगनाथ मिश्र

9-श्री आर0 एस0 कुशवाहा

10-श्री मुंशीलाल गौतम

11-श्री रमेशचन्द्र बिन्द

12-श्री प्रागी लाल अहिरवार

13-श्री मदन चौहान

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

वाराणसी शहर में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति करने एवं रात्रिकालीन कटौती बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

वाराणसी जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर में अन्य अनेकों जिलों की तुलना में बेहद अन्धाधुन्ध कटौती की जा रही है। लो-वोल्टेज की समस्या के कारण शहर में लगे हुए नलकूप नहीं चल पा रहे हैं जिससे नलकूप पर आधारित क्षेत्र के लोगों में पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। प्रायः दिन में 9 से 10 बजे के बीच में कटौती प्रारम्भ होती है जो शाम को 5-6 बजे तक जारी रहती है इसके बाद बिजली आती है तो स्थानीय कटौती शुरू हो जाती है जिससे उद्योग धन्धे सभी चौपट हो रहे हैं और लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जब जल संस्थान पानी की आपूर्ति शुरू करता है तो बिजली न रहने से जनता मोटर पम्प द्वारा पानी नहीं उठा पा रही है जिससे लोगों में बेहद कष्ट है। बनारस को 20 घन्टे बिजली की आपूर्ति निश्चित है लेकिन आपूर्ति के आंकड़े के अनुसार 9-10 घन्टे से अधिक बिजली नहीं मिल पा रही है। आपूर्ति के बीच में ट्रीपिंग कई बार हो जाने से भी विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत विद्युत सुदृढ़ीकरण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहे हैं जिससे 132 के0वी0 तथा 33/11 के0वी0 सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का लाभ अभी बहुत दूर की बात है। यह भी खेद का विषय है कि कई जिलों में चौबीसों घन्टे तथा कई जिलों में 21 घन्टे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है और रात्रिकालीन कटौती होती नहीं है। जिससे लोग कम से कम रात को इस भीषण गर्मी में शान्ति से सो पाते हैं। वाराणसी को

नियमानुसार रोस्टर के मुताबिक 20 घन्टे की आपूर्ति किये जाने एवं रात्रिकालीन कटौती पूरी तरह बन्द किये जाने की मांग करता हूं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पूर्व मार्गों की दशा काफी दयनीय हो गयी है, जैसे ग्राम बड़गहन से ग्राम वरिता दयालपुर तक नहर के पटरी मार्ग, दोवगांव-जिवली मार्ग से ग्राम पारा मार्ग, शारदा सहायक नहर से ग्राम बकेस मार्ग, भीरा लालगंज मार्ग से ग्राम गोड़उर मार्ग, जिवली-दोवगांव मार्ग, मेहमाजपुर बाजार से दुहुरू मार्ग आदि तमाम पुराने सम्पर्क मार्गों पर मरम्मत के नाम पर बजट स्वीकृत होने के बाद भी कार्य नहीं कराया जा रहा है, बल्कि मरम्मत के पैसे को लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा हड़प लिया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा विरोध करने पर विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारी सीधे कहते हैं कि इसी तरह कार्य होगा। इस बात को लेकर जनता में काफी असंतोष व्याप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराने की मांग करते हुए जर्जर मार्गों की यथाशीघ्र विशेष मरम्मत की भी मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई में बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत भ्योढ़ा भदार रोड पर गम्भीरी नदी पर पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[हरदोई जनपद आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत् चयनित है इस जनपद की 74 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में गम्भीरी नदी बहती है। भ्योढ़ा भदार रोड जोकि राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत थी, का निर्माण भी हो चुका है इसी रोड पर भदार व श्रीमऊ गांव के मध्य गम्भीरी नदी पूरे बेग से 12 मास पानी से बहती रहती है जिससे क्षेत्र की लाखों लाख जनता की आवागमन में इतनी कठिनाई रहती है कि जनता का इस रोड से निकलना कठिन हो जाता है। इसलिये इस नदी पर भदार और श्रीमऊ के मध्य पक्के पुल का निर्माण होना अतिआवश्यक है। इस पुल के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता व जनप्रतिनिधियों में समय-समय पर धरना प्रदर्शन आन्दोलन करके पुल निर्माण कराये जाने की मांग की है परन्तु अभी तक पुल स्वीकृत न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर भ्योढ़ा भदार रोड पर भदार व श्रीमऊ के मध्य गम्भीरी नदी पर शीघ्र पक्का पुल आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सन्त कबीर नगर के ब्लाक पौली में तिलकपुर गांव के पास बने घाघरा नदी के बांध के कटान से बचाने के लिए नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[मेरे विधान सभा नगर दो जनपदों बस्ती, सन्तकबीरनगर जनपद में पड़ता है सन्तकबीरनगर के पौली ब्लाक में घाघरा नदी के तट पर तिलकपुर गांव बसा है। तिलकपुर गांव से सटकर घाघरा नदी का बांध बना है पिछले बरसात में घाघरा नदी काटती हुई बांध के पास तक चली गयी है मात्र 50 मीटर बांध से नदी के कटान की पिच की दूरी रह गई है पहले चपेट में बरसात में बांध नदी के कटान से कट जायेगी। बांध के कटने का परिणाम होगा कि तिलकपुर गांव साथ ही साथ दसियों गांव कटान में बिलीन हो जायेंगे और पूरा इलाका तबाह हो जायेगा, इसलिए बरसात के पहले बांध न कटने पाये सिचांई विभाग के द्वारा व्यवस्था होना चाहिए।

अतः इस अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में इस समय बिजली की आपूर्ति मात्र 3 से 6 घन्टे ही हो रही है। जबकि सिकन्दरपुर तहसील एवं नगर पंचायत मुख्यालय है। कभी-कभी तो एक-एक सप्ताह बिजली नहीं आती है जिससे नगर में पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण सिकन्दरपुर की मात्र 3 से 4 घन्टे ही बिजली मिल रही है। किसानों के मड़ाई के सीजन एवं नगर पंचायत में पानी की आपूर्ति को देखते हुए कम से कम 12 घन्टे बिजली दिया जाय।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

जनपद बरेली में परियोजना अधिकारी वैकल्पिक ऊर्जा द्वारा श्री रमेश चन्द्र गुप्ता को सोलर सिंचाई पम्प आवंटित न किये जाने के प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)-

[विधान सभा क्षेत्र आवंला जनपद बरेली के श्री रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री श्रीराम गुप्ता निवासी ग्राम बेहटा जुनू क्षेत्र पंचायत मझगवां ने सोलर सिंचाई पम्प योजना के अन्तर्गत सोलर सिंचाई पम्प को आवेदन किया था। परियोजना अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा बरेली ने इनका आवेदन स्वीकार करते हुये लाभार्थी अंश 70 हजार रुपये जमा करा लिये और बोरिंग भी कराने का आदेश दे दिया। श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने नियमानुसार बोरिंग भी करा लिया। सोलर सिंचाई पम्प की लागत 3 लाख 10 हजार रुपये की है। इसमें भारत सरकार द्वारा किसान को 2 लाख 40 हजार रुपये का अनुदान

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जा रहा है। श्री रमेश गुप्ता ने परियोजना अधिकारी के आदेशानुसार 17 दिसम्बर, 2004 को 70 हजार रुपये जमा कर दिये। इनके नाम की सूची लखनऊ भेज दी गयी अन्य नामों के साथ इन्हें सोलर सिंचाई पम्प स्वीकार हो गया। परियोजना अधिकारी बरेली ने नियमों की अवहेलना करते हुये प्रलोभन वश इनका नाम काटकर श्रीमती मुन्नी देवी का नाम लिख दिया सोलर पम्प श्रीमती मुन्नी देवी को दे दिया। श्रीमती मुन्नी देवी से 11-3-2005 को धन जमा कराया। जबकि श्री रमेश चन्द्र गुप्ता का धन 17 दिसम्बर, 2004 को जमा हुआ था, नियम भी है कि पहले आओ और पहले पाओ। यहां विभाग ने उल्टा किया, देर में आओ और पहले पाओ। इस मामले की गम्भीरता से जांच होनी चाहिये कि बाद में जिसका रुपया जमा हुआ उसे पहले क्यों दिया गया। परन्तु खेद का विषय है कि विकास के कार्यों में सरकार उदासीन है।

अतः नियम-301 के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि श्री रमेश गुप्ता को सोलर सिंचाई पम्प अविलम्ब दिया जाय और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।]

जनपद जालौन में सीजनल संग्रह अमीनों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[जनपद जालौन में सीजनल संग्रह अमीनों को विनियिमितीकृत नहीं किया गया है जबकि अन्य जनपदों में शासनादेश सं0-3073/1-7/2004-42-2002 लखनऊ दिनांक 17-12-04 में निहित प्राविधानों के अनुसार एक वर्ष पूर्व विनियमितीकृत किया जा चुका है। इस प्रकरण में सीजनल संग्रह अमीन संगठन तथा जिलाधिकारी प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट श्री पी0 सी0 तिवारी के मध्य एक समझौता 29-01-06 को कलेक्ट्रेट उरई में हुआ था जिसमें 20-2-06 का नियमानुसार रिक्त पदों पर विनियमितीकरण करने का आश्वासन दिया गया था। किन्तु इस पर कोई भी अमल न किये जाने से अमीन पुनः आक्रोशित हैं।

उपरोक्त प्रकरण मा0 सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मण्डी परिषद् में मण्डी शुल्क में बढ़ोत्तरी के साथ आढ़तियां कमीशन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरीवाले)-

[वर्ष 1964 में मंडी परिषद् की स्थापना के समय में मंडी शुल्क 0.5 प्रतिशत व आढ़तियां कमीशन 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। सरकार द्वारा समय-2 पर मंडी शुल्क को विभिन्न चरणों में परिवर्तन कर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया जिसमें 2 प्रतिशत मंडी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत विकास शुल्क है लेकिन मंडी परिषद् द्वारा आढ़तियों के कमीशन में 40 वर्ष के उपरान्त भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है जबकि 40 वर्ष के अन्तराल में विद्युत बिल दुकानों के किराये, ट्रान्सपोर्ट, नौकरों की तनख्वाह एवं सभी वस्तुओं पर मंहगाई लगातार बढ़ रही है आढ़तिया कमीशन 6 प्रतिशत होना चाहिये।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद में गंगा नदी के बेसिन में जल प्रवाह कम होने के सम्बन्ध में नियम-301 मे अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

समय की विडम्बना है कि "सदा नीरा" गंगा भी बूंद-बूंद पानी को तरस रही हैं। देश की सभी प्रमुख नदियों में गंगा बेसिन में सबसे कम जल प्रवाह रह गया है, यह अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। देश के प्रमुख नदियों के बेसिनों में मौजूदा भण्डारण में गंगा में 8.61%, सिन्धु में 29.94%, नर्मदा में 20.28%, साबरमती में 47.76%, कच्छ की नदियों में 10.03%, गोदावरी में 21.15%, कृष्णा में 25.03%, महानदी में 37.36%, कावेरी व पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में 50.66% तथा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में 37.95% पानी है।

गंगा नदी में पानी की कमी मुख्यतः टिहरी बांध में पानी भरना है उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर जहां गंगा नदी बहती है, पानी बहुत कम है इलाहाबाद में संगम के पास तो कमर तक पानी रह गया है, बच्चे भी दौड़ते हुए नदी पार कर लेते हैं। फाफामऊ, रसूलाबाद घाटों पर भी जल का बहाव थम सा गया है। इलाहाबाद शहर में हजारों श्रद्धालु, साधु-संत प्रति दिन गंगा में स्नान करते हैं, परन्तु नालों, सीवरों आदि की गंदगी गंगा नदी में जा रही है जिससे जल पूरी तरह प्रदूषित हो गया है, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने हाल में ही प्रतिदिन मरोरा से 300 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, परन्तु उस पर भी कार्यवाही नहीं की गयी है। साधु-संत एवं जनता गंगा नदी में पानी की कमी व प्रदूषण के प्रति आक्रोशित एवं आंदोलित हैं, अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

उक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है, अतः नियम-301 के अंन्तर्गत सूचना देता हूं।

जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के ग्राम पचदेवरा में चकबन्दी प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच पर पुनः चक निर्धारण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक-

ग्राम सभा नारी पचदेवरा, परगना व तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर में वर्तमान में चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकों के मूल्य निर्धारण तथा चकों के आबंटन में गम्भीर अनियमिततायें की गयी हैं जिसके फलस्वरूप निर्धन किसानों को उनकी भूमि के फलस्वरूप उसी स्तर की भूमि नहीं मिल सकी है तथा 80% प्रतिशत किसानों के चक खराब हो गये है तथा ग्राम सभा के निर्धन किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि चकबन्दी आयुक्त अपने स्तर से किसी अधिकारी को भेज कर चकों का निरीक्षण कराये, प्रभावित गरीब किसानों को बुलाकर उनकी बात सुने तथा तत्पश्चात् किसी अन्य सहायक चकबन्दी अधिकारी के माध्यम से चकों का निर्धारण कराया जाय।

अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं शासन से ग्राम पचदेवरा परगना व तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर में की गयी चकबन्दी की प्रक्रिया की जांच

कराकर किसी अन्य सहायक चकबन्दी अधिकारी के माध्यम से किसानों के हितों को देखते हुए चकों का पुनः निर्धारण कराते हुए सदन में वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत समग्र विकास योजना/अम्बेदकर विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में अपेक्षित कार्य योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव-

[प्रदेश में समग्र विकास योजना/अम्बेडकर विकास योजना लागू है इसके अनुसार कई महत्वपूर्ण विकास सम्बन्धी कार्य करने की योजना है जिसमें इन्दिरा आवास, खड़ंजा, सम्पर्क मार्ग, नाली निर्माण, पेयजल के लिए हैण्डपम्प का अधिष्ठापन आदि शामिल है। माननीय सदस्यों से प्रतिवर्ष दस-दस ग्रामों का प्रस्ताव मांगा जाता है उसी कड़ी में मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ के लिए 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 के लिए चयन हेतु दस-दस ग्रामों की सूची दी थी जो चयनित हुये किन्तु इन सभी गांवों को संतृप्त दिखा दिया गया जबकि जो संतृप्त किये जाने के मानक हैं उनका पालन नहीं किया गया है। मैंने अम्बेडकर ग्राम/समग्र ग्राम विकास मंत्री जी को पत्र लिखा। सी0डी0ओ0 को भी पत्र लिखा। किन्तु उसके बाद भी क्या-क्या कार्य किये गये की सूचना नहीं दी गयी। वास्तविकता यह है कि कुछ इन्दिरा आवास के अलावा कोई कार्य नहीं किये गये हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि फूलपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आजमगढ़ के चयनित समग्र ग्रामों में अपेक्षित समस्त कार्य योजना को लागू करें एवं मुझे भी सूचित करें।]

शाहजहांपुर मोहम्मदी मार्ग पर हथौड़ा व महमदपुर के बीच पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर मोहम्मदी मार्ग पर अपराध बहुत होते हैं, इस रोड पर 15 किलोमीटर तक शाहजहांपुर की सीमा लगती है उसके बाद जिला खीरी की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। जिला खीरी की सीमा प्रारम्भ होने के साथ ही महमदपुर पुलिस चौकी (थाना मोहम्मदी) है परन्तु शाहजहांपुर हथौड़ा चौराहा से महमदपुर तक अपराध नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। 15 किमी0 मार्ग पर अपराधी आराम से अपराध करके जिले की सीमा के बाहर हो जाते हैं, यह क्षेत्र वर्तमान में थाना रौजा के अन्तर्गत आता है, रौजा थाना से इस रोड पर पहुंचने के लिये एक रेलवे क्रासिंग भी पड़ती है जो ज्यादातर बन्द मिलती है। अतः जनहित में हथौड़ा चौराहा से शाहजहांपुर-लखीमपुर सीमा तक बीच में एक पुलिस चौकी की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र के अपराधों पर अंकुश लग सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शाहजहांपुर मोहम्मदी मार्ग पर हथौड़ा व महमदपुर के बीच में किसी स्थान पर एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाये।]

मेरठ नगर निगम द्वारा जनरेटरों के माध्यम से नगर की जलापूर्ति व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, प्रदेश में ऊर्जा का अभूतपूर्व संकट किसी से छिपा नहीं है। उसका तत्काल कोई हल दिवास्वप्न है, मृगमरीचिका की स्थिति है। लेकिन उपरोक्त अनियमित आपूर्ति के कारण प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल का संकट खड़ा हो रहा है। एक ओर बरसती आग से भीषण गर्मी, बिजली न मिलना, उस पर पेयजल का संकट जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। विद्युत संकट जन्य पेयजल संकट का निदान पम्पिंग स्टेशनों/ट्यूबवेलों पर ऊर्जा संकट/गर्मी रहने तक जनरेटर लगाकर किया जाना आवश्यक है।

मेरठ नगर निगम में 50 जनरेटर लगाकर जलाशय भरते समय चलाकर, जलापूर्ति के समय पम्पिंग स्टेशनों को चलाकर तथा सीधे आपूर्ति करने वाले ट्यूबवेलों को आपूर्ति के समय 12 घण्टे चलाया जाना जनहित में आवश्यक है। यदि उपरोक्त व्यवस्था नहीं की गयी तो जनता को पेयजल मेरठ में उपलब्ध नहीं हो पायेगा, जिससे जनरोष भड़केगा।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर में विकास खण्ड ऐलिया के काजी कमालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया जो निर्वाचन क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत है इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का काफी अभाव है। विकास खण्ड ऐलिया के काजी कमालपुर जो अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है काजी कमालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को एक्स-रे आदि के लिए या तो जिला चिकित्सालय सीतापुर आना पड़ता है या निजी चिकित्सकों द्वारा शोषण का शिकार होना पड़ता है। जिला मुख्यालय करीब-करीब पचीस किलोमीटर दूर है।

अतएव लोकहित के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए काजी कमालपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में बयालसी में सई नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बयालसी में सई नदी बंहती है। दो भागों में क्षेत्र को बांटती है। इसलिए जनता को मुख्यालय तक आने में कठिनाई होती है। इसलिए उदपुर घाट से राजेपुर घाट तक एक पैन्टून ब्रिज बन जाय तो जनता को सुविधा होगी।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के प्रदन पर मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए पैन्टून ब्रिज बनाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12-5-2006 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित नौ सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री लालजी टण्डन एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की उ0 प्र0 विधान सभा सचिवालय में पदासीन प्रमुख सचिव के अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख सचिव की नियुक्ति के सम्बन्ध में, इसी से सम्बन्धित है दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री जगदीश नारायण राय जी, श्री सुखदेव राजभर जी, श्री रंगनाथ मिश्रा जी, श्री दद्दू प्रसाद जी, श्री आर0 एस0 कुशवाहा जी एवं श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) जी, इसी सम्बन्ध में तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री राम नरेश यादव जी एवं श्री जगदम्बिका पाल जी की है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में पदासीन प्रमुख सचिव के अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख सचिव की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

चूंकि यह मामला जो है अभी तो कोई नियुक्ति हुई नहीं जब नियुक्ति हो तो काज ऑफ एक्शन एराइज होता है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। फिर भी इस सम्बन्ध में आप लोगों के मन में कोई शंका है तो मैं आपसे बात कर लूंगा। इसलिए इसको अस्वीकार करता हूं। इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जब कोई नियुक्ति नहीं हुई तो यह कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी बात, अगर आपके मन में कोई शंका है तो मैं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से चैम्बर में बात कर लूंगा।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैं यही कह रहा हूं कि यह आपका अधिकार है इसमें सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके अगर ऐसा हो रहा है तो न होने दें और जैसा आपने कहा वह वार्ता कर लें।

श्री अध्यक्ष-

हां, वार्ता कर लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बुला लें अपने चैम्बर में बैठकर बात कर लेंगे। लेकिन विधान सभा सर्वोपरि होती है इसकी निष्पक्षता पर कोई उंगली न उठने पाये, कहीं ऐसा न हो कि गलत परम्परा पड़ जाये।

श्री अध्यक्ष-

अभी जब नियुक्ति हुई नहीं है तो आप क्यों पहले से कहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, होगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जब कोई नियुक्ति नहीं हुई तो काज ऑफ ऐक्शन एराइज नहीं हुआ, तो इस पर बहस करने का कोई औचित्य ही नहीं है। माननीय प्रमोद तिवारी जी मेरा आग्रह है कि इस पर कुछ न कहें। बेहतर यही है कि आप इस पर कोई चर्चा न करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब एक शादी से दूसरी शादी नहीं हो सकती तो आप क्यों दूसरा प्रमुख सचिव रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो कह रहा हूं कि अभी जब कुछ हुआ ही नहीं तो आप पहले क्यों कह रहे हैं। मौर्या जी, बैठें। बात हो गयी मैंने कह दिया जब अभी नियुक्ति हुई नहीं तो क्यों आप बहस चाह रहे हैं। इस सन्दर्भ में अगर आपके मन में कोई शंका है तो मैं खुद आप लोगों से बात करना चाहूंगा, बात कर लूंगा, बैठें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि इसको 10 तारीख की दलीय नेताओं की बैठक में मैंने आपके सामने यह बात रखी थी और आपने गम्भीरता से इसका संज्ञान लेते हुए वार्ता के लिए स्वीकार किया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, अब बात हो गयी।

मंत्रि-मण्डल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के विपरीत प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के बीच शीत युद्ध चलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

चौथी सूचना श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की, मंत्रि-मण्डल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के विपरीत प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के बीच शीतयुद्ध चलने के सम्बन्ध में।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

संविधान की व्यवस्था के तहत मंत्री शपथ लेते हैं, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है, आप सुन लीजिये। आप हम लोगों के संरक्षक है। यह तो नई बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब इस पर चर्चा हो चुकी है। देखिये, बजट भाषण में इस विषय पर कभी-कभी चर्चा हुई है, कभी-कभी और मामलों में हुई है। अब इसमे कोई नया डेवलपमेंट नहीं हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, शीत युद्ध अब नहीं रहा, अब उससे आगे बढ़ गये हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, चूंकि मंत्रि-परिषद् संविधान के तहत शपथ लेती है। संविधान के तहत वह काम करती है, कलेक्टिव रिस्पांसबिलटी होती है, अब दो मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोलें तो जनता में गलत संदेश जाता है सरकार के बारे में और मंत्रि-मण्डल के बारे में भी। एक राज्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री पर आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, अगर आपको कोई निश्चित जानकारी हो तो ठीक है, आप अखबारों के माध्यम से पढ़कर कह रहे हैं और अखबारों का यहां संज्ञान नहीं लिया जाता है। पूर्व विद्वान अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, आप उनसे परामर्श लें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आप इलेक्ट्रानिक मीडिया पर ध्यान देते हैं और उसी के लिये आपने एक कमेटी बनाई है। आप मेरी पूरी बात आ जाने दें।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों इस बात को उठा रहे हैं। मेरी राय मान लीजिये।

महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब यह नियम 300 का प्रश्न नहीं बनता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मंत्री संविधान के तहत शपथ लेते हैं और उनकी कलेक्टिव रिस्पांसबिलटी होती है। तो इस तरह एक दूसरे पर आरोप लगाना, यह संविधान का उल्लंघन नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

सदन में तो कोई बात कही नहीं है। आप अखबारों का संज्ञान ले रहे हैं और अखबारों का संज्ञान यहां लिया नहीं जाता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

कोई मंत्री कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है, घुसने नहीं देंगे। कोई धरना दे रहा है, तो आखिर मर्यादाओं की रक्षा होगी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें मुझे आप कनविंस कर देंगे तो आपको सोमवार को सुन लेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, सोमवार को हम नहीं रहेंगे। दिल्ली में हमारी बैठक है।

मान्यवर, यह बड़ी दुखद स्थिति है। इस तरह की परिस्थिति नहीं बनना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि कि ऐसे मंत्रियों को मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और वह त्याग-पत्र देकर जनता के बीच में जायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह मशविरा, हम चाहेंगे कि आप नेता सदन को दें। वाकई ऐसे लोगों को मंत्री नहीं रहना चाहिए, मैं इसके लिये तैयार हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मंत्री जी ने कह दिया कि हम लोगों की भावना को नेता सदन को बता दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बात की पुष्टि करते हुए केवल इतना संशोधन किया है कि आप अपना मशविरा नेता सदन को दें, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप भी मान रहे हैं, अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो विषय आपके सामने आ गये हैं, इस तरह की चीज उचित नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, सदन की गरिमा पर भी पड़ता है। मंत्रि-मण्डल के दो सदस्य एक दूसरे के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं। इसका आधार तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मैं भी यहां जन-प्रतिनिधि हूं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि खुलकर क्या वार्तालाप हो रहा है। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा, महामहिम राज्यपाल जी के खिलाफ, इससे ज्यादा असंवैधानिक स्थिति और क्या होगी। इसको भी आप औचित्य प्रश्न नहीं मानते हैं। मान्यवर, इससे ज्यादा कष्टदायक स्थिति और क्या हो सकती है, फिर भी आप इसे औचित्यपूर्ण नहीं मान रहे हैं। बहुत समझदार हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं कैबिनेट के, होशियार भी हैं, छात्रनीति से आये हैं, आखिर क्या विवशता आ गई आपके समाने कि आप अपने क्षेत्र रामपुर में जा करके मजबूर हो करके तपती धूप में खुली सड़क पर बैठ गये और श्री राज्यपाल के खिलाफ धरना दिया ? और मान्यवर, केवल इतना ही नहीं माननीय राज्यपाल की आंखों के सामने राज्यपाल जी का पुतला फूंका गया। मान्यवर, जिस सरकार के मंत्रियों के सामने ऐसी स्थिति आ जाये तो मान्यवर, इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है ? मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस सदन को यह तय कर लेना चाहिए कि सरकार के मंत्रियों की मर्यादा और गरिमा क्या होगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप की बात आ गई।

* श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न की बात है, जैसा कि अभी माननीय गौर साहब ने प्रश्न उठाया कि सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और अखबारों की किसी भी बात को सदन संज्ञान में नहीं लेता है। अभी जैसा कि माननीय गौर साहब और माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि दो मंत्रियों के विवाद की बात है तो मान्यवर, इस विवाद की जानकारी आपको मिली, हो सकता है कि यह आपके मन या मीडिया के मन की बात हो सकती है। मान्यवर, मीडिया किस प्रकार से किसी बात को उठाता है मैं उस पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस विषय को आपने कह दिया कि इसे संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है तो फिर उसे बार-बार उठाना कतई न्यायोचित नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप ऐसी व्यवस्था दें कि इस तरह की चर्चा इस सदन में न हो।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस बिन्दु पर आप लोगों को सुना, औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं। अगली सूचना श्री जय प्रताप सिंह जी की है, इसमें इन्होंने विधायक निधि का मामला दिया है कि कहीं पर काम दिया गया है और काम नहीं हुआ, यह औचित्य का मामला नहीं बनता है, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं। अगली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है, मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में हैण्ड-पम्प की स्थापना का कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में, इसे अस्वीकार किया जाता है। अगली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है, दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को मा0 लोक निर्माण मंत्री द्वारा सदन में दिये गये केवल वक्तव्य में उल्लिखित कार्यों का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में है, इसे अस्वीकार किया जाता है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं, पहले आप सुन तो लें।

मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में हैण्ड पम्प स्थापना का कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह प्रश्न इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न इस सदन में बहुत बार आ चुका है, मुख्य मंत्री जी भी इस पर अपनी बात कह चुके हैं। अभी जब यह सदन अनिश्चितकाल के लिये उठ रहा था, तब भी माननीय नेता सदन ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में भी नल लगेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर नल नहीं लगेंगे तो फिर घोषणा का औचित्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

इस पर बहुत बातें पहले भी हो चुकी हैं, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं। अगली सूचना श्री सुखदेव राजभर की है, दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा जनपद आजमगढ़ में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिलान्यास एवं लोकार्पण किये जाने की सूचना सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिये यह सूचना भी अस्वीकार की जाती है।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना सदन के वेल में आ करके अपनी बात कहने लगे।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में नल नहीं लग रहे हैं, यह बात कई बार सदन में उठायी गयी है लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की और जल निगम कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, खन्ना साहब यह आपकी जगह नहीं है, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। संसदीय कार्य मंत्री जी यह जल निगम का मामला है और सम्भवतः यह आपसे सम्बन्धित है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह जल निगम का मामला नहीं है। जल निगम कार्यदायी संस्था है, जब जल निगम को पैसा मिल जायेगा तब नल लगवा देंगे। मान्यवर, हम तो मजबूर हैं, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें मिले और हम ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि हम ठीक से वेतन दे सकें। मान्यवर, यह पैसा आप दिलवा दें और हम नल लगवाना शुरू कर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष के भी नल अभी नहीं लग पाये हैं और वर्ष 2005-2006 में एक भी नल हमारे शहरी क्षेत्र में नहीं लगा है, रोज अखबारों में छापा जाता है कि मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर पैसा नहीं मिला है तो भी आपका यह दायित्व बनता है कि आप पैसा खोज करके लायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बात जल निगम की थी, इसलिये मैंने उसका जवाब दे दिया। अभी नेता सदन ने इस प्रकार की कई ऐतिहासिक घोषणाएं सदन में की हैं। और ये नल पहली बार नहीं दिये गये हैं इससे पहले भी दिये गये, सड़कें भी दी गयी। एतराज करने वाले और ये मुद्दे उठाने वाले थोड़ा सा अपनी गिरेबान में मुंह डालकर देखें कि क्या पूर्व में किसी मुख्य मंत्री ने खासकर उनकी सरकारों में ऐसी घोषणायें हुई हैं।

(भा0ज0पा0 के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, नहीं, सब कुछ आप ही कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन तो लीजिये। खन्ना जी, अपने आसन पर चलिये।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने आसन पर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 1952 से लेकर 1995 तक टाउन एरिया में आप सत्ता में रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने नल दिये। मान्यवर, गलतबयानी कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए हैं उनका उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[×××]

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी आप बैठिये। पहले संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिए। अभी जो आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[×××]

नोट :-- यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा, कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा। आप मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी बात ही कहते चले जा रहे हैं। आप विद्वान सदस्य हैं, खुद नगर विकास मंत्री रहे हैं। आपकी पूरी बात आ गयी और प्रेस के व यहां बैठे सभी लोगों के संज्ञान में आ गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पैसा चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, अब आप बोलने तो दीजिए। क्या आज युद्ध की तैयारी करके शाहजहांपुर से चले हैं। भले कुछ परेशानी है, अकेले दिक्कत होती है, पानी की भी दिक्कत होती है और भी दिक्कत होती है। अब आपकी बात खत्म हो गयी, आपने अपनी बात कही, अब संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पहले भी नेता सदन ने जितने नलों की घोषणा की थी माननीय सदस्यों के लिए, वह सब लगे।

(प्रतिपक्षी सदस्यों की तरफ से आवाज आयी कि नहीं लगे हैं)

श्री अध्यक्ष-

पहले सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ये आखिरी घोषणा वाले अभी नहीं लगे हैं। जाहिर है कि पैसे का प्रोसीजर है, रिवाल्विंग फंड से देंगे, कहां से देंगे और उसे क्षेत्रों तक पहुंचने में थोड़ी देर लगती है, अभी सत्र उठा था, ये गये थे और आ गये, इसमें कोई गलती हो गयी क्या, यह सत्र जल्दी आहूत हो गया, अगर देर से होता तो मान्यवर, सारे लग चुके होते। बहुत जल्दी काम शुरू हो जायेगा। जैसे ही पैसा मिल जायेगा जल निगम लगवाना शुरू कर देगा। आशा की जाती है कि जल्दी ही पैसा मिल जायेगा और काम शुरू हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वर्ष 2005-2006 के नल अभी नहीं लगे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दीजिए। मंत्री जी का जवाब आ गया। आपके यहां नहीं लगे हैं तो आपने कह दिया है कि प्रिविलेज की नोटिस दे रहा हूं तो प्रिविलेज आने दीजिए उसमें सारी छानबीन हो जायेगी, क्यों लड़ रहे हैं, आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमने आश्वस्त किया है कि नल बहुत जल्द लगना शुरू हो जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी की दो हैसियत है, एक तो जल निगम के अध्यक्ष हैं, उसकी हैसियत से कहा कि पैसा मिलेगा तो काम हो जायेगा, दूसरी हैसियत संसदीय कार्य मंत्री की है, मुख्य मंत्री के बाद यहां बैठे हुए हैं। इस बात का उत्तर अपने-आप मिल जाता है कि पैसा नहीं है। यह सही है कि पिछले वर्ष का पैसा अभी शहरों में गया है। दो नल अभी तक मेरे क्षेत्र में लग पाये हैं। ऐसी गर्मी में जब पानी से त्राहि-त्राहि मची है, बिजली आ नहीं रही है ऐसी स्थिति में हैण्ड पम्प एक उपाय हो सकता है उसके लिये पैसा अब गया है जबकि घोषित पिछले साल हुआ था। जब पानी की जरूरत नहीं रहेगी हैण्ड पम्प क्या तब लगेंगे। जिस समय अधिक आवश्यकता है उस समय कमी है। संसदीय कार्य मंत्री की दोहरी भूमिका है इस भूमिका के कारण कठिनाई हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी टण्डन जी के संज्ञान में होगा कि जल निगम किस तरह से घाटे से निकला है और तनख्वाहें पूरी दी जा रही है। एक पैसा भी तनख्वाह का जल निगम पर उधार नहीं है। जल निगम एक अच्छी संस्था के रूप में जाना जा रहा है। आपने उसे किस हाल में छोड़ा था यह सब जानते हैं और आपको भी पता है। मैं आपके क्षेत्र की विशेष जानकारी रखता हूं। अभी आपके यहां से नलों की सूची नहीं पहुंची है।

श्री लालजी टण्डन-

सूची पहुंच गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे संज्ञान में है। सूची नहीं पहुंची है। जल्दी भिजवा दें।

श्री लालजी टण्डन-

सूची पहुंच गई है। मैं सदन में गलत बयानी नहीं करूंगा। मैंने सूची भेज दी है। और उसे भेजे हुए बहुत दिन हो गये। मैंने एक्सियन को बुलाकर उससे बात की थी कि हैण्ड पम्प क्यों नहीं लग रहे हैं उसने कहा था कि पैसा नहीं है। अब हैण्ड पम्प लगने शुरू हुए हैं यह कब लगेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपके हैण्डपम्प लगेंगे चाहे किसी के लगे या न लगें। आपके लगेंगे।

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

हमारे वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 44 हैण्ड पम्प नहीं लग पाये हैं। पैसे की कमी नहीं है, सामान की कमी नहीं है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बुलाकर कड़ी डांट भी पिलाई है। पूरे जिले में 30 प्रतिशत हैण्ड पम्प अभी नहीं लग पाये हैं जबकि पैसा है और सामान भी है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण हैण्ड पम्प नहीं लग पा रहे हैं। डी0 एम0 ने इसका संज्ञान लिया है और अधिकारियों से कहा है कि 20 जून तक हैण्ड पम्प लग जाएं मेरा मंत्री जी से कहना है कि मंत्री जी को निर्देश देना चाहिए कि 20 जून नहीं यह हैण्ड पम्प 20 मई

तक लग जाएं। जबकि सामान भी है और पैसा भी उसके बावजूद 30 प्रतिशत हैण्ड पम्प नहीं लग पाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी यह प्रश्न पहले भी आया था और इस पर बैठक भी बुलाई गई थी। गौड़ साहब ने इस मामले को उठाया था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर प्रक्रिया की कठिनाई सुन लें। कठिनाई यह है कि नगरीय क्षेत्रों में जो आदेश हुआ है वह यह है कि सम्बन्धित स्थानीय निकाय इन हैण्ड पम्पों को लगाने के लिये रिवाल्विंग फंड से ऋण लेने के लिये प्रस्ताव भेजेगा जब वह प्रस्ताव भेजेगा तब शासन रिवाल्विंग फंड से ऋण स्वीकृत कर स्थानीय निकाय को भेजेगा तब स्थानीय निकाय उसे जल निगम को ट्रांसफर करेगा उसके बाद जल निगम जनप्रतिनिधि से सूची लेगा।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि यह महत्वपूर्ण मामला है इसलिए इस मामले में सदन उठने के तुरन्त बाद मैं संसदीय कार्य मंत्री, श्री टण्डन जी व अन्य दलीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि वह बैठकर विचार कर लें और जो कठिनाई हो उसे दूर करने का उपाय किया जाय।

श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट सुन लें।

दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा आजमगढ़ में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिलान्यास एवं लोकार्पण किये जाने की सूचना विधान सभा सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है। हम लोग जो माननीय सदस्य हैं वह चाहे इधर के हों या उधर के हों जब उनके क्षेत्र में सड़क, विद्यालय, खड़ंजा आदि की योजनायें शुरू की जाती है तो वह उम्मीद रखते हैं कि उनका शिलान्यास या लोकार्पण माननीय सदस्यों द्वारा कराया जायगा। हमारे जनपद में प्राइमरी विद्यालयों के प्रस्ताव दिये गये थे। डिस्ट्रिक्ट प्लान में, जो बैठक हुई थी उसमें जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्री जी बैठे थे, उसमें तय हुआ था कि विद्यालयों का शिलान्यास और लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक करेंगे। लेकिन मान्यवर, एक भी विद्यालय का शिलान्यास एम0एल0 ए0 द्वारा नहीं कराया गया। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में आर0ई0एस0 विभाग की योजनाओं में मंत्री के जगह-जगह पत्थर लगा दिये गये। हम शिलान्यास और लोकार्पण के इच्छुक नहीं हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लान में तय हुआ था कि क्षेत्रीय विधायक को बुला लिया जाय ताकि उनको भी पता लग जाय। हम लोगों ने प्रस्ताव सड़कों के सम्बन्ध में दिये हैं लेकिन अधिकारी शिलान्यास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप खुद की संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। आप बतायें कि यह कैसे औचित्य का प्रश्न बनता है। आपने इतना भाषण दे दिया।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अगर यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है तो भी सदन के सदस्य होने के नाते हमारे संवैधानिक अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है। आप इस विषय पर सरकार को निर्देशित कर सकते हैं ताकि हम लोगों का सम्मान रहे।

श्री अध्यक्ष-

आप जो शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं, इस बारे में एक बार यहां पर बात हो चुकी है कि जन प्रतिनिधियों द्वारा कराया जाय। अगर मंत्री जी ने किया है तो वह तो महा जनप्रतिनिधि हैं, वह अफसर तो हैं नहीं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह का जब शिलान्यास हो तो क्षेत्रीय विधायक को सूचना दी जानी चाहिए।

दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को लोक निर्माण मंत्री द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य में उल्लिखित कार्यों का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी घोषणा का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप राय साहब को चेम्बर में बुलाकर वार्ता करके उसको कर दीजिए।

दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा आजमगढ़ में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिलान्यास एवं लोकार्पण किये जाने की सूचना विधान सभा सदस्यों को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी शिकायत बहुत सही हो सकती है। स्थानीय विधायक को सूचना जाती है लेकिन किसी वजह से वह न जा पाते हों। लेकिन मुझे याद है कि जब आप संसदीय कार्य मंत्री थे तो एक उद्घाटन कराने के लिये मुझे पहले जेल भेजा गया तब उद्घाटन कराया गया जबकि हम विधायक थे।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के रूप में नामित होने के बावजूद कोई बैठक न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सचिवालय द्वारा 14 अक्टूबर, 2003 को एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें अभिसूचित किया गया कि विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 को पारित प्रस्ताव के अनुसार संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाता है और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गये सदस्य विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे। इसमें मेरा नाम था और डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा का था। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान की बैठक होगी।

मान्यवर, तीन साल होने जा रहे हैं और अभी तक इन्स्टीट्यूट की बैठक नहीं हुई है। मान्यवर, इस तरह से सदस्य नामित किये जाने का औचित्य क्या है ? मान्यवर, मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था 19-7-2004 को।

श्री अध्यक्ष-

एक बार इस सन्दर्भ में संजय गांधी इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर को भी बुलाया था, मैं भी था और चीफ सेक्रेट्री भी थे, मंत्रीगण भी थे और उसमे इस बात को मैंने विशेष रूप से कहा था। अरुण मेहरोत्रा जी ने भी मुझे लिखकर दिया था। मैंने बैठक करके उनसे कहा था कि आप बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं तो उन्होंने अवगत कराया था कि अभी नियमावली नहीं बनी है, जब बन जायेगी तो बैठक होगी। आज क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह एक गम्भीर मामला है इस इन्स्टीट्यूट को बैठक करनी चाहिए और जो सदस्य इसके लिये नामित हुए है उनको उसमें बुलाया जाना चाहिए। इनके जो भी अधिकारी या डायरेक्टर हैं जो इस तरह की मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो विधान सभा सदस्यों को उसमें नामित करने का औचित्य क्या है ? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उन्हें तलब करके उनसे पूछें कि मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही है ? बेहतर होगा कि आप अपने स्तर से करें नहीं तो मैं अपने स्तर से करूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने कक्ष में कर लें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, विश्वविद्यालय में भी जो विधान सभा सदस्य नामित होते हैं उनका तीन साल का टर्म पूरा हो जाता है और एक बार भी बैठक नहीं होती है। मैंने आपको लिखकर भी दिया था।

श्री अध्यक्ष-

सोमवार या मंगलवार को जैसा उचित समझें बैठक कर के उनके अधिकारियों को बुलाते हैं क्योंकि चीफ सेक्रेट्री उसके ट्रस्टी है। उनसे पूछ लेते हैं कि बैठक क्यों नहीं हो रही है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह-

मान्यवर, हम लोगों को यह बुकलेट मिली है इसमें नामित सदस्यों के नाम हैं लेकिन जो बैठकें होती हैं उसकी सूचना हमको नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो स्वयं उस दिन थे। मैंने बात की थी, फिर बुला लेते हैं और पूछ लेते हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, विश्वविद्यालयों के अन्दर एक बोर्ड होता है। बोर्ड के द्वारा चुनाव होता है। बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए लेकिन तीन-तीन साल बीत जाते हैं और एक बार भी मीटिंग नहीं होती है।

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपने जब मीटिंग बुलाई थी तो उस समय उन्होंने बताया था कि नियमावली न बने होने के कारण मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, नियमावली न बने होने के बावजूद भी बैठक होनी है, हमको सूचित किया गया लेकिन बार-बार उसको टाला जा रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसा करके जो सदस्य नामित किये गये हैं, जो संस्था के हित में काम करते उनको इससे विरत किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

इसको गम्भीरता से लेते हुए मीटिंग करके इसका कारण पूछा जायेगा।

तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णयों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में एक प्रश्न-56 में आया था और आपने उसके बारे में निर्देश दिये थे कि आपके कक्ष में इस सम्बन्ध में बैठक हो जायेगी। मान्यवर, आपके कक्ष में तीन बार इस बारे में बैठक हो चुकी है और जो भी निर्णय उस पर आपके कक्ष में हुआ उसमें तकनीकी शिक्षा के सचिव व विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। आज तक उन छात्रों के बारे में निर्णय नहीं लिया गया। जबकि सेकेन्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए छात्रों के बारे में विश्वविद्यालय ने उसी प्रकार का निर्णय ले लिया। मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता हूं कि पीठ के निर्देश पर एक बैठक होती है, माननीय अध्यक्ष के कक्ष में अगर बैठक होती है तो उस बैठक के निर्णय को विधान सभा का निर्णय माना जायेगा। जो निर्णय हुआ, उस विधान सभा के निर्णय को विश्वविद्यालय के सचिव लागू नहीं कर पा रहे हैं। इससे विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। इसमें पीठ से स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें जो आपकी अध्यक्षता में निर्णय हुआ था इसको विश्वविद्यालय में लागू कराया जाए।

श्री अध्यक्ष-

उस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी तो थे जो बातें हुईं, कुछ बातों पर वह राजी हुए कुछ बातों पर राजी नहीं हुए जिन पर राजी हो गये उनको लागू करने की बात थी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं तो खुद भी शिकवा करना चाहता हूं मूल बातों पर राजी हो गये। लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी भी तैयार हो गये कि चलिए इतना ही कर दें। यह गम्भीर बात है। आपकी अध्यक्षता में आपके कक्ष में बैठक हुई, आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। यह गम्भीर बात है। एक दिन यहां डिब्बा रखवा दीजिए, बुलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं कुलपति और रजिस्ट्रार को टाइम फिक्स करके तलब करता हूं। वह जवाब देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं लिख[illegible] दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप लिखकर दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह मंजर मैंने कभी देखा नहीं है यह हो जाए। उनको बुला लिया जाए।

दिनांक 11 मार्च, 2006 को पारित बजट में गृह विभाग का बजट साहित्य अभी तक न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, विभिन्न नियमों के तहत सूचनाएं देते हैं आप स्वीकार करते हैं हम लोग विषय उठाते हैं। मैंने 27 मार्च को कार्यवृत्त का संक्षिप्त विवरण है नियम-300 के अन्तर्गत विषय उठाया था। 11 मार्च को विभिन्न विभागों का बजट पास किया गया है। यह व्यवस्था है कि हर विभाग का साहित्य मिलता है। मैं गृह विभाग में इन्ट्रैस्टेड था। गृह विभाग का बजट मुझे नहीं मिला। आप सर्वोच्च पीठ पर हैं गृह विभाग का साहित्य अभी तक नहीं मिला है। यह सरकार का निकम्मापन, उदासीनता है सरकार से ऐसा व्यवहार होगा तो हम लोगों को क्या अधिकार प्राप्त होगा ? आप संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लेते हैं। कुछ सूचनाओं पर मैंने निर्देश दिये थे। उस दिन नहीं हो पाया था बाद में कुछ साहित्य आये थे। इसको रखा गया होगा आपको न मिला हो तो इसकी जांच करा लेंगे। आपको साहित्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पटल ने कई बार कहा है क्या गृह विभाग इतना बड़ा विभाग है कि आपके आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है। इसको सुनिश्चित करा लें।

श्री अध्यक्ष-

सुनिश्चित करा दिया है। सोम की शाम तक मिल जाएगा।

संग्रह अमीनों के विधान भवन के समक्ष दिये जा रहे धरने की ओर ध्यान आकर्षण

श्री सुखदेव राजभर-

राज्यपाल द्वारा शासनादेश जारी हो गया है सरकार अनुपालन नहीं कर रही है। गेट पर कर्मचारी मर रहे हैं शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गये। कार्यवाही नहीं हुई है महीनों से संग्रह अमीन धरने पर बैठे हैं। इस शासनादेश को आप लागू करवा दें। पूरे प्रदेश के कर्मचारी बैठे हैं। कर्मचारियों के हित में इसको करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12-5-2006 को नियम-311 के अन्तर्गत पांच सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु

सुना जायेगा तथा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री मुंशी लाल गौतम की है इसी पर श्री प्रमोद कुमार, श्री विवेक बंसल, श्री जगदम्बिका पाल ने दी है यह अलीगढ़ में दही वाली गली में साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने एवं विधायक के पुत्र का शव कब्र से बरामद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(श्री लालजी टण्डन का नाम पुकारे जाने पर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पहले पूरा पढ़ दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है और टण्डन जी से भी है, क्योंकि वह निर्वाचन क्षेत्र विवेक बंसल जी का है, यदि 2 मिनट वह अपनी बात कह लेते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की-जनपद झांसी में विद्युत कटौती के सम्बन्ध में जानकारी किये जाते समय विधायक पर लाखों रुपये हानि का मुकदमा विभाग द्वारा कायम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की (नियम-311 में प्राप्त), श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुखदेव राजभर, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री राजेश कुमार, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री राम शंकर पाल, श्रीमती विद्या चौधरी और इसी पर श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामहेत भारती, श्री बृजेन्द्र व्यास उर्फ डमडम महाराज और श्री राम इकबाल सिंह की (नियम-311 में प्राप्त) प्रदेश में भीषण विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की-इलाहाबाद स्थित आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री कपिल देव यादव की-मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में विधायक पर हुए हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

छठवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की-श्री उदयभान सिंह यादव द्वारा विधायक की हत्या किये जाने की साजिश करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री राम अचल राजभर और डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की-जनपद अम्बेडकर नगर की थाना कोतवाली अन्तर्गत श्री हरि राम एवं उनके दो लड़कों की हत्या किये जाने एवं हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की (नियम-311 में प्राप्त) और श्री सुरेश कुमार खन्ना की (नियम 51 में प्राप्त)-मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुए भीषण अग्निकाण्ड में लोगों के मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना को नियम-52 में परिवर्तित करते हुए एक घण्टे की चर्चा स्वीकार की गयी।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री कौशल किशोर, 2-डा0 विनोद तिवारी, 3-श्री चन्द्र देव राम यादव और 4-श्री कौशल किशोर।

जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बिजली का मामला है, उस पर एक घण्टे की चर्चा करा लेंगे। आज के बाद कभी भी यह करा ली जायेगी।

डा0 विनोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय है, दिन दहाड़े अपहरण हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है ....

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। आपके नेता बोल रहे हैं, डा0 साहब आप अनावश्यक विवाद पैदा करते हैं। आपके नेता खड़े हैं, गम्भीर मामला है, आप बैठें।

श्री विवेक बंसल-

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, मुझे अपनी बात रखने का मौका दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल ने नोटिस दी है, प्राथमिकता उनको ही मिलेगी। आपको भी पूरा मौका मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, बहुत गम्भीर घटना है और इस पर मैं सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, घटना क्योंकि इतनी गम्भीर है, इसलिये मेरी अपेक्षा है कि उसी गम्भीरता के साथ ही और माननीय सदस्य भी अपने विचार सदन के सामने रखेंगे। मान्यवर, 6 अप्रैल की घटना है, आठंव एक त्योहार होता है, जिसके प्रति जो लोगों की निष्ठा और श्रद्धा है और उसको वह पूरे धूमधाम से करते हैं दही वाली गली में एक स्थान है, वहां पूजा और हवन चल रहा था। पूजा के दौरान ही कुछ लोग वहां आये, जिस मन्दिर में एक श्रद्धा का माहौल था, श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना लोग कर रहे थे, कुछ लोग जूते पहन कर और हथियार लेकर आए, जितने लोग मंदिर में थे, उन्हें मारना-पीटना शुरू कर देते हैं, हवन को दुस्वार कर देते हैं और जितनी व्यवस्था मन्दिर में थी, उसे नेस्तनाबूत कर देते हैं। लोग जिला प्रशासन के पास गये और उनसे आग्रह किया कि यदि मन्दिर में भी हमें पूजा-अर्चना का अधिकार नहीं है तो वह पूजा कहां करेंगे।

मान्यवर, 7 तारीख को पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त हुआ और पुलिस प्रशासन की देखरेख में पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हुआ। जब पूजा अर्चना चल रही थी तो उस समय कई सौ लोग हथियार लेकर अंदर घुस आये और जैसी 6 तारीख को घटना हुई थी उसी प्रकार से मारपीट शुरू कर दी। दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और वहां पर ऐसा माहौल हो गया जैसे वहां पर व्यवस्था नाम की कोई चीज ही न हो। वहां पर जितने भी पूजा करने वाले हिन्दू थे सबके साथ पिटाई हुई और फायरिंग हुई और फायरिंग में एक पुलिस अधिकारी को चोट लगी और वह बेहोश होकर गिर गया।

उसी के बाद पुलिस फायरिंग शुरू हो गयी। फायरिंग में कुछ लोग मारे गये। दो दिन तक हमने पूरा प्रयास किया कि हम वहां पर अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन पुलिस प्रशासन के बावजूद भी पूजा अर्चना करने का बंदोबस्त सम्भव नहीं हो पाया। पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया। विधायक जी यहां बैठे हैं। 8 तारीख को इनका पुत्र गुम हो गया। उसकी तलाश शुरू हुई। खुद भी तलाश जारी रखी गयी और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गयी कि 25 वर्ष का जवान बेटा है, एक साल पहले शादी हुई है, 8 तारीख को गुम हो गया है। 9 तारीख को माननीय विधायक जी अधिकारियों से मिलते हैं। 2 आदमी जो उसे बुलाकर ले गये थे जिनके बारे में परिवार वालों को जानकारी थी उनसे सम्पर्क का प्रयास किया जाता है। 10 तारीख को वहां के स्थानीय अखबार में फोटो छपता है उन मृतक लोगों का जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। जिनके बारे में यह कहा गया था कि इनका पता नहीं है। उस फोटो में यह अपने पुत्र कीं फोटो को पहचानते हैं। जिस बेटे का दो दिन से पता न हो उसका इस तरह से फोटो छपे तो उस पिता के दिल पर आत्मा पर क्या बीती होगी।

मान्यवर, वहां पर एक मानव उपकार संस्था है उसका काम यह है कि जिनकी बाडी की पहचान नहीं होती है तो वह उनका दाह संस्कार करती है। उनके पास यह पहुंचते हैं उसका हुलिया यह बताते हैं तो वह बताते हैं कि पुलिस ने उस पर दबाव बनाया और पुलिस प्रशासन के दबाव के बाद हमने उस बच्चे को दबा दिया। उस बच्चे का नाम त्रिलोकी नाथ (विक्की) है। उसकी अस्पताल में करीब एक बजे मृत्यु दिखायी गयी है। उसके पंचनामे की कापी मेरे पास है वह मैं आपको दे देता हूं। पंचनामे में लिखा गया है कि हुलिया-मृतक के दाहिने हाथ पर ॐ शब्द गुदा है। यह पोस्टमार्टम से पहले वाला है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिये बाडी जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहचान का निशान लिख दिया है। उसकी कापी मेरे पास है वह मैं आपके पास भिजवा देता हूं। पोस्टमार्टम में पहचान वाले कालम में लिखा है कि टेटू मार्क ॐ, हाथ में कलावा बंधा है। मान्यवर, दोनों बातों की पुष्टि पंचनामे से लेकर पोस्टमार्टम तक में हो रही है। पुलिस ने 'ओम' देख लिया, डाक्टर ने 'ओम' देख लिया लेकिन उसके बाद भी, हिन्दू के अलावा 'ओम' शायद ही कोई धर्मावलम्बी लिखता हो, मुसलमान तो लिखेगा नहीं, उसको दफना दिया गया तो कैसे ? दफनाने के दो कारण हो सकते हैं एक कारण तो अमानवीय है। सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि मृतक के परिवार को सहायता दी जाय और इसमें पांच लाख रुपये की सहायता दी गयी। कुछ लोग इसमें गिद्ध की तरह लग गये और अपने बेटे, भाई, भतीजे को बता दिया और पांच लाख रुपये हड़प लिये। दूसरा कारण मानसिकता है, जो इस मानसिकता से भी ज्यादा घिनोनी है उसके बारे में, मैं आगे आऊंगा। इसका स्पष्ट उल्लेख है जो महामहिम श्री राज्यपाल जी और नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन दिया गया कि किन परिस्थितियों में आखिरकार उनके बेटे को इतनी पहचान होते हुए भी, हिन्दू होते हुए भी नहीं पहचाना गया, दफना क्यों दिया गया। तो मानसिकता यह थी कि एक उच्च अधिकारी, आई0 जी0 रेन्ज का अधिकारी था, जो उस वक्त कानपुर जोन का आई0 जी0 हो अलीगढ़ में वहां पर मौजूद हो, उसका दबाव यह था कि सरकार को एक पक्षीय जानकारी दे कि जितने भी लोग गोली से मर रहे हैं वह केवल मुसलमान हैं, हिन्दू नहीं हैं। इस कारण उस बच्चे के मरने के बाद खिलवाड़ किया गया। 'ओम' शब्द भी गया, कलावा भी गया और यही नहीं उसके गुप्त अंग के साथ भी छेड़छाड़ की गयी। इसमें बाद में एक पंक्ति जोड़ने की कोशिश की गयी है। बाद में यह बताया गया कि खतने का निशान है। खतना भी

हो लेकिन इन दो निशानों को भूल नहीं सकते। इससे उन सबकी मानसिकता का पता चलता है कि कैसी मानसिकता के तहत काम हो रहा था। मान्यवर, वह लाश निकाली गयी। लाश का फोटो है, हाथ का फोटो है, उसमें ओम का निशान बना हुआ है, मैं इस फोटो को आपके पास भेज रहा हूं आप इसे देख लें। तो अगर इस मानसिकता से अधिकारी इतना घिनौना काम करेंगे, अपनी इच्छा के साथ मृतक के साथ खिलवाड़ किया तो कौन सी मानसिकता रह जायेगी, कैसे लोकतंत्र बचेगा, कौन से मूल्य रह जायेंगे ? मान्यवर, मैं दो चार पंक्तियां ज्ञापन की पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसलिये पढ़ना चाहता हूं कि हर स्तर पर जो पीड़ा थी हमने इस पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया और इस आशा में प्रयास किया कि कहीं हमें न्याय मिल जाय। महामहिम श्री राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया और पीड़ा की अभिव्यक्ति की गयी कि कई शक्तियां ऐसी हैं जिन शक्तियों के कारण ऐसी घिनौनी घटना हुई और क्या मानसिकता थी। इसमें दो नाम विशेष रूप से आये। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ज्ञापन में लिखा है और मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि मेरे पुत्र की मृत्यु के बाद शव के साथ जो शर्मनाक व्यवहार प्रशासन ने किया उससे कानून ही नहीं इंसानियत का भी खून हुआ है। मैं यह ज्ञापन की कापी आपको दे दूंगा। इस कृत्य ने बहुसंख्यक समाज की न केवल धार्मिक भावना को ठेस पहुंचायी है बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। मेरे बेटे की लाश के साथ जो भी खिलवाड़ किया गया वह समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री, श्री ख्वाजा हलीम और कानपुर रेन्ज के आई0 जी0 रिजवान अहमद ने प्रदेश के मुखिया को खुश करने और उसके मरने वाली राशि को अपने लोगो में बांटने का काम किया है। मान्यवर, यह पीड़ा हमारी है और हमने ज्ञापन दिया है। मान्यवर, हमारी विनती है, हम किसी मानसिकता को या किसी वर्ग विशेष को इसमें दोष देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी विनती केवल यह है कि इतनी घिनौनी घटना होने के बावजूद भी अगर सी0 बी0आई0 के द्वारा इसकी जांच नहीं होगी और जिन लोगों की मानसिकता के आधार पर नौजवान को उसके मरने के बाद भी अपमानित किया गया होगा तो मान्यवर, हमें न्याय कहां से मिलेगा ? मैंने चन्द शब्द केवल सदन के सामने रखे हैं।

(व्यवधान)

(श्री आलम बदी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री आलम बदी जी, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं जानता हूं, यही वह मानसिकता है, जिसने समाज को तोड़कर रखा हुआ है मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमने कोई दोषारोपण नहीं किया है, हमने केवल न्याय के लिये मांग की है, मान्यवर, हमारे मन को तो कम से कम संतुष्टि मिल जाये हमने 25 साल का अपना लाडला पुत्र खोया

है। मान्यवर, हमें कम से कम यह तो संतोष मिल जाये कि कौन लोग इसके लिये दोषी हैं। आज तक उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? एक महीने से ऊपर हमको ज्ञापन दिये हो गये हैं क्यों नहीं कार्यवाही की गई, उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने मानसिकता से ग्रसित होकर यह कार्य किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, आपकी बात आ गई और आपकी मांग भी आ गई।

* श्री विवेक बंसल-

मान्यवर, आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 5-6 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो घटना घटित हुई वह न सिर्फ निन्दनीय है बल्कि आज जब हम सभ्य समाज की बात करते हैं, 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, इस किस्म का साम्प्रदायिक उन्माद जब देखने को मिलता है और इस स्तर पर कि जगह-जगह चाहे वह मऊ के दंगे की बात हो, चाहे लखनऊ दंगे की बात हो, चाहे अलीगढ़ दंगे की बात हो और खासतौर से इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए कि आज विधान सभा चुनाव समीप आ रहे हैं यह किस ओर इंगित करता है ? क्या यह साजिश है ? सुनियोजित साजिश है कि किस तरीके से वोटों का बंटवारा किया जाय, सत्ता में दोबारा आया जाय, मैं इस चीज पर आप सब लोगों की टिप्पणी जानना चाहता हूं, उसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी यह घटना घटित हुई, यह इस किस्म की घटना नहीं घटित हुई थी कि इतनी बड़ी वारदात होती, प्रशासनिक स्तर पर अदूरर्शिता दर्शायी गयी और न सिफ अदूरदिर्शता दर्शायी गयी बल्कि जब उन लोगों से बातचीत की गई तो वहां कोई घटना की जानकारी देने को उपलब्ध नहीं था और बाद में यह बताया गया कि हमें सैन्य बल और पुलिस प्रशासनिक बल उपलब्ध नहीं कराये गये। यह सब एक चिन्तन का इसलिये विषय है कि अलीगढ़ का इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि जब भी साम्प्रदायिक तनाव हुआ है और उन्माद की शक्ल उसने ली है, मैं यह आप लोगों से एक विनती करता हूं, विधान सभा में आज जहां सम्मानित सदस्य हैं, आप सब लोग हैं, इस पर हम सब लोगों को स्पष्ट चिन्तन करना होगा कि आज हम अपने नौजवानों की जो हमारे सामने पीढ़ी है उसे क्या विरासत में दे रहे हैं, हम उसे क्या शिक्षा दे रहे हैं ? एक तरफ हम कौमी सद्भाव की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनको दिखलाते हैं कि किस तरह से साम्प्रदायिक बलात्कार होता है, साम्प्रदायिक उन्माद होता है, जहां यह नहीं देखा जाता है कि इस बात पर लोगों का कत्ल किया जाता है कि कौन किस मजहब का है, कौन किस बिरादरी का है। आज सरकार की ढील की वजह से जिस तरह से अवांच्छित तत्व घूम रहे हैं, उनका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिन लोगों का इस दंगा को कराने में योगदान रहा वह दंगा कराने के बाद चले गये और उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही हुई ? जहां 30 से ज्यादा लोग बहुत ही गम्भीर रूप से घायल हुए और छः से ज्यादा लोगों की हत्या हुई, यह एक साम्प्रदायिक दंगा कहा जायेगा। जहां इसको एक स्वरूप दिया जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने सब्र दिखाया। और यह प्रशासनिक एक पुलिस बल का विशेष सम्प्रदाय के खिलाफ यह एक जिसे कहा जाना चाहिए कत्ले आम था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बार-बार यह कहा जाता है कि पुलिस की गोली घुटने के नीचे लगेगी और गोली चलने से पहले प्लास्टिक बुलेट चलेगी। पर यह जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है इसमें सब जगह सीने पर गोली लगी दिखायी गयी है और तब हत्या हुई है। मान्यवर, या तो पुलिस के ओरियेन्टेशन में, प्रशिक्षण में, कहीं कोई कमी है। पुलिस जो रक्षक है वह भक्षक बन रही है। इसके साथ ही साथ जो माननीय विधायक के बच्चे के साथ घटना हुई है वह बहुत ही निन्दनीय है चिन्तनीय है। मान्यवर, उस विषय को लेकर तो अलीगढ़ का गम्भीर रूप हो जाना चाहिए था लेकिन साथी विधायक के धैर्य और संयम की वजह से और सब्र की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सम्भवतः अपने समक्ष अलीगढ़ जनपद का व्यापक दृष्टिकोण रखा। हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। पर इस घटना की भी जांच होनी चाहिए।

मान्यवर, शासन स्तर पर घोषणा की गयी कि 5 -5 लाख रु0 और 1-1 लाख रु0 की सहायता दी जायेगी। मैं मांग करता हूं कि उस सहायता राशि को दुगुना किया जाय। मान्यवर, यह जो लोग मरे हैं और गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, यह निर्धनतम वर्ग से आते हैं। इसके अतिरिक्त, जिनकी दुकानें जली है जैसे विजय सोनी ज्वेलर की दुकान और फारूख कुरैशी की दुकान जली है तो उसमें जिला प्रशासन कहता है कि केवल जानमाल के नुकसान के सम्बन्ध में ही मुआवजा दिया जाता है। इन लोगों को भी मुआवजा देने की मांग मैं आपसे करता हूं। मान्यवर, इस पूरे प्रकरणों की सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मान्यवर, देखा यह गया है कि जिस समय दंगा होता है उस समय बड़ी-बड़ी बातें की जाती है लेकिन कुछ दिनों के बाद वह सब कुछ भुला दिया जाता है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि दोषी लोगों को इसमें सबक मिले और इसमें एक नजीर हमें स्थापित करनी पड़ेगी और यह साबित करना होगा कि उनको यह प्रदेश सरकार छोड़ने वाली नहीं है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज वहां से इन सब बातों से लोगों का ध्यान हटाने के लिये साम्प्रदायिक उन्माद से ध्यान हटाने के लिये आज अलीगढ़ में विकास की बात होनी चाहिए। नगर विकास मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वहां पहले डूडा से बहुत सारा पैसा आता था लेकिन अब कुछ सालों से वहां केवल चार पांच लाख रु0 ही आ रहा है। वहां अल्पसंख्यक बस्तियां भी हैं उनमें विकास के लिये विधायक निधि सक्षम नहीं होती है। वहां पर भी विकास की बात हो और एक स्पेशल पैकेज अलीगढ़ को दिया जाय। मैं पुनः कहता हूं कि इन सब मामलों की सी0बी0आई0 जांच हो और दोषियों के खिलाफ सुनिश्चित रूप से कार्यवाही की जाय। और, जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है इस बात को सुनिश्चत किया जाय कि उसमें निर्दोष लोग न फंसें।

मान्यवर, जब परिवार में कोई दुख या विपदा उत्पन्न होती है तो उस परिवार का मुखिया वहां पर पहुंच कर मलहम लगाने का काम करता है। यदि हमारे नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी भी वहां पहुंच जाते तो स्थिति बहुत जल्दी ही नियंत्रण में आ जाती। वे वहां नहीं गये।

श्री देवकी नन्दन-

मान्यवर, सबसे पहले जो यह साम्प्रदायिक दंगा प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा घोषित किया गया वह दंगा था ही नहीं। वह केवल पुलिस के लोग जो लूटपाट कर रहे थे उनके बीच का मामला था। मान्यवर, 8 तारीख को मेरे बेटे को कुछ लोग, जिन्हें मैंने रिपोर्ट में नामजद किया है, बुलाकर ले

गये और उसे उन दंगाइयों को सौंप दिया। एक आर0 पी0 एफ0 के इंसपेक्टर के सामने, जो निर्मल सिंह उसी दिन सस्पेंड हुआ था, घसीट कर ले गये और उसको गोली मार दी, चाकू मार दी और वहीं घायल करके फेंक दिया। उसके बाद वह अस्पताल गया। शासन ने या प्रशासन ने उसकी तस्वीर तक अखबारों में नहीं दी कि उस बच्चे को गोली मारी है, जो उसकी पहचान हो सके। 9 तारीख को मैं खोजता रहा, 10 तारीख को एक स्थानीय दैनिक जागरण में छोटा सा गर्दन कटा फोटो दिया उसको देखकर मैंने तुरन्त पहचान लिया। मैं डी0एम0, एस0एस0पी0 के पास गया मैंने कहा कि यह मेरा बेटा है इसे तुरन्त मुझे सौंपा जाय तो मुझे पता चला कि मुस्लिम रीति-रिवाजों के तहत उसको दफना दिया गया है। मैंने कहा डी0एम0, एस0एस0पी0 से कि वह मुस्लिम कैसे हो सकता है उसके हाथ में ॐ गुदा हुआ है, अभी 15 दिन पहले उसके बेटे का नामकरण हुआ था उसके हाथ में कलावा बंधा है उसके हाथ में विक्की लिखा है, उसको कैसे दफना दिया तो कोई जवाब नहीं दिया।

(माननीय सदस्य फूट-फूटकर रोने लगे)

मैं आपसे मांग करता हूं कि इतने सज्जन अधिकारियो के आगे मेरे बेटे को दफना दिया। मेरे बेटे के शव के साथ छेड़-छाड़ की गयी उसकी सीबीआई की जांच करवाने की कृपा की जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं सबसे पहले संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं अपने साथी विधायक की जिनके पुत्र के साथ एक तो हत्या हुई साम्प्रदायिक दंगे में और दूसरा एक भावना और संस्कारों के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण सदन उनके प्रति संवदेना व्यक्त करेगा और उनकी भावनाओं के साथ हम आपके दुख में भागीदार होकर कहना चाहेंगे। मान्यवर, प्रश्न सिर्फ यह उठता है कि उसी जनपद के एक विधायक के पुत्र के साथ अगर ऐसा अमानवीय व्यवहार होता है तो कहीं न कहीं लापरवाही तो है और कोई न कोई तो दोषी है। मान्यवर, बहुत विस्तार से हुकुम सिंह जी ने कहा है। मैं उन बिन्दुओं पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जानबूझकर अगर जानबूझकर नहीं किया तो ऐसी भयंकर लापरवाही की गयी है कि जो भी इसके लिये जिम्मेदार है उसके लिये किसी बड़ी लम्बी जांच की प्रतीक्षा किये बगैर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की घोषणा सरकार को इसी सदन में करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी अमानवीय घटनाएं न हों। इस घटना के संदर्भ में इतना कहना चाहूंगा कि माननीय विवेक बंसल जी ने विस्तार से कहा है कि वह स्थानीय विधायक हैं और उनकी तस्वीर हिन्दू मुस्लिम भाईचारे के रूप में वह जाने और पहचाने जाते हैं। उन्होंने पूरी बातों को बहुत कायदे से रख दिया है। मैं उनकी बातों के साथ अपनी बातों को स्वर देना चाहता हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में इसी सत्र में साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं। मान्यवर, मऊ दंगा हुआ हम लोगों ने बहुत कुछ कहा। मऊ दंगे में दो अधिकारियों की एक समिति बनाई गयी मेरी जानकारी में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है लेकिन वह सदन में नहीं रखी गयी है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि मऊ दंगे की जो रिपोर्ट है उसको हूबहू सरकार सदन के अन्दर रख दे जिससे कम से कम भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगायी जा सके।

मैं आपके माध्यम से यह अपील जरूर शासन से करूंगा अन्यथा ऐसी जांच को बैठालने का फायदा क्या होगा ? इसका संज्ञान हमें सदन में लेना होगा। इस संदर्भ में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कुछ साम्प्रदायिक शक्तियां सर उठा रही है। मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि जैसा विवेक

बंसल जी ने अभी कहा है कि साम्प्रदायिक दंगा नहीं है, साम्प्रदायिक दंगा बनाने की कोशिश हो रही है। पुलिस और लूटेरों के बीच जैसा अभी स्थानीय विधायक जिनके पुत्र के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है उन्होंने भी इंगित किया है। मान्यवर, मैं शासन से विनम्र आग्रह करूंगा कि जो विवेक बंसल जी ने मांग रखी है उसे पूरी किया जाय। मृतकों को दस लाख रुपये, जो घायल हैं उनको दो लाख रुपये और मान्यवर, एक गुलाम नामक व्यक्ति है जो माननीय विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं मान्यवर,इनकी हत्या वहीं उसी घटना में हुई लेकिन मुआवजा न मिले इसलिये कहा जा रहा है कि इनकी हत्या व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुई है। सभी जानते हैं कि जब साम्प्रदायिक तनाव होता है तो जिनकी व्यक्तिगत रंजिश होती है, वह भी साम्प्रदायिक तनाव के बीच दंगों के बीच अपना कार्य करते हैं। तो गुलाम की जिसने हत्या की है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये और उसको भी मुआवजा दिया जाना चाहिये, इसकी मैं शासन से पुरजोर मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय विधायक बंसल जी की बात पर बल देता हूं।

(श्री सुखदेव राजभर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका नोटिस में नाम नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपने देखा कि किस तरह एक विधायक रो कर यहां बैठे हैं।

(श्री राम करन आर्य द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर-व्यवधान)

आप बड़ी अच्छी वकालत मत किया कीजिये। बड़ी काबिलियत झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आप बैठिये। वह इस सदन के सदस्य हैं और अंतिम क्षण किस तरह से उनका गला भर आया। नोटिस से ही सब कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठें। आप जवाब आने दीजिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं भी इस मामले पर सी0 बी0 आई0 जांच की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी मांग आ गयी, आप बैठिये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी उम्मीद करता हूं कि गम्भीर मामला है और गम्भीरता से ही इसको लिया जायेगा। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई बहस नहीं है कि हमारे साथी के बेटे के साथ दर्दनाक हादसा पेश आया। इसीलिये लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि शान्ति बनी रहे, अच्छा माहौल रहे और भाईचारा बना रहे, प्यार-मोहब्बत रहे। इस घटना की जितनी भी निन्दा की जाय, कम है। जितना भी विधायक जी के इस हादसे के साथ हमदर्दी की जाय, वह भी कम है। इस एतबार से कि एक बाप के लिये अपनी औलाद के जनाजे से ज्यादा बड़ा कोई बोझ नहीं होता। इस बोझ को उन्होंने उठाया है। उसके दर्द को हमसे, सबसे कहीं ज्यादा वह महसूस कर सकते हैं और वह दर्द

उनकी आंखों से छलककर निकला भी है, इससे भी हम सबका मन भरा है। लेकिन अध्यक्ष जी, जहां से बात शुरू हुई, आज क्योंकि एक लम्बा अरसा गुजर गया, अलीगढ़ का माहौल काफी बेहतर हो चुका है। उन चीजों पर अब दुबारा मेरे ख्याल से बहस की आवश्यकता नहीं है। आज इल्जाम देने से एक दूसरे को और इस राख को कुदरने से, राख से चिनगारियां ही निकलेंगी और कहीं न कहीं असरात अलीगढ़ की गलियों पर फिर पड़ सकते हैं। जैसे-तैसे शान्ति स्थापित हुयी है। बात बहुत मामूली सी थी। मगर बस शायद इसी सदन में मैंने कहा था कि हमारे अन्दर सहनशीलता है, उन्हें सहनशीलता बढ़ाने की जरुरत है और जिनके पास सहनशीलता नहीं है, उनको सहनशीलता पैदा करने की जरुरत है। यह भी अहसास करने की जरुरत है कि बेटा किसी का भी हो दर्द वही होगा, जो दर्द विधायक जी को अपने बेटे का है वो जिनका यहां कोई नहीं है। उनके मा-बांप अपना दर्द कहने के लिये यहां आ नहीं सकते। लिहाजा यह दर्द उन सबका है,जो यहां अपनी बात नहीं कह सकते। सबसे ज्यादा आपका है, क्योंकि आप हमारे हैं,हमारे बीच हैं, आपका दर्द हमें सुनने और देखने को मिला है। लेकिन दर्द उनका भी है, जिनके सीनों पर सीधी गोलियां लगी हैं, अब वह किन हालात में लगी, मैं नहीं कहता। जितनी भी पूरे हालात की निन्दा की जाय, वह कम है और उन हालात को दोबारा न पैदा होने दिया जाय, इसकी कोशिश की जाय। हुकुम सिंह जी, कहीं ऐसा न हो, अक्सर मैं बड़े दिल से बात कहता हूं और उसके मतलब दूसरे निकाल लिये जाते हैं। यह विडम्बना है मेरे साथ। एक अंग्रेजी का लफ्ज है, अदरवाइज, उसको कह रहा हूं। अगर इसको अदरवाइज न लिया जाय तो एक बाप के लिये, अपनी औलाद के जनाजे, जिसको हम डेडबाडी भी कहते हैं, वह मिल जाय वह उसे देख लें, और रो लें तो यह भी उसकी तसल्ली के लिये बहुत काफी है, उसके कपड़े ही मिल जायें, उसकी कोई निशानी ही मिल जाय लापरवाही तो यकीनन इस मामले में हुयी है, इससे कोई इन्कार हो ही नहीं सकता। कोई इसमें बहस या सफाई देने की जरूरत है ही नहीं। जो हालात आपने बताये कि उसके हाथ पर ओम लिखा था, उसके बावजूद भी मगर इसकी तफसीस पे ना जाइये वार्ता हकीकत से पर्दा हट जायेगा। यह भी मेरे ख्याल से कुदरत की तरफ से एक बाप के लिए इनाम था कि दफ्न होने की वजह से कम से कम एक बाप को अपनी औलाद का जनाजा मिल तो गया। खुदा न करे अगर ऐसा होता कि लावारिस समझ कर यह लाश जला दी गई होती तो बाप को अपने औलाद का जनाजा रोने के लिये भी न मिलता। कुदरत ने शायद एक इन्तजाम मुहैय्या किया एक बाप को, उसके परिवार को अपने बेटे के जनाजे को देखने का और उसकी आखिरी रसूमात अपने धर्म के ऐतबार से अदा करने का यह बिल्कुल कुदरत का फैसला है इसमें मेरे ख्याल से किसी टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है न इस्लाम पर न हिन्दु धर्म पर। आपको मालूम है नेता सदन, प्रदेश के मुख्य मंत्री, इस मामले में बहुत गम्भीर रहे हैं। जहां तक सी0बी0आई0 जांच की बात है तो सी0बी0आई की जांचों के अंजाम हम देखते रहे हैं और सिर्फ इसलिए करा दी जाए कि यह एक ऐसी एजेन्सी है जिसका रिश्ता केन्द्र सरकार से जुड़ा हुआ है, तो यह कोई औचित्य नहीं है कि केन्द्र सरकार से जुड़ा है इसलिए जांच करा दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार, उसकी जांच एजेंसियां सक्षम हैं, न्याय दिलाने के लिये मैं समझता हूं कि इस मामले को पूरी संवेदना और भावुकता के साथ लिया जायेगा और पूरा न्याय होगा।

श्री प्रमोद कुमार-

जो मांग की गई थी, उसको गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री हुकुम सिंह-

जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा उसी में एक बात जोड़ना चाहता हूं। जांच हमने इसलिये कही कि हमारे ज्ञापन में जो हमने महामहिम राज्यपाल जी को दिया, स्पष्ट रूप से उल्लेख है आई0जी0 जोन के बारे में। और उसमें एक आरोप है उनके कारण से यह दोनों घटनाएं हुई हैं। आई0जी0 जोन, चूंकि उसी जोन के आई0जी0 हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आरोप-प्रत्यारोप के लिए तो यह कहा जा सकता है लेकिन कुछ लोग बदनाम हो सकते हैं अपनी किसी खास वजह से बदनाम किये जा सकते हैं। लेकिन ख्वाजा हलीम साहब की जहां तक ख्याति है, पहचान है लोगों में और जिस तरह से वह जाने जाते हैं जो उनकी कार्यप्रणाली है जो उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी है, जो उनका अलीगढ़ का माहौल है, उसके बारे में कम से कम यह इल्जाम, कि उन्होंने किसी योजना के तहत ऐसा षड्यन्त्र कर लिया हो, मेरे ख्याल से यह बात सही नहीं है और अपने किसी साथी पर सिर्फ इसलिए कि वह उस दल का है, जिसकी आज सत्ता है, सत्ताएं बदलती हैं मान्यवर, और अगर हम अपने साथियों पर और खास तौर से, अपने मंत्री साथियों पर ऐसे हकीर इल्जाम लगाने लगेंगे तो व्यवस्था का ही नुकसान होगा, व्यक्ति का नहीं। जिस अधिकारी आई0जी0 कानपुर के बारे में आपका कहना है उस अधिकारी की ख्याति भी ऐसी नहीं है, अच्छे अधिकारी की ख्याति है और मेरे ख्याल से यह दोनों इल्ज़ामात बिल्कुल निराधार हैं और हुकुम सिंह जी इसके बारे में एक बार अवश्य विचार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

सभी की ख्याति ठीक है, ख्याति तो मान्यवर, हमारी खराब है। कहीं न कहीं बुराई हममें है, मान्यवर, हमारा 25 साल का बेटा मारा गया, सबूत हमारे सारे मौजूद हैं पंचनामे में पुलिस के दर्ज हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज हैं, इसके बावजूद भी दोनों सरकारी एजेंसी हैं जो, यह दोनों सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उसके हाथ में ओम का निशान है। इसके बावजूद भी अगर उसे दफनाया जाता है तो यह चूक नहीं है, यह साजिश है, और अगर यह साजिश है तो कोई दरोगा लेबिल की साजिश नहीं है, यह ऊपर के लेबिल की साजिश है तो मैं कैसे मान लूं कि इंसाफ होगा। हमने नाम लिखे हैं उन लोगों के, जो उसको घर से बुलाकर ले गये तो मैं क्या यह उम्मीद कर लूं कि इस आई0जी0 के होते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी ? नहीं हो सकेगी, आखिर कहां जायेंगे वह, कोई दरवाजा हमारे लिये बचा है, अगर हमें विश्वास हो जाता मान्यवर, कि इस चूक के बाद जहां आपने और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है क्या वह आई0जी0 सस्पेंड होने के योग्य नहीं है। ख्याति कुछ भी हो उसकी, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक मानसिकता के तहत वह काम कर रहा था और उसी कारण से उसको मुसलमान बनकार दफ्ना दिया

गया, ऐसी मानसिकता थी, उसके मन में। इसलिए उस आई0जी0 के रहते हुए हमें इंसाफ नहीं मिल सकेगा, यही मेरा कहना है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, एक बिन्दु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस थानेदार को सस्पैंड किया गया जिसके सामने घटना हुई, वहां पर क्या वही जिम्मेदार था और प्रशासन का कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था ? मान्यवर, ये अभी तक दंगे जहां-जहां हुए हैं, सी0बी0आई0 से भय है तो वहां न्यायिक जांच बिठा दें। जहां भी घटना हुई है जांच बैठायी गयी है, सदन में रिपोर्ट नहीं पेश हुई है, अधिकारियों की समिति बना दी गयी, क्या रिपोर्ट दिया, अखबार में छप जाता है, रिपोर्ट इस सदन में पेश नहीं होती है। कभी हम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि रिपोर्ट में क्या बात आयी है। विषय उठाये जाते हैं क्या यह काफी नहीं है कि एक आदमी जो क्लेम कर रहा था दफ्नाते वक्त कि ये मेरे परिवार का बच्चा है, वह अपराधी नहीं है। केवल मुआवजा लेने के लिये कि उसका पैसा मिल जाए, जाहिर है कि जानबूझकर एक ऐसा षडयंत्र था और जिसे एकतरफा हुकुम सिंह जी ने कहा कि एकतरफा दंगे का रूप दिया जा रहा था। उसे बनाये रखने के लिए यह किया गया लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो अधिकारी वर्ग दोषी है, उसकी जांच कोई अधिकारियों की कमेटी नहीं कर सकती। सी0बी0आई0 की जांच नहीं मानना चाहते हैं तो न्यायिक जांच बिठायी जाए, न्यायिक जांच में कोई आपत्ति नहीं है। उसमें केन्द्र का कोई दखल नहीं होगा। किसी सिटिंग जज को दे दें और एक समय-सीमा तय कर दें उसमें वह रिपोर्ट दे दें यह तथ्य आना चाहिए कि सारे प्रदेश में क्या हो रहा है, विध्वंस की तरफ हम जा रहे हैं। लखनऊ का सबसे बड़ा बाजार अमीनाबाद है, वहां अरबों रुपये का माल भरा था, सब जलकर राख हो जाता। अमीनाबाद में लोग बिलावजह पागलों की तरह इकट्ठे हो गये। बिना प्रशासन की अनुमति के जुलूस निकला था, यह सब हो रहा है और हम मूकदर्शक होकर देख रहे हैं। गोलियां चल रही है, पत्थर चल रहे हैं, फोर्स खड़ी है आदेश देने वाला कोई नहीं है। क्या कारण है कि राहगीरों को, जनता को अपनी जान की रक्षा खुद करनी पड़ती है, किसलिए सरकारें होती हैं ? सरकार की जिम्मेदारी होती है नागरिकों के जानमाल की रक्षा करना। जब जानमाल की रक्षा नहीं कर सकते तो सरकार काहे की। ये लगातार घटनाएं प्रतिदिन चली जा रही हैं और इससे जो लोग यह सोचते हैं कि उन्माद को भड़काने के बाद कोई वोट का लाभ हो सकता है तो सभी समझ रहे हैं कि हमको जानबूझ करके मरवा रहे हैं, यह आम चर्चा रहती है। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर नियंत्रण कर लिया जाए तो सारी चीजें ठीक हो जायेंगी। जिनका नाम आया है क्या उन पर कार्यवाही हुई ? अगर उन पर कठोर कार्यवाही हो जाती, जिसने क्लेम किया था कि यह बच्चा मेरे परिवार का है उसको सलाखों के पीछे कर दिया जाता तो मालूम होता कि प्रशासन में संवेदनशीलता है। इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर सब कुछ कराया और प्रशासन इसमें भागीदार रहा और उच्च स्तर पर रहा है क्योंकि यह बात तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके ऊपर कोई बड़ा हाथ न हो। इसलिए जो यह घटना है इसमें जिन लोगों का नाम आया है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री देवकी नन्दन-

मान्यवर, एक बात मुझे कहनी है। इसमें एक बन्नेखां नाम का आदमी है जो पंचायतनामे में है, शुरू से आखिर तक वह डेड बाडी के साथ मौजूद रहा। उसने ही जिस तरह से सांठगांठ की और उसको मुस्लिम बनाने का प्रयास करके दफन करवाया। जब तक मेरा बेटा खत्म हुआ, जबसे उसको चोट लगी वह साथ रहा और पंचनामा होने तक वह उसके साथ रहा है। उसको पूरी जानकारी थी कि यह बच्चा हिन्दू है और वह उसका क्लेमर बनकर आया और पंचनामे में भी रहा। लेकिन आज तक पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की है कि आपने कैसे क्लेम किया। वह पंचनामें में साथ रहा, मुझे लगता है कि यह सब साजिश है पुरी तरह से रची हुई है। एक बात और कहता हूं कि जब डेड बाडी मेरे घर आयी अध्यक्ष महोदय, 10हजार लोगों की भीड़ थी, माननीय विवेक बंसल जी मेरे घर आये। बेचारे विवेक बंसल को भी जनता ने ईंट पत्थर मार कर भगा दिया। डी0एम0, एस0एस0पी0 मेरे हाथ जोड़ रहे थे। कहते हैं कि भा0ज0पा0 साम्प्रदायिक है, मैं उस पार्टी का विधायक हूं, साम्प्रदायिक नहीं है भा0ज0पा0। मान्यवर, मैं स्वयं आया और आकर मैंने कहा कि मुझे दंगा नहीं चाहिए मेरा बेटा तो चला गया। हाथ जोड़कर मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए दंगा, मेरा बेटा चला गया। भा0ज0पा0 का मैं विधायक हूं अगर दंगा भड़कता है तो फिर यह सरकार हम पर आरोप लगायेगी। भा0ज0पा0 पर। इसलिये मैं यह भी कहता हूं भा0ज0पा0 का होते हुए कि साम्प्रदायिकता में मैं विश्वास नहीं रखता और न मेरी पार्टी रखती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह तो बिल्कुल सच है, जांच हो रही है, यह कारण जरूर मालूम हो जायेगा कि हत्या कैसे हुई थी। अब मैं यहां नहीं कहना चाहता क्योंकि माहौल दोबारा से खराब हो जायेगा उन तथ्यों पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी, जांच में।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, सी0बी0आई0 से जांच की मांग की लेकिन सरकार तैयार नहीं है, तैयार होगी भी नहीं। अज्ञात भय इनको सता रहा है कि अगर किसी मामले में या उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना को सी0बी0आई0 को सुपुर्द कर दिया तो इनके विरुद्ध रिपोर्ट आयेगी। सरकार कटघरे में खड़ी होगी। टण्डन जी ने अनुरोध किया, अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा ली जाय, इस पर सरकार तैयार नहीं है। किस स्तर पर जांच हो रही है ? मान्यवर, आई0जी0 की भूमिका अलीगढ़ के दंगों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम सब दूसरे दिन से दोहरा रहे हैं कि उनके जाने के बाद किस तरह से अलीगढ़ में बहुसंख्यक समाज का उत्पीड़न हुआ, निर्दोष बहुसंख्यक समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उनके खिलाफ फर्जी धारायें लगायी गयीं। हमारी मंडल अध्यक्ष एक महिला हैं उनको जेल भेजने की कोशिश की गई, जेल भेजा गया। जिस मंदिर के झगड़ों की बात माननीय हुकुम सिंह जी ने कही, वहां दिखा दिया गया कि उसने गोली चलायीं समाजवादी पार्टी के एक प्रसिद्ध नेता ने जाकर दुकानों को लूटने का प्रयास किया। सलीम बरफवाले ने जाकर मंदिर में पूजा में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया। आप क्या जांच करेंगे सरकार तो हर चीज में साम्प्रदायिकता के लिये आदी है। मऊ में बहुसंख्यक समाज के आदमी को मारा जायेगा तो मुआवजा एक लाख रुपये,

अल्पसंख्यक समाज का आदमी, पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जब गोली चलायी उससे मारा जायगा तो उसके लिये 5 लाख रुपये का मुआवजा। तो यह सरकार कहां जा रही है ? क्या इनसे हम उम्मीद करेंगे कि यह निष्पक्ष जांच करायेंगे। यह निष्पक्ष जांच नहीं करायेंगे। मेरा अनुरोध है कि एक बार जैसे मैंने उसी पीठ पर बैठकर अफजाल अंसारी साहब के मामले में हाईकोर्ट के जज से जांच कराने का निर्देश दिया था, किसी विधायक के बेटे को इस तरह से मौत हो जाय और उसी के साथ उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाय उसी तरह से जांच कराई जाय। यह मामूली बात नहीं है। विधायक जी ने संयम बरता है। इन्होंने अलीगढ़ के माहौल को बनाने में, सुधारने में सहायता की। इनके संयम की हम सब तारीफ करते हैं, सदन में भी तारीफ करते हैं। लेकिन इनकी पीड़ा को कोई सुनेगा ? इनको जो आघात हुआ है, इनके परिवार को जो आघात हुआ है क्या एक जांच नहीं हो सकती है उसके लिये ? जांच अगर पुलिस का अधिकारी करेगा, जिले का अधिकारी करेगा तो कुछ नहीं होगा। इस आई0जी0 की पृष्ठभूमि कैसी है, आज कानपुर जो आई0एस0आई0 का अड्डा बन गया है, जो वहां आतंकवादियों ने अड्डे बना लिये हैं उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? आई0जी0 कानपुर जिम्मेदार हैं। इसलिये उनकी देखरेख में, उनके वहां रहते हुए चाहे कोई जांच हो, निष्पक्षता सामने नहीं आयेगी पारदर्शिता सामने नहीं आयेगी। इसलिये मेरा सुझाव है, अनुरोध है कि आप किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस सारे प्रकरण की जांच कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इस मामले में मैं मुख्य मंत्री जी से और नेता विरोधी दल से वार्ता करूंगा।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल और मुख्य मंत्री जी से वार्ता करके इसका समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। यह बात यहीं खत्म होती है। जल्दी में एक आइटम रह गया था मद संख्या-2 को पहले ले लें।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप जैन जी विद्युत कटौती की समस्या के सम्बन्ध में क्या कहना है।

* श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

अध्यक्ष जी, आपने बुन्देलखण्ड की विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आजादी के आन्दोलन में बुन्देलखण्ड ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। लेकिन आज पूरे प्रदेश में बुन्देलखण्ड सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है। यहां पर साल में एक फसल होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में तीन-तीन फसलें होती हैं। यहां पर किसान पलायन कर रहा है यहां पर अकाल की स्थिति है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़ और सूखे के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त है। बिजली की अघोषित कटौती से बुन्देलखण्ड का जनजीवन बाधित है। यहां पर विद्युत का उत्पादन होता है पारीक्षा में 110-110 मेगावाट की दो इकाइयां हैं। माता टीला में 30 मेगावाट बिजली बनती है, राजघाट में 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अंश न देने के कारण हमें 1/3 भाग बिजली राजघाट की नहीं मिल पाती है। झांसी जिले में 24 घंटे बिजली मिले इसके लिये 80 मेगावाट बिजली चाहिए लेकिन झांसी में 5-7 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। जिससे जनमानस आन्दोलित है और जगह-जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग भुखमरी के कगार पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र हो, चाहे गरौटा विधान सभा क्षेत्र हो यहां पर हफ्ते-हफ्ते बिजली नहीं आती है। एपी0डी0आर0पी0 योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है जिससे शहर में रोस्टर के बावजूद बिजली नहीं मिलती है। बिजली अधिकारी अपना अड़ियल रवैया अपनाये हुए हैं। आम जनता पर प्रदर्शन करने पर मुकदमें लाद दिये जाते हैं। मैं 7 अप्रैल को 220 के0वी0 हजारी सब स्टेशन पर गया था। वहां पर मेरे साथ कुछ और लोग भी थे दो दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर 40 लाख की क्षति का मुकदमा दर्ज कर लिया गया जबकि मौके पर तैनात अवर अभियन्ता आर0पी0 गौतम ने स्वयं एक पत्र उप महाप्रबन्धक सिस्टम को लिखा है कि मौके पर एक धेले की क्षति नहीं हुई है लेकिन उस अधिकारी आर0के0 मिश्र ने रिपोर्ट कराई है जो कि मौके पर मौजूद नहीं था यह प्रदर्शित करता है कि मेरी आवाज को कि मुख्य मंत्री और मंत्रियों के क्षेत्रों में बिजली दी जा रही है दूसरे क्षेत्रों में कटौती की जा रही है दबाने के लिये यह कार्य किया गया है जबकि मेरी आवाज दबेगी नहीं चाहे कितने मुकदमें कायम कर लिये जायें। उस स्थिति के पश्चात् हम लोग वहां से चले गये। हमको ज्ञात हुआ, हमारे ऊपर साथियों के ऊपर 40 लाख रुपये की क्षति का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस समय वहां पर अवर अभियन्ता आर0 बी0 गौतम तैनात थे। पेपर के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से उप महाप्रबन्धक पंचम तल शक्ति भवन को एक पत्र दिया कि वहां पर एक ढेले का नुकसान नहीं हुआ है। आपका फीडर बन्द हुआ है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। मान्यवर, दो दिन बाद आर0 के0 मिश्रा जो उस दिन वहां मौजूद नहीं थे, मेरे और 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मान्यवर, क्या हम लोग बिजली पानी या किसी जन समस्या के लिये आवाज नहीं उठा सकते।

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गयी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन के अध्यक्ष हैं, अगर मैं अपराधी हूं तो मुझको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? अगर मैं अपराधी नहीं हूं तो जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ झूटी रिपोर्ट लिखवाई है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मान्यवर, एक महीने पांच दिन से ज्यादा हो गया, मैं अधर में लटक रहा हूं। किसी जन प्रतिनिधि के ऊपर 40 लाख तो क्या 40 करोड़ का झूठा मुकदमा लिख दिया जाय और जो जन सुविधाएं मिलनी चाहिए वह न दी जायं। मान्यवर, मैं एक जनप्रतिनिधि आपके सामने अपनी बात कर रहा हूं मेरे साथ इस तरह का मामला है तो मान्यवर, एक आम आदमी के साथ क्या होगा ? हमें मुकदमा मंजूर है लेकिन हमें बिजली चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

मान्यवर, मैंने पूर्व में भी सदन में कहा था कि हमारे झांसी एवं बुन्देलखण्ड में बिजली का बहुत संकट है। अगर मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की बिजली की समस्या के लिये मरना-मारना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। मान्यवर, 35 दिन होने के पश्चात् या तो मेरे खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए या फिर उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिसने झूटी रिपोर्ट करी है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जायं। आप एक ही बात को बार-बार दोहरा रहे हैं। अब आपकी बात आ गई है। सरकार का जवाब तो आ जाने दीजिये।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मान्यवर, यह सत्य है कि पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। उसको केन्द्र सरकार ने भी स्वीकार किया है और गम्भीरता से लिया है। वहां के ऊर्जा मंत्री से भी बात हुई है और उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बंटवारे के कारण भी समस्या पैदा हुई है। बंटवारे के समय जो तय हुआ था कि उत्तरांचल सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश को पहले देगा अन्य राज्यों को बाद में लेकिन वो अन्य राज्यों को विद्युत पहले दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को बाद में। मान्यवर, हमने कहा है कि जो नीतिगत तय हुआ था उसके अनुसार हमको मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं स्थिति आपके सामने इसलिये रख रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि मंत्रियों के क्षेत्र में बिजली आ रही है। मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार की गम्भीरता को देखना चाहिए कि किस तरह से विद्युत संकट का सामना हमको करना पड़ रहा है। 14 साल बाद पहली बार इस सरकार ने निर्णय लिया है, प्रदेश में नई यूनिट्स बिजली की लगाई जा रही है जिससे विद्युत उत्पादन बढ़े। आपके पारीछा में ही 210 मेगावाट की यूनिट्स लगाई गई हैं। मान्यवर, जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि जनता का श्रेय लूटने के लिये कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि भीड़ के साथ चलने का मतलब नेता नहीं होता। जिसके कहने पर भीड़ चले वह नेता है। अगर आप सब

स्टेशन को जला दें तो आपको इसलिये छूट दे दें कि आप नेता है। कानून सबके लिये बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप विधायक हैं तो आप कानून अपने हाथ में ले लें। अगर हमने छूट दे दी तो विद्युत विभाग में एक भी कर्मचारी काम नहीं कर पायेगा। कोई कर्मचारी फील्ड स्तर पर काम नहीं कर पाएगा। कर्मचारियों का दोष नहीं है। सिस्टम में कितनी बिजली कहां देनी है उस आधार पर चल रहे हैं। उस आधार पर जिन लोगों ने कर्मचारियों की रिपोर्ट की उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। माननीय विधायक जी को ध्यान देना चाहिए कि एक महीना हो गया कार्यवाही नहीं की गई इसलिये कार्यवाही नहीं की गई, भविष्य में सुधार आ जाए। चूंकि सदन में बात उठाई गई है इस मामले पर सरकार गम्भीर है इसको दिखवाया जा रहा है जो सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी यह सदन को विश्वास दिलाता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी ने घुमाया फिराया है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो घनिष्ट मित्र हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

दो मिनट सुन लें। इसका समाधान होना चाहिए। मान्यवर, एक जे0ई0 का पत्र है उसको पढ़कर सुनाता हूं। चार लाइन है इनके शान्तिपूर्ण विरोध का उद्देश्य को जानकर प्रार्थी ने उन्हें इस तकनीकी ज्ञान से अवगत कराया कि पारीक्षा फीडर के मुख्य स्विचों को आफ कर देने से सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में अंधेरा व्याप्त होगा। इन परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारी स्वतः सम्पर्क साधने को विवश होंगे, जो असंतोष और क्रोध की दिशा परिवर्तित हो जाने के कारण कीमती उपकरणों की क्षति होगी वह नहीं होगी तथा माता टीला पावर हाउस से उत्पादन शून्य होने के कारण माता टीला पावर हाउस की विद्युत ऊर्जा नियत रहेगी जिससे राजकीय नुकसान शून्य है।

जब इन्होंने कहा साम्प्रदायिक प्रदर्शन करने आये हैं तो उन्होंने तकनीकी ज्ञान मुहैया करा दिया। इस फीडर को गिरा देंगे तो पूरे बुन्देलखण्ड में बिजली चली जायेगी। सारे उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो जायेगा यह आपने नहीं किया। हमने नहीं किया । कैसे कह दें आपने किया लेकिन आपने कहा शांतिपूर्वक प्रदर्शन लोकतंत्र में होता है। इन्होंने विरोध किया। हमारे सम्मानित विधायक यह हैं, युवा हैं। एक ऐसी समस्या के लिये यह प्रदर्शन कर रहे थे, इनके कोल्ड स्टोरेज की बिजली कट गई या उनका उद्योग नहीं चल रहा है इस कारण यह प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। यह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये गये थे तो क्या सरकार को किसी जे0ई0 की तरह इनके साथ व्यवहार करना चाहिए था। बताओ कोई स्विच जिससे मुकदमा गिर जाए। स्थिति सामान्य हो जाये। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा। इस मुकदमें को वापस लिया जाए और शान्तिपूर्वक जिन कारणों के लिये माननीय जैन साहब, जिन उद्देश्यों के लिये विरोध दर्ज कराने गये, झांसी बुन्देलखण्ड में ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए, मैं शासन से चाहूंगा कि इस मुकदमें पर विचार करके इस मुकदमें को वापस लिया जाए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

स्वीकार किया है कि एक महीने से ऊपर हो गया है कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसका मतलब हम उन चीजों को दिखवा रहे हैं। जांच निष्पक्ष चल रही है। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जैसा कह रहे हैं जे0ई0 ने पत्र लिखा तो इसका मतलब इन्टैंशनली आ गया यह वहां गये तोड़फोड़ की नियत से गये तभी जे0ई0 ने समझाया वरना वह क्यों समझाता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ध्यान आकृष्ट हो गया है विचार कर लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विचार कर लेंगे जो ज्यादा से ज्यादा सम्भव होगा। वह कर देंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

अग्रवाल होने का मतलब यह नहीं कि हर जगह डंडी मारोगे। आप एक काम कर लें इनकी भाषा सुनें, शिवपाल जी बोलते तो ठीक बोलते, नरेश बोल रहे हैं तो डंडी मार रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके साथी हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

इसलिए समझ रहा हूं यह कह रहे हैं देखेंगे। कम से कम मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होंगे यह इन्टैंशन आप जुर्माना करा दें। शासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विधायक का मामला है वह तोड़ सकते थे, जला सकते थे अधिकारियों को मार सकते थे अगर इन्होंने स्विच आफ कर दिया इससे आप आंकलन कर रहे हैं इतनी देर बिजली आती तो चालीस लाख की क्षति होती इस पर मुकदमा कायम करना उचित नहीं है। मैं माननीय शिवपाल जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह यह मुकदमा वापस ले लें।

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

अध्यक्ष जी, मेरा प्रयास है कि बिजली का संकट दूर हो, लेकिन इसमें अभी बहुत समय लगेगा। जहां तक विधायक जी का मामला है, विधायक जी भी बिजली के मामले में सहयोग करें, ऐसा नहीं कि अव्यवस्था पैदा करें। लेकिन यदि सहयोग करेंगे तो उनका मुकदमा वापस ले लेंगे।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। फिर मामला उठा रहे हैं, आप बैठ जाइये। मैं इस सूचना को अग्राह्य करते हुए शासन को वक्तव्य देने के लिये निर्देश देता हूं।

अब तीसरी सूचना है-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुखदेव राजभर, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री ओम प्रकाश

(ओ0पी0 सिंह), श्री राजेश कुमार, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री राम शंकर पाल, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामहेत भारती, श्री बृजेन्द्र व्यास उर्फ डमडम महाराज और श्री राम इकबाल सिंह की, यह बिजली से सम्बन्धित था, इस पर मैंने पहले ही कह दिया है कि इस पर एक घण्टे की चर्चा करा देंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद के अन्दर एक आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज है, उसके प्रधानाचार्य श्री उदय नारायण त्रिपाठी जी हैं, हमारे विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं। वह 4 मार्च को सायं 5 बजे अपने स्कूटर से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखाकार लालजी चौधरी के निवास बेली कालोनी गये, उन्होंने उनसे 38 हजार रुपये प्राप्त किये और लगभग 7.00 बजे और 8.15 बजे के बीच वहां पर थे। किसी ने उनके मोबाइल फोन पर 3 बार फोन किया, मैं नम्बर बता देता हूं, नम्बर है-9415648806, तीन बार फोन किया और उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि अभी आता हूं। सवा आठ बजे त्रिपाठी जी वहां से निकले। साढ़े आठ बजे उनके पुत्र ने उनको फोन किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आधे घण्टे में घर पहुंच रहे हैं, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी ने 9.00 बजे उनको फोन किया, तब स्विच आफ था। जब काफी रात हो गई तो घर वालों को चिन्ता हुई, उनकी खोज शुरू हुई लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगा तो वहां के कैन्ट थाने को लोग गये उसकी फिर 5 तारीख को एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। मैं भी त्रिपाठी जी के परिवार से मिलने गया, जिलाधिकारी को फोन किया पुलिस अधिकारियों को फोन किया। मान्यवर, जिसने तीन-तीन बार त्रिपाठी जी के मोबाइल पर फोन किया हो, क्या उसका पता नहीं लग सकता है कि किसके मोबाइल से वह फोन किये गये थे। त्रिपाठी जी बहुत ही सीधे-साधे व्यक्ति हैं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने श्री त्रिपाठी को पता लगाने के लिये क्या प्रयास किये हैं और आगे क्या कार्यवाही कर रहा है, यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, जो इलाहाबाद के एक कालेज के प्रधानाचार्य का अपहरण हो गया है, उसके बारे में कोई सूचना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पूरी सूचना मांग ली जायेगी और कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

इसको मैं वक्तव्य के लिये कह दे रहा हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इसी सत्र में आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसी सत्र में आ जायेगा।

अब अगली सूचना श्री कपिल देव यादव की है।

* श्री कपिल देव यादव-

अध्यक्ष महोदय, ब्लाक प्रमुखी का चुनाव हो रहा था, 27 तारीख को चुनाव होने वाला था, एक ब्लाक प्रमुख, मनोज राय है, उनके परिवार के व्यक्ति का जब से पंचायती राज कायम हुआ है, तब से कोपागंज ब्लाक पर उनका बर्चस्व रहा है। मैं भी चुनाव लड़ा करता था, तो हमेशा-हमेशा वह मुझको हराया करते थे। उनके मन में यह टीस थी कि अबकी बार आरक्षण के तहत कोपागंज ब्लाक की सीट बैकवर्ड महिला हो गयी थी। शुरू से ही जब से बी0डी0सी0 का चुनाव हुआ वह स्लोगन देते रहे कि कोपागंज ब्लाक में रहना है तो मनोज राय, मनोज राय कहना है। मान्यवर, जबरदस्ती उन्होंने अपने बी0डी0सी0 सदस्यों को जिताया और उनके मन में यह भावना थी कि अबकी बार भी मैं अपने चहेते को खड़ा करके जीतूंगा। एक उम्मीदवार खड़ा कराया जो उनकी पार्टी का था और धन बल के साथ लगकर चुनाव प्रचार करना शुरू किया। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। जैसे प्लेयर खेल के मैदान में उतरता है लड़ता है और आपस में भाईचारे का व्यवहार करता है। उस तरह से मैं चुनाव हमेशा लड़ा हूं और अबकी बारी मैं लड़ रहा था। उनकी गुण्डागर्दी और उनका बर्चस्व को लेकर उनकी मंशा यह थी कि कपिल देव यादव की पुत्रवधु को मैं कतई इस कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगा। इस तरह की भावना उनके मन में शुरू से बनी हुई थी। 20 तारीख को मैं अपने भाई और कुछ साथियों के साथ वहां पर एक कस्बा टाइप का गांव है मोहम्डन बाहुल्य गांव है उसमें मैं प्रचार करने गया था बी0डी0सी0 के सदस्यों से सम्पर्क कर रहा था। मैं इस सदन में शपथ खाकर कह रहा हूं कि मैं उनसे एक शब्द भी नहीं बोला, मेरी उससे तू-तू मैं-मैं भी नहीं हुई। एक हमारा बी0डी0सी0 का सदस्य था उससे मैं बात कर रहा था उसने कहा कि चलिए चला जाये आपके साथ और हम जा रहे थे कि उसने एक फायर खोल दिया और अंधाधुंध फायर हुआ। हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी। मुझे निशाना बनाकर के वह फायर कर रहे थे, इसको मार दिया जाये ताकि इसकी पुत्रवधु यह चुनाव जीत न सके। मैं किसी तरह से सीट के नीचे बैठा और मेरे 6 समर्थकों को चोटें आई और मेरा 18 साल का एक भतीजा था उसको गोली लगी और वह आज भी वह मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिन्दगी और मौत से लड़ रहा है। आज भी वह मरणासन्न है। इतने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति नहीं आया। मैंने एडिशनल एस0पी0 को फोन किया तो एडिशनल एस0पी0 आया। तब तक गोली लगी हुई थी तो मैं अपने मरीज को लेकर गया। आज स्थिति यह है कि उनकी गुण्डागर्दी और आतंक से पूरी जनता आक्रोशित है। 20 तारीख की यह घटना है 27 तारीख को चुनाव हो रहा है वह व्यक्ति लगातार कन्वेसिंग करता रहा। मैं पुलिस अधीक्षक और तमाम अधिकारियों से फोन पर बात करता रहा लेकिन उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। गाजीपुर से और बिहार से उसने कुछ अवांछनीय तत्व मंगाकर वह अपने घर रखे हुए है और उसके डर से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मैंने फोन से जब सी0ओ0 से कहा कि आप उसे पकड़िये तो उसने कहा कि मैं आपके डर के मारे उसको छेड़ नहीं रहा हूं कि अगर मैं उसको छेड़ूंगा तो वह आपके ऊपर इतना करेगा कि वह आपको जान से मार डालेगा। अब मैं कहां तक यह व्यथा व्यक्त करूं। मैं एम0एल0ए0 हूं इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये और उस अपराधी को तत्काल बन्द किया जाये और इसके साथ ही साथ 5 वर्ष के उसके कार्यकाल में जो धन जनता के विकास कार्य के लिये दिया गया था उसको उसने अपने निजी संसाधन में उपयोग किया है उसकी जांच की जाये। यह मेरी तीन मांगें हैं। मान्यवर, मैं बहुजन समाज पार्टी का हूं वहां से मेरी बहू प्रत्याशी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय यादव जी, क्या ब्लाक प्रमुख चुन ली गयी ?

श्री कपिल देव यादव-

मान्यवर, 27 तारीख को चुन ली गयी।

श्री अध्यक्ष-

उनसे कहें जांच कराने का अधिकार है पुराने कामों का, तो जांच करा लें।

श्री कपिल देव यादव-

ठीक है, मान्यवर, जांच करा लेंगे। लेकिन शासन से मांग मैं कर रहा हूं कि जांच किया जाय और मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कपिल देव जी ने जिस घटना का उल्लेख किया है और जितनी गम्भीरता से बात रखी है। सचमुच लोकतंत्र के लिए इससे गम्भीर बात नहीं हो सकती है कि चुनाव के दौरान आतंकित करने के लिए पहले धमकियों का सहारा लिया जाय और बाद में ऐसी स्थिति आये कि हत्या करने का प्रयास किया जाय यह बात नितान्त गम्भीर है और इसको हम गम्भीरता से लेते हैं। हम इसकी गम्भीरता को कतई कम नहीं करना चाहते थे इसलिए थाना कोपागंज में मुकदमा संख्या-497/6 अन्तर्गत धारा-147, 148, 149, 307 आई0पी0सी0 व 7 क्रिमिनल अमेन्डमेंट ऐक्ट में मनोज राय इत्यादि के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ। नौ के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ और पांच अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया बाकी चार के खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। गैंगस्टर ऐक्ट लगाने की कार्यवाही की जा रही है। इसलिए सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में जितनी भी गम्भीरता से इन अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी थी उसमें कोई शिथिलता नहीं बरती गयी है माननीय कपिल देव जी ने इसका आपेक्ष भी नहीं किया है। मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता था लेकिन चूंकि माननीय सुखदेव राजभर जी बैठे हैं, ध्यान रखना चाहिए, पिछले विधान सभा चुनाव में नत्थुपुर विधान सभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रत्यासी बनाया। जिस मनोज राय का जिक्र कर रहे हैं उसे बहुजन समाज पार्टी ने घोषी से उम्मीदवार बनाया। अब यह अगर बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को विधान सभा में लड़ाने का काम करेगी तो बेशक वह ब्लाक प्रमुख होकर रह गये विधायक नहीं हो पायी, तो यह तो भला हुआ कि नहीं चुने गये अन्यथा अगर यह सचमुच में चुन लिये गये होते तो यह 307 हुआ, पता नहीं कितनी हत्याएं वह कर डालते। परिवार का आदमी कुछ बचता छोड़ते कि नहीं छोड़ते इसलिए बहुजन समाज पार्टी को इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को इतनी मान्यता देने का काम और उनको विधायक बनाने के लिए टिकट देने का काम न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह पार्टी के भीतर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का भी मामला है। हमारी दृष्टि पूरी तरह से गम्भीरता से इस पर है हम पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है कपित देव जी को दो गनर पहले दिये गये थे अब दो शस्त्र आरक्षी पुनः कोपागंज से भी उपलब्ध कराये गये हैं और भी आवश्यकता होगी तो उनको दिया जायेगा। सुरक्षा के लिए हमेशा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि एक सदस्य की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बता रहे हैं कि दो गनर और दो शस्त्र और जरूरत होगी तो और व्यवस्था कर देंगे। छठवां श्री धर्मपाल जी का था। आप इसमें बहस न करिये यह आपका व्यक्तिगत मामला है, मैं इसपर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा देता हूं। इसकी छानबीन करा लें यदि आपकी सुरक्षा को खतरा है तो आपकी सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करें।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

सातवां श्री राम अचल राजभर जी व राम चन्द्र बिन्द का है, मैं इसपर सरकार को निदेशित कर रहा हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं इसमें कुछ बता दूं। ग्राह्यता पर दो मिनट बता हूं।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

इसमें घटना का जिक्र ग्राह्यता पर बस दो मिनट बता दें, उस आदमी का बाईनेम एफ0आई0आर0 हुआ था और उस आदमी को ले जाकर पेड़ पर बांध कर लटका दिया गया और उसके बाद उसको मारते-मारते,

श्री अध्यक्ष-

हां मैंने उसे पढ़ लिया है।

श्री सुखदेव राजभर-

नहीं मान्यवर, अभी तक एफ0आई0आर0 ही नहीं दर्ज हुआ। जिस आदमी को दरवाजे पर पेड़ पर लटका करके बांधा गया, दोनों हाथ-पैर बंधा था, लाठी-लाठी मारा गया, लाश उसी के दरवाजे पर पड़ी है, अभियुक्त के।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नोटिस पढ़ ली है। आप बैठ जायें।

श्री राम अचल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि भारत सन आफ भगवानदास जो ग्राम भीखपुर, मोहद्दीनपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेदकर नगर को 30 अप्रैल, 2006 को हरीराम पुत्र

राम अक्षयवर इनके दो लड़के हिमांचलय पुत्र नन्हें, विक्रम पुत्र राम शंकर, विशाल, रामकृपाल पुत्रगण राम कुमार, गंगा राम पुत्र वासुदेव निवासी दड़वा अलीपटी कोतवाली अकबरपुर, उक्त लोगों ने लाठी दण्डों से इतना मारा कि मारते-मारते मान्यवर, उसको मार डाले यहां तक कि भारत सन आफ भगवानदास को इतनी निर्मम हत्या की कि उसको पेड़ से बांध कर उल्टा लटका कर मार डाले और जब उसके परिवार के लोग कोतवाली में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने गये तो कोतवाल ने भगा दिया, एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई और जो हत्यारें हैं वह मृतक परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बराबर लगातार धमकी दे रहे हैं और आज तक पुलिस कोतवाली वाले एक शब्द भी हत्यारे को कुछ नहीं कहा, किसी भी हत्यारे को पकड़ने नहीं गये यह भी नहीं पता लगाये कि यह घटना क्या है ? यह घटना सत्य है या असत्य है तो मान्यवर, पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है, पूरा क्षेत्र आन्दोलित है, आक्रोषित है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस अविलम्बनीय, लोकहित के महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप इसको दिखवा लें और इसकी जांच कराकर विधिक कार्यवाही करायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, जैसे आपके निर्देश हैं मैं इसको दिखवा लेता हूं, यह नियम-56 में नहीं आता है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का सख्त निर्देश है, शासनादेश है कि चाहे कैसी इन्फारमेशन हो, सत्य या असत्य हो, फर्स्ट उसकी इन्फारमेशन ले लें, तफ्तीश के बाद फाइनल रिपोर्ट लगावें चाहे चार्ज शीट लगावें। मान्यवर, हत्या हो गई, मारा गया, लाश लटकाई गई, नाम चिल्ला रहे हैं कि फला-फला ने मारा है, अब जांच हो जाय तो मारा गया या नहीं मारा गया, यह पता चल जायेगा और एफ0आई0आर0 के निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप इसकी जांच करा लें और जांच कराने के बाद मुकदमा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

एफ0आई0आर0 भी जांच करके ही होती है, अगर जांच के बाद असन्तुष्ट होंगे तो फिर लिख कर के देना।

(व्यवधान)

आप जानते हैं कि शासन के निर्देश है कि जब कोई आदमी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने जाता है तो दो तरीके हैं एक उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज कर लेते हैं अथवा वह ले करके जी0डी0 में चढ़ाकर के उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं, जांच करते हैं, जांच के बाद एफ0आई0आर0 दर्ज करते हैं दोनों परिस्थितियों में जांच होती है तो वह जांच करा लेते हैं और जांच के बाद एफ0आई0आर0 दर्ज करते हैं, अगर आपको लगे कि इसमें हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आप कहिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आज 15-20 दिन हो गये और माननीय सदस्य का कहना है कि एक पुलिस भी अभी तक पूछने नहीं गई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप इसकी जांच कराकर इसकी रपट हमको दीजिए, ठीक है। अब लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की और सुरेश कुमार खन्ना जी की मेरठ के विक्टोरिया पार्क में भीषण अग्निकाण्ड में लोगों के मरने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को नियम-52 में परिवर्तित करते हुए एक घण्टे की चर्चा के लिए रख लिया है और कार्य-मंत्रणा समिति में विचार करके बतायेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

ठीक है। मान्यवर।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, एक दर्जन से ज्यादा अपहरण हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप दूसरे दिन दे दीजिएगा।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण घटना है।

श्री अध्यक्ष-

आप सोमवार को दे दीजिएगा।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, तब तक बहुत लेट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

कुछ लेट नहीं होगा। आप सोमवार को दे दीजिएगा।

डा0 विनोद तिवारी, श्री चन्द्रदेव यादव, श्री कौशल किशोर जी की सूचनायें अस्वीकार हुई। जितनी सूचनायें यहां रखी गयीं वह सब अस्वीकार हुई और जिस पर चर्चाएं हुईं वह सब अग्राह्य हुईं।

प्रदेश में गरीब किसानों की फसल दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने विषयक श्री कौशल किशोर द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

*श्री कौशल किशोर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दिनांक 8 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी करने का अवसर प्रदान किया है। मेरा संकल्प है कि 'इस सदन का सुनिश्चित मत है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि प्रदेश में गरीब किसानों की फसल को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाये।'

मान्यवर, संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में किसानों की फसलों को दबंग लोग हानि पहुंचा कर उनका शोषण करते हैं और उनको मिलने वाले मुआवजे को हड़पने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से गरीब लोगों को छुटकारा दिलाने हेतु कोई प्रभावी कानून बनाया जाये। मान्यवर, यह असरकारी संकल्प अत्यन्त लोक महत्व का है और भविष्य में भी लोक महत्व का साबित होगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि तमाम गरीब वे लोग जिनके पास छोटी जमीन है या जो बटाई पर फसल बोते हैं दबंगई लोग उसमें जानवर चराते हैं और जिस कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं और उन गरीब लोगों के सामने विषम स्थिति आ जाती है। उनकी फसलों को वह दबंग लोग काट कर ले जाते हैं और व्यापार करते हैं और इस तरह से वह गरीब आदमी अत्याचार का शिकार होता है और जो फसल बोता है वह परेशान होता है।

मान्यवर, इस तरह की तमाम घटनायें हैं जिसमें दबंग किस्म के लोगों ने गरीब और कमजोर लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। (व्यवधान) मान्यवर, इसी तरह से बहुत सी घटनायें संज्ञान में आयी हैं जिसमें दबंगों द्वारा गरीब, कमजोर लोगों की भूमि पर जबरन कब्जा करके जमीन हथियाने का कार्य किया गया है। मान्यवर, इसमें उन लोगों को तो फायदा होता है लेकिन उनकी वजह से गरीब आदमी बहुत परेशान रहता है और ऐसा देखा गया है कि इस तरह की घटनायें उन लोगों के साथ ज्यादातर होती हैं जिनके पास कम भूमि है या जो पैसे से कमजोर हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे लोगों के साथ यह घटनायें हो जाया करती हैं या ऐसे लोगों के साथ भी घटनायें होती हैं जिसमें किसी बड़े आदमी से खेत को बटाई पर लेकर वह गरीब आदमी खेती करता है। मान्यवर, ऐसे मामलों को देखते हुए इस स्थिति में एक प्रभावी कानून निश्चित तरीके से बनाने की जरूरत पड़ेगी इसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के पहले गुरुवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या-19 निर्धारित था जिसके उत्तर में राजस्व मंत्री जी ने लखनऊ के ग्राम काकराबाद में श्रीमती ऊषा देवी द्वारा क्रय की गयी भूमि पर बोई गयी फसलों को दबंग किस्म के लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाना स्वीकार भी किया है। मान्यवर, पीड़ित व्यक्ति के द्वारा अनेक शिकायतें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा शासन स्तर पर की गयी और माननीय मुख्य मंत्री जी से की गयी, माननीय सदस्यों के माध्यम से की गयी लेकिन उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली।

मान्यवर, 15 मार्च, 2005 को श्री मस्तराम जी सदस्य विधान सभा द्वारा इस सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत भी एक सूचना दी गयी और जिसमें माननीय अध्यक्ष पीठ की ओर से शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था किन्तु आज तक इन्हें कोई सहायता नहीं मिली। मान्यवर, भू-माफियाओं की सांठ-गांठ यहीं तक सीमित नहीं है इनके बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज के बाद दिनांक 6 अगस्त, 2002 को उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-12 में दी गयी वैधानिक व्यवस्था के विपरीत गांव सभा की बंजर भूमि में दर्ज करा दिया। मैं यह भी मान्यवर, बताना चाहता हूं कि इन भू-माफियाओं द्वारा भूमि हड़पने का

नायाब तरीका अपना कर राधेलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व चिरू बनाम उत्तर प्रदेश सरकार क्रमशः डिप्टी कलेक्टर राजस्व, लखनऊ एवं अपर उप जिलाधिकारी लखनऊ के यहां धारा 229-बी के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश भी प्राप्त किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(इस समय 1 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

अतः मान्यवर, सदन में पारित वैधानिक व्यवस्था तथा संविधान के अनुच्छेद-14 की रक्षा करते हुए प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाये। फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाये ताकि जनता का सरकार तथा लोकतंत्र पर विश्वास कायम रह सके।

श्री कौशल किशोर-

कोई भी जबर किसी गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा करके या उसकी फसल पर कब्जा करके और वह फसल नहीं ले सकता और अगर ले ले तो इस तरह का कानून यहां बने कि किसी वजह से कब्जा कर लेने वाले भू-माफिया पर, फसल लूट लेने वाले भू-माफिया से फसल लूटने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व तरीके से उसका पैसा वसूल कर भुक्तभोगी को दिया जाय। इसलिए यह संकल्प मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कोई और माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे ?

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो संकल्प माननीय कौशल किशोर जी ने रखा है और अपने संकल्प पर चर्चा करते समय जिन बातों पर बल दिया है। उसमें उनका कुल आग्रह यह है कि एक ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें दबंग व्यक्तियों द्वारा यदि किसी गरीब की फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की तरह से की जाय। श्रीमन्, प्राविधान बहुत स्पष्ट है और मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सभी लोगों को इसकी जानकारी है लेकिन दोहराना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की फसल का नुकसान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। फसल का नुकसान कोई व्यक्ति करता है तो दो तरह के अपराध बनते हैं एक हस्तक्षेपीय श्रेणी में है और दूसरा अहस्तक्षेपीय श्रेणी में है। यह फसल के मूल्य पर निर्भर करता है। मैं इण्डियन पेनल कोड के उन प्राविधानों का 426, 427 का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि किस प्राविधान में क्या दण्ड प्राविधानित है लेकिन इसका प्राविधान पहले से है कि अगर कोई फसल को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए दण्डित किया जाय। उसको प्रतिषेध करने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही के लिए 107/16 की जो कार्यवाही की जाती है, सीआरपीसी में उसके भी प्राविधान है। इसके अतिरिक्त दीवानी के कानूनों में पहले से प्राविधान मौजूद है कि अगर किसी की सम्पत्ति को चाहे फसल के रूप में हो, कोई नुकसान होता है तो उसके लिए दीवानी का मुकदमा दायर किया जा सकता है और उसकी मदद की जा सकती है। सरकार ने भू-माफियाओं पर अपना शिकन्जा मजबूती से कसा है और ऐसी घटनाओं में जबरदस्त तरीके से कमी है। मेरा यह मानना है कि एक नया कानून और बना दिया जाय और उसका अनुपालन न हो सके तो ऐसे कानून बनाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और मौजूदा कानून में

सभी प्राविधान पहले से विद्यमान हैं। उन प्राविधानों के अन्तर्गत अगर मजबूती से कार्यवाही कर दी जाय और गरीब को न्याय दिलवाया जा सके तो उसे ज्यादा राहत मिल जाय। इसलिए इसमें नया कानून बनाने की कुछ है ही नहीं। कठिनाई तो नये कानून बनाने की वहां होती है जहां इसके प्राविधान नहीं होते हैं और भू-राजस्व की भांति वसूले जाने के लिए आम बोलचाल की भाषा में जिसे आर0सी0 कहते हैं वसूली प्रमाण-पत्र, जब तक वह नहीं जारी होगा तब तक भू-राजस्व की भांति उसकी वसूली नहीं हो सकती। एक प्रश्न के बारे में कहा गया 2005 के प्रथम सत्र के गुरुवार को जो प्रश्न पूछा गया था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रश्न के माध्यम से जो बात रखने की ऊषा देवी के मामले में की गयी थी। मैं अपने स्मरण के आधार पर मजबूती से यह बात कहना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति का वह प्रश्न है जो विधान सभा सचिवालय में काम करते हैं और अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके माननीय सदस्यों को सूचना झूठी देकर के कि अमुख दल से उत्पीड़न हो रहा है बार-बार उन प्रश्नों को दूसरे ढंग से उठाने का काम करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधान सभा में अपनी स्थिति का दुरूपयोग करके, एक प्रश्न को विधान मण्डल के दोनों सदनों में बारी-बारी प्रश्न बदलकर के लगाया गया, चूंकि उन्हें सारे नियम-कायदे मालूम हैं। इस बारे में पूरी रिपोर्ट है, विभिन्न समितियों में यह प्रश्न संदर्भित रहे हैं, आश्वासन समिति और दूसरी समितियों में। वहां से भी यह निर्णीत हो गया, लेकिन विधान सभा की स्थिति का दुरूपयोग करके वह कोई ऐसा निर्णय अपने पक्ष में कराना चाहते हैं, किसी प्रश्न के माध्यम से, किसी प्रश्न को समितियों में संदर्भित कराकर। इसलिए आज श्रीमन् मैं एक बात के लिये औपचारिक रूप से कह रहा हूं, इसका अलग से निवेदन बाद में करूंगा। लेकिन गम्भीरता से इस बात को देखा जाना चाहिये कि एक प्रश्न को एक बार, दो बार चार बार, पांच बार उत्तर आ जाय, समितियों में भी संदर्भित हो जाय, इसमें जो जांच हुयी है, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि जो पक्ष वह रखना चाहते हैं, वह नितान्त अनुचित है, इसलिये मैं उनके नाम का तो उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मामले की जांच अवश्य होनी चाहिये और उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिये कि एक कर्मचारी का मामला, जो विधान सभा में काम करते हैं, 5 बार, सात बार प्रश्न लगाकर विधान सभा का समय खराब किया जाय, और अपनी स्थिति का मिसयूज किया जाय, तो ऐसा किसी के लिये नहीं होना चाहिये। भले ही वह विधान सभा में काम करता हो और चाहे वह किसी आम आदमी का मामला हो। माननीय सदस्य ने ऊषा देवी के प्रश्न का उल्लेख किया है, उस प्रश्न के आगे और पीछे, जितने प्रश्न या जितने मामले उठाये गये हैं, उन सबको एक साथ रखकर जांच होनी चाहिये। ऐसा मेरा इस मामले में अनुरोध है। जैसा कौशल किशोर जी ने बताया है, मैं उनको पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि जो भी शिकायत मिलेगी, गरीब लोगों की फसल को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसमें जो भी दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है, एफ0आई0आर0 दर्ज करके दंडात्मक कार्यवाही होगी और दूसरी कार्यवाहियां भी होगी। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस स्थिति में अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

(इस समय 1 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बंशीधर राज पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। आवश्यकता अविष्कार की जननी है। आज कौशल किशोर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के सामने रखा। हम पूरी तरह से उस पर बल देते हैं। आज न केवल दबंग लोग गरीब आदमी की, बल्कि गांव पंचायत की जमीन भी और सारी जमीन अपने-अपने क्षेत्र में जोत लेते हैं। जब तक उस पर कार्यवाही का नम्बर आता है, तब तक फसल कटकर घर पहुंच जाती है। माननीय मंत्री जी को कुछ करना न पड़े, इस सरकार को नया विचार भी न करना पड़े, इसीलिए उन्होंने जवाब दे दिया और किसी दूसरे आदमी के लिये अपना तीन चौथाई टाइम दिया और माननीय विधायक जी की बात के लिए 1/4 टाइम। मान्यवर, मेरा निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि एक फसल 3-4 महीने में होती है, जब तक 229 बी होती है, तब तक 2-3 तारीखें ले ली जाती हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से मिलकर और इस बीच फसल कटकर उसके घर पहुंच जाती है। तो जो व्यवहारिक स्थिति है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिये और हर हालत में इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। गांव समाज की जमीन तक जोत ली जाती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने स्पष्टीकरण के माध्यम से कोई बात कहने का गम्भीर प्रयास किया है। मैं इनसे भयातुर रहता हूं। यहां तो हम संरक्षित हैं। मान्यवर, आप यहां पर हमारा संरक्षण करते हैं, इसलिए इनसे कम डरते हैं लेकिन बाहर इनसे डरना पड़ता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि उन्हें माननीय खन्ना साहब से किस प्रकार की असुरक्षा है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, खन्ना साहब से मुझे जो भय है, उसे बताने के लिए पाल साहब हमें चाहे जितना बाध्य करें लेकिन मैं शिष्ट हूं और मैं जानता हूं कि वह बात यहां पर रखना ठीक नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

खन्ना साहब तो कुंवारे हैं, उनसे क्या खतरा हो सकता है ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अगर सरकार खन्ना जी की समस्या का समाधान कर देगी तो माननीय मंत्री जी जो खन्ना साहब से भयातुर रहते हैं, उनका भी खतरा टल जाएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, खन्ना साहब ने स्पष्टीकरण के बहाने एक दूसरी बात कही है, आपने 229-बी का जिक्र किया है तो मान्यवर, इसके लिए 229-बी सही दफा नहीं है, इसका ग्रामसभा की जमीन से कोई लेना-देना नहीं है, वह तो एक दावा दायर करने की प्रक्रिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे पास प्रावधान मौजूद हैं। ग्रामसभा की जमीन पर चाहे जितने लम्बे समय से कोई कब्जा किये हुए हो या नये सिरे से कब्जा करना चाह रहा हो, उसको बेदखल करने का प्रावधान हमारे पास

है। अगर किसी ने नाजायज तरीके से उस जमीन पर अपना नाम दर्ज करा लिया हो तो भी बिना सुनवाई के उसका नाम निरस्त किये जाने के लिए कानून है और इस दौरान उसने उक्त जमीन से जितना भी लाभ लिया हो, उसके हरजाने का भी प्रावधान है, इसलिए नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इस समस्या के हल के लिए वर्तमान कानून सक्षम है। इसलिए मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि अलग से किसी कानून की आवश्यकता नहीं है और अगर इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में कोई कठिनाई हो रही हो तो उसे खन्ना साहब हमें बता दें, हम उसका अनुपालन करायेंगे। किसी को भी किसी गरीब व्यक्ति को सताने का अधिकार नहीं है, अगर कोई किसी गरीब व्यक्ति को सताता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मान्यवर, इसमें नये कानून की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कोई जगह हो जहां पर कानून का अनुपालन न हो रहा हो तो वह बता दें, इसलिए में माननीय मंत्री जी को बता रहा हूं कि हमारे यहां एक जगह है तकराकला, वहां पर दो सौ एकड़ जमीन जोती जाएगी। मैंने इसके लिए सदन में प्रश्न उठाया था, उस पर क्वैरी लग गई। मैं आपको यह बता दूं कि पिछली बार भी वह जमीन जोती गई थी और इस बार भी जोती जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून है, वह प्रभावी नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर एकबार पुनः विचार कर लें।

श्री कौशल किशोर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बात को थोड़ा सा दूसरी ओर घुमा दिया है। मैं दण्ड देने की बात नहीं कह रहा था बल्कि मैं यह कह रहा था कि गरीब आदमी अपनी फसल या बटाई पर फसल बोता है, उसे तैयार करता है तो दबंग आदमी उस फसल को या तो चरा लेता है या फिर उसे लूट लेता है तो गरीब आदमी अगर बहुत ज्यादा करेगा तो एफ0आई0आर0 लिखा देगा। लेकिन जो आदमी पैसा लगाकर, खेत लेकर, पानी लगाकर, बीज लगाकर, मेहनत लगाकर उस फसल को तैयार करता है उसको क्या मिला। उसे तो कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो दबंग आदमी दूसरे की फसल को काटने का काम कर रहा है, उसकी फसलें को लूटने का काम कर रहा है उस गरीब को कैसे पैसा मिलेगा। या तो सरकार यह सुनिश्चित करे कि अगर किसी आदमी की फसल लूटी जाती है तो दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उसकी फसल के नुकसान की भरपाई करेगी। या तो यह कानून बनाना चाहिये कि जिस आदमी ने उसकी फसल को लूटा है, नुकसान किया है उससे आर0सी0 काटकर भू-राजस्व की भांति बकाये के रूप में उस आदमी से वसूल की जायगी और गरीब आदमी को पैसा दिया जायेगा ताकि जिस गरीब आदमी की फसल लूट ली गयी है कम से कम उसकी मेहनत बच जाय। जब तक यह कानून नहीं बनेगा तब तक दबंग लोग गरीब की फसल को लूटना बन्द नहीं करेंगे और फसल चराना बन्द नहीं करेंगे। और तब तक गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरे मंत्री जी ने जो बात की है कि यहां पर एक कर्मचारी है, मैं कह रहा हूं कि कितने भी सवाल लगाये हों, चाहे

उस सदन विधान परिषद् में, चाहे यहां पर इसमें किसी को किसी के द्वारा अपना हक प्राप्त करने के लिये अपना सवाल उठवाने का अधिकार है।

मान्यवर, यह बात कहना चाहता हूं कि तमाम सवाल लगाने के बावजूद भी अगर न्याय मिल गया होता तो शायद आज मुझे यह बात नहीं कहनी पड़ी होती। क्योंकि बार-बार सवाल लगाना पड़ रहा है, अगर सदन में सवाल लगाने के बाद भी अगर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तो क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, यह तो सदन की गरिमा का सवाल है और सदन की उस बात का सवाल है कि इतनी बार सवाल लगाने के बाद भी, इतने जवाब दे देने के बाद भी, उस व्यक्ति की फसल को नुकसान पहुंचने की बात इसी सदन में मानी गयी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि नुकसान हुआ है, फिर भी उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। यह भी एक बात आती है इसलिए मेरा कहना है कि यह संकल्प मैंने एक व्यक्ति विशेष के लिये प्रस्तुत नहीं किया है। यह संकल्प मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के लिये, उन गरीबों के लिये जो जमीन बंटाई पर ले लेते हैं, दूसरों की जमीन को बंटाई पर लेकर जमीन को जोतते-बोते हैं और फसल पैदा करते हैं, वह गरीब लोग जो अपनी फसल को बनाकर तैयार करते हैं और जो गांव के दबंग किस्म के लोग हैं वह अपने जानवरों के जरिये उस फसल को चरा देते हैं या उस फसल को काट लेते हैं उस गरीब आदमी को उस फसल का अधिकार मिले, उसको पैसा मिले, उसको मेहनत मिले इसलिये इस कानून को बनाने की जरूरत है। जिस कानून का जिक्र सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत किया गया है उससे इस गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है। आज की तारीख तक उसको कहीं एक जगह न्याय मिला हो तो हमको बतायें। हां नुकसान करने वाले को दण्ड भले मिल सकता है लेकिन उस गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं दो बातों को, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि किसी आदमी, किसी व्यक्ति विशेष के प्रयत्न से यह संकल्प आपने उठाया है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सराहना करता हूं कि आपने इस संकल्प से गरीब पीड़ित किसान के साथ जो ऐसी घटनायें होती हैं, उनको कैसे राहत दी जाय इस विषय पर अपनी बात आपने कही। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वह दूसरी बात है, उसको आप को-रिलेट न करें। मैंने दो बातें अलग से कहीं। प्रश्न का उल्लेख अलग से था इसलिये मैंने उसका उल्लेख किया। मैं यह नहीं कि उसने आपसे संकल्प उठवाया। मैंने यह कहा कि इस संकल्प में जो आपकी चिन्ता है उस चिन्ता से हम सहमत हैं। जो बात आपने बताया है कि गरीब लोगों की फसल दबंग लोग लूट लेते हैं या काट लेते हैं इन घटनाओं से भी हम इंकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन तथ्यों से इंकार हो। चूंकि जो प्राविधान हमारे पास हैं, जो कानून हैं, जो पहले से बने हुये हैं उन प्रविधानों के अन्तर्गत एक नया प्राविधान बनाकर भी कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इसलिए नये प्राविधान की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात अगर इस आरोप में कोई दंडित होता है तो आपराधिक तौर पर दंडित होता है और आर्थिक दंड भी लगता है। आर्थिक दंड लगने की स्थिति में ऐसे मामलों में जो फैसला होता है उनकी प्रकृति यह होती है कि जो आर्थिक दंड दिया जाता है वह पीड़ित व्यक्ति को देने के लिये ही आर्थिक दंड लगाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नये कानून की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी दबंग व्यक्ति द्वारा किसी गरीब को सताये जाने की कोई घटना आती है तो उस पर बहुत सख्ती से कार्यवाही की जाती है और की जायगी। मैं आपको आश्वस्थ

करता हूं कि जो घटना आप बतायेंगे उस मामले में सख्ती से कार्यवाही की जायगी। एक प्रश्न का जिक्र आपने किया जो उस प्रश्न के बारे में मैंने यह बताया है कि किसी को प्रोसेस को मिसयूज करने का अधिकार नहीं है। एक सत्र में एक प्रश्न का उत्तर आ गया तो फिर उस प्रश्न को उत्तर के लिये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लगाना ठीक नहीं है। यह न्याय का मामला नहीं है। मैं इसकी जांच करवाने की बात कह रहा हूं कि इस प्रश्न को और विभिन्न समितियों में जो बात उठायी गयी है उसको, बार-बार जो प्रश्न उठाये गये हैं उनको, सबको एक साथ करके उसकी समग्रता से जांच करा ली जाय कि कोई प्रासेस का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय कौशल किशोर जी, आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर-

मैं यह कह रहा हूं कि प्राविधान की इसलिये जरूरत है कि जो भी कानून बने हुये हैं वह कानून दंड देने के लिये बने हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दे दिया। आपको काफी मौका मिला है। माननीय खन्ना जी ने जो बात कही उसका उत्तर दे दिया तो अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री कौशल किशोर-

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी आदमी का नुकसान हो, फसल का नुकसान हो तो यह उस व्यक्ति की जीविका से जुड़ा होता है, उसकी मेहनत पर असर होता है।

श्री अधिष्ठाता-

उपस्थित कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस समय कोरम पूरा नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है ऐसे समय पर कोरम का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कोरम का प्रश्न किसी समय उठाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तरीके से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियां अपनाने तथा कृषकों की उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को डा0 अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-9 स्थगित की जाती है।

भारत सरकार की एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मथुरा तथा मेरठ में सीवेज उत्सर्जन की शत-प्रतिशत शुद्धि हेतु प्राथमिकता के आधार पर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने जिससे नदियों का जल पीने और सिंचाई के लिए उपयोगी हो सके, के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह भारत सरकार की एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मथुरा तथा मेरठ नगरों के सीवेज उत्सर्जन की शत-प्रतिशत शुद्धि हेतु प्राथमिकता के आधार पर इन नगरों में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करें जिससे नदियों का जल पीने तथा सिंचाई के लिए उपयोगी हो सके।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की नदियों के प्रदूषण की स्थिति आज इस सीमा तक पहुंच गई है कि पर्यावरण विभाग की एक रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि एबीसीडीई जो पांच प्रकार की श्रेणियां जल प्रदूषण की है उत्तर प्रदेश में किसी भी नदी का जल ए श्रेणी का नहीं है। हरिद्वार जो पहले उत्तर प्रदेश में था आज उत्तरांचल में है हरिद्वार का जल भी ए श्रेणी का नहीं है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है।

श्रीमन्, केवल गंगोत्री का जल ऐसा जल है जो 'ए' श्रेणी के जल में आता है अर्थात् बिना किसी उपचार के पीने के योग्य जल केवल गंगोत्री का जल है हरिद्वार का नहीं। उत्तर प्रदेश की किसी नदी का, किसी शहर का जल बिना ट्रीटमेन्ट के पीने योग्य नहीं है। उसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन नदियों के प्रदूषित होने का कारण या इन नदियों के जल के प्रदूषित होने का कारण नगरीय क्षेत्रों के सीवर के माध्यम से जो पानी इन नदियों में जाता है उसके कारण इन नदियों का 80 प्रतिशत प्रदूषण है और बाकी का 20 प्रतिशत औद्योगिक कचरे और खेतों में इस्तेमाल होने वाली कृत्रिम खाद और पेस्टीसाइट के अधिक उपयोग को इसका कारण बताया है। मान्यवर, 80 प्रतिशत का जो कारण आया उसके लिये जिस चीज को हमने 80 प्रतिशत जिम्मेदार माना तब भारत सरकार की एक योजना आई है और जिसके कारण मैंने यह संकल्प प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली या उसको प्रस्तुत करने का मन बनाया। भारत सरकार की एक योजना आई है नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के नाम से 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है इसमें प्रदेश के प्रमुख शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा और मेरठ सात शहरों का चयन करके इन नगरों को एक मुश्त धनराशि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर 100, 200, 300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रदान किये जायेंगे और

बड़ी योजनाएं जो प्रदेश की जायेंगी उसके लिये 500, 1000 और 1500 करोड़ रुपये भारत सरकार ने देने की बात कही है तब मैंने इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत करने का काम किया कि कम से कम इन शहरों के किनारे बहने वाली नदी का जल जिसको कि 80 प्रतिशत उन शहरों के सीवेज सिस्टम प्रदूषित कर रहा है को शुद्ध करके उस नदी में मिलाया जाय तो उसका परिणाम यह आयेगा कि उसका प्रदूषण दूर हो जायेगा और फिर वह पानी पीने योग्य, सिंचाई के योग्य, जानवरों के पीने योग्य और जल के अन्दर रहने वाले जीवों के रहने और पीने योग्य बन सकेगा। मान्यवर, अभी तक गंगा एक्शन प्लान के नाम से गंगा प्रदूषण नियंत्रण का कार्य किया गया इस प्रदेश में। गोमती के प्रदूषण को कम करने का काम किया गया इस प्रदेश में। उसी रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि गंगा के किनारे जितने नगर प्रदेश के हैं जिनसे प्रतिदिन 2600 एम0एल0डी0 पानी उत्सर्जित होकर गंगा में मिल रहा है। इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां हमारी विधान सभा है, गोमती नदी में 400 एम0एल0डी0 उत्सर्जित जल प्रतिदिन मिलता है लखनऊ महानगर का, लखनऊ जिले का और गोमती में 80 प्रतिशत प्रदूषण का कारण बन रहा है। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान के नाम पर 40 एम0एल0डी0 का ट्रीटमेन्ट यानि 10 प्रतिशत जल का ट्रीटमेन्ट करने से गोमती नदी का प्रदूषण दूर नहीं कर पा रहे हैं और फिर विद्युत की आपूर्ति की जो स्थिति बनी है प्रदेश में। लखनऊ में जो सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान लगा है वह अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिदिन 2600 एम0एल0डी0 उत्सर्जित जल गंगा नदी में और 400 एम0एल0डी0 उत्सर्जित जल गोमती नदी में मिल रहा है।

अब इसके अलावा घाघरा हिंडन, काली नदियों की बात नहीं कर रहा हूं। दो प्रमुख नदियां, राजधानी में है प्रदेश के तमाम जिलों के साथ मिलकर बहने वाली नदी है जो आस्था और विश्वास का केन्द्र है। जिसको मां के रूप में मानते हैं। मैं उन दो नदियों का जिक्र करना चाहता हूं। 26 सौ एम0एल0डी0 और 400 एम0एल0डी0 का ट्रीटमेन्ट प्लान्ट है। उत्सर्जित जल के ट्रीटमेन्ट की जो क्षमता हमारे पास है वह दस पन्द्रह प्रतिशत काम कर रहे हैं पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा उसके बाद भी हम इन नदियों का प्रदूषण रोकने के लिए काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं। गंगा एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान बनाने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए। मान्यवर, जब यह नदियां गांव के किनारों से गुजराती हैं तो वहां के निवासी उस पानी से नहाने के लिए मजबूर हैं उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं तो कहीं न कहीं सदन की जिम्मेदारी है। इसी भावना के तहत मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। लखनऊ में गोमती, कानपुर, वाराणसी के किनारे गंगा, इलाहाबाद के किनारे यमुना, आगरा के किनारे यमुना, बागपत जनपद में हिंडन, इन नदियों में प्रदूषण है। इन नदियों में शत-प्रतिशत ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की व्यवस्था हो। इन नगरों में भारत सरकार की नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के नाम से योजना है एक मुश्त धनराशि की उपलब्धता हो ताकि जो योजना का उद्देश्य है उसके अनुरूप काम हो। मैं इस संकल्प के माध्यम से सदन से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित करके केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि इस योजना के पैसे को इन नगरों में उ0 प्र0 में प्राथमिकता पर, उन महानगरों से उत्सर्जित होने वाले जल को शत-प्रतिशत ट्रीटमेन्ट करके नदियों में मिलाने का, शुद्ध करके अशुद्धि को दूर करके नदियों में मिलाने की दृष्टि से प्राथमिकता पर लिया जाए, इस दृष्टि से संकल्प प्रस्तुत किया है।

डा0 पी0 के0 राय-

पूरब का भी ख्याल करें गोरखपुर को भी जोड़ लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

एक कठिनाई है नगर विकास विभाग, पर्यावरण विभाग यह दो विभागों के बीच का मामला है। इसलिए एक विभाग एक मंत्री द्वारा काम नहीं किया जा सकता है। इस काम को करना है तो इस प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी के मुखिया मुख्य सचिव और शासन के मुखिया मुख्य मंत्री जी होते हैं जब तक इनके संज्ञान में मजबूत नहीं होगा, जब तक दैनिक रूटीन अनुश्रवण में नहीं लायेंगे तब तक लाभ नहीं ले पायेंगे। कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, घाघरा नदी, राप्ती नदी, गोरखपुर में बेतवा नदी का जल, इस रिपोर्ट में लिखा है कि यह जल स्नान, मत्स्य पालन, सिंचाई योग्य तो पाया गया लेकिन मान्यवर, जो जल पीने योग्य नहीं है। उसे सिंचाई योग्य कैसे माना जा सकता है। जब उस जल से सींचकर सब्जी, अन्न तिलहन, दलहन तैयार होगा और बाजार में आएगा तो क्या वह शुद्ध मानक के अनुरूप अन्न होगा। मैं इस प्रश्न को चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आप जैसे विद्वान व्यक्ति ने ऐसा कहा, मैं बताना चाहता हूं खेत में खाद भी डाली जाती है खाद रासायनिक की गोबर की भी और कीड़े-मकोड़ों की सड़ी होती है वायो की भी होती है उसका पानी में एक शतांश या एक हजारवां अंश भी होगा तो वह पीने योग्य नहीं रहेगा। यदि कुछ प्रदूषित पानी भी जड़ों में जायेगा तो वह पौधे को प्रदूषित नहीं बनायेगा। जो पानी पेय नहीं है, वह सिंचाई के काम आ सकता है। जो बायोटाइप प्रदूषण है, वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन प्लान्ट उसे अपनी जड़ों में लेकर उपयोग करता है और वह काम आता है। यदि खारा पानी होता तो अलग बात थी। इसलिए अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

शायद, मंत्री जी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, जब चर्चा मैंने प्रारम्भ की थी कि 80 प्रतिशत उत्सर्जन ऐसा है जो प्रदूषित है और जो कृत्रिम रूप से पानी में मिल रहा है। हमारा जो भूगर्भ जल है, यह उसको भी प्रदूषित करता है जिसको हम हैण्डपम्पों और ट्यूबवेल के माध्यम से लेते हैं। यह घुलकर भूगर्भ जल को प्रदूषित करता है। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी का जो जल है, ए श्रेणी का जल बिना उपचार के पीने योग्य है, बी श्रेणी का पानी स्नान योग्य है, सी श्रेणी का पानी किसी उपचार के बाद पीने योग्य हो सकता है, डी श्रेणी का पानी जलीय प्राणियों के लिए उपयोगी है और ई श्रेणी का जल सिंचाई हेतु उपयुक्त है। मान्यवर, बी श्रेणी का जल उत्तर प्रदेश में यमुना नदी, इलाहाबाद, सीतापुर में गोमती नदी, अपस्ट्रीम में, रिहन्द बांध अपस्ट्रीम रेनूकूट-सोनभद्र, घाघरा डाउनस्ट्रीम देवरिया, राप्ती डाउनस्ट्रीम गोरखपुर, सई नदी-उन्नाव और गोविन्द सागर, झांसी में है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ और बातें रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 से 2005 तक की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। गंगा नदी राजघाट डाउनस्ट्रीम नरोरा, बुलन्दशहर में वर्ष 2005 में घुलित आक्सीजन की मात्रा में बढ़ोत्तरी एवं बीओडी की मात्रा में कमी हुई है। गंगा नदी बिठूर कानपुर में वर्ष 2005 में वर्ष 2001 की तुलना में घुलित आक्सीजन एवं टोटल

कालीफार्म की मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है। यहां पर जल परम्परागत उपचार एवं जीवाणु नाशन के पश्चात् पीने योग्य पाया गया है। गंगा नदी कानपुर डाउनस्ट्रीम पर वर्ष 2005 से वर्ष 2001 की तुलना में घुलित आक्सीजन की मात्रा में समानता तथा बीओडी की मात्रा में बढ़ोत्तरी पाई गई। यह डी श्रेणी का जल, मत्स्य पालन के लिए उपयोगी पाया गया है। गंगा नदी इलाहाबाद डाउनस्ट्रीम पर वर्ष 2005 में वर्ष 2001 की तुलना में बीओडी में आंशिक बढ़ोत्तरी पाई गयी। इसी प्रकार गोमती नदी लखनऊ अपस्ट्रीम पर वर्ष 2005 में वर्ष 2001 की तुलना में घुलित आक्सीजन की मात्रा में आंशिक कमी और बीओडी की मात्रा में आंशिक बढ़ोत्तरी पाई गई। यहां पर नदी जल उपचार एवं जीवाणु नाशन के पश्चात् पीने योग्य पाया गया है। रिहन्द जलाशय अपस्ट्रीम रेनूकूट पर बीओडी की मात्रा में कमी पाई गई है। यहां पर नदी जल स्थान योग्य पाया गया है। घाघरा नदी डाउनस्ट्रीम गोरखपुर में वर्ष 2005 में वर्ष 2001 की तुलना में आक्सीजन की मात्रा में कमी तथा बीओडी की मात्रा में समानता पाई गई है। यह बी श्रेणी का जल स्नान योग्य पाया गया है। राप्ती नदी गोरखपुर डाउनस्ट्रीम पर घुलित आक्सीजन की मात्रा में कमी तथा बीओडी की मात्रा में आंशिक बढ़ोत्तरी पाई गयी है। इस बिन्दु पर नदी जल स्नान योग्य पाया गया है और बेतवा नदी हमीरपुर में वर्ष 2005 में वर्ष 2001 की तुलना में घुलित आक्सीजन की मात्रा में आंशिक बढ़ोत्तरी पाई गई है। इस बिन्दु पर नदी जल गुणता में आंशिक सुधार हुआ है तथा नदी जल परम्परागत उपचार एवं जीवाणु नाशन के पश्चात् पीने योग्य अर्थात् सी श्रेणी का पाया गया है। हमीरपुर में बेतवा नदी हमीरपुर। जो नदियां श्रेणी डी श्रेणी में आती है कानपुर-डाउन स्ट्रीम गंगा, कन्नौज-डाउन स्ट्रीम गंगा, इलाहाबाद-डाउन स्ट्रीम गंगा, वाराणसी में अपस्ट्रीम गंगा, वाराणसी में डाउन स्ट्रीम गंगा, गाजीपुर में तारीघाट डाउनस्ट्रीम गाजीपुर, जौनपुर में गोमती नदी डाउन स्ट्रीम, गाजीपुर में गंगा में मिलने से पहले रजवारी, कन्नौज में काली नदी कन्नौज और कन्नौज में राम गंगा कन्नौज। सिंचाई हेतु उपयोगी ई श्रेणी में सहारनपुर की हिण्डन डाउन स्ट्रीम और गाजियाबाद में हिण्डन नदी कुलसेरा और लखनऊ में गोमती नदी का डाउन स्ट्रीम यह सिंचाई के लिए श्रेणी ई में पाया गया है। मान्यवर, जो प्रदूषण का मानक है घुलित आक्सीजन मिली ग्राम श्रेणी ए में जो की विभिन्न श्रेणियों में कितना-कितना होना चाहिए वह यह है कि ए में 6 बी में 5 सी में 4 डी में 4 चाहिए और बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड जो ए श्रेणी में चाहिए वह है 2, बी में 3 और सी में 3 होनी चाहिए। इसी प्रकार टोटल कालीफार्म एमपीएन/100 मिली की मात्रा ए में 50 बी में 500 और सी0 में 5000 होनी चाहिए। लेकिन जल की जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं अगर उसमें हम देखें तो कानपुर नदी कानपुर अपस्ट्रीम पर औसत घुलित आक्सीजन की मात्रा क्रमशः 7.5 मिग्रा/ली एवं 5.6 मिग्रा/ली एवं बीओडी की मात्रा 2.0 एवं 6.3 मिग्रा/ली एवं टोटल कालीफार्म की संख्या 7689 एवं 65000 एमपीएन/100 मिली पायी गयी है। इसी प्रकार गंगा नदी इलाहाबाद अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम पर घुलित आक्सीजन की मात्रा 7.7 मिग्रा/ली एवं 7.5 मिग्रा/ली एवं बीओडी की मात्रा 2.6 एवं 3.4 मिग्रा/ली एवं टोटल कालीफार्म की मात्रा 2662 एवं 6033 एमपीएन0/100 मिली पाई गयी है।

इसी प्रकार गंगा नदी वाराणसी अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम पर औसत घुलित आक्सीजन की मात्रा क्रमशः 8.9 मिग्रा/ली एवं 6.6 मिग्रा/ली एवं बीओडी की मात्रा 3.2 एवं 14.2 मिग्रा/ली एवं टोटल कालीफार्म की मात्रा 14750 एवं 172500 एमपीएन/100 मिली पायी गयी है, इसी प्रकार से

अन्य नदियों के भी आंकड़े गम्भीर है। मान्यवर, यह परीक्षण रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि अगर समय रहते नहीं चेता गया तो यह नदियां जिस गति को प्राप्त हो गयी हैं और उसके कारण मानवता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और उसके कारण मनुष्य इन नदियों का प्रदूषित पानी पीने के लिए बाध्य हो रहा है और नई-नई बीमारियों से ग्रसित हो रहा है तो ऐसे में इस सदन की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी की दृष्टि से मैंने यह विषय इस सदन में रखा है। मान्यवर, मैं प्रदूषण नियंत्रण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक के एकत्रित सहती जल नमूनों की संख्या है उनमें वर्षवार लगातार जांच नमूने एकत्र किये गये। बरेली में वर्ष 2001-02 में 425, वर्ष 2002-03 में 310, वर्ष 2003-04 में 410 वर्ष 2004-05 में 202 तथा वर्ष 2005-06 में 140 नमूने एकत्र किये गये। कानपुर में वर्ष 2001-02 में 711, वर्ष 2002-03 में 390, वर्ष 2003-04 में 350 वर्ष 2004-05 में 210 वर्ष 2005-06 में 205, इसी प्रकार वाराणसी में 2005-06 में 275, इलाहाबाद में वर्ष 2005-06 में 265, गोरखपुर में वर्ष 2005-06 में 225, रायबरेली में वर्ष 2005-06 में 165, गाजियाबाद में वर्ष 2005-06 में 162, इसी वर्ष 2005-06 में आगरा में 180, मुरादाबाद में 115, मेरठ में 135, नोएडा में 32, झांसी में 89, मथुरा में 248, अलीगढ़ में 116 और फैजाबाद में केवल एक वर्ष 2004-05 में 63 नमूने एकत्र किये गये। इस प्रकार हमारे प्रदेश के 16 शहरों में वर्ष 2001-2002 में 5390 नमूने एकत्र किये गये, वर्ष 2002-03 में 4502 नमूने एकत्र किये गये, वर्ष 2003-04 में 5558 नमूने एकत्र किये गये, वर्ष 2004-05 में 3578 नमूने एकत्र किये गये और वर्ष 2005-06 में 4124 नमूने एकत्र किये गये। मान्यवर, यह स्थिति है प्रदूषण नियंत्रण विभाग की। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नदियों के पानी में घुलित आक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही है। कालीफार्म की मात्रा बढ़ रही है। और इनका परीक्षण करने की फ्रीकेवेन्सी घट रही है, जल को शुद्ध करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो गोमती एक्शन प्लान बना, या गंगा एक्शन प्लान बना उसका क्या परिणाम आया, उसमें कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ यह विषय अलग हो सकता है। लेकिन जो हमको करना चाहिए इस सदन में बैठकर, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कहीं न कहीं जनता के प्रति सबकी जिम्मेदारी है। हम भूगर्भ पेयजल प्रदेश की जनता को शत प्रतिशत मुहैय्या कराने में स्थिति में आज नहीं है और न ही उस दृष्टि से हमारा प्रयास हो पाया हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नदियों और तालाबों का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उसमें नहाना उनकी मजबूरी है और उनके प्रदूषण की स्थिति यह है कि लिये जाने वाले नमूनों की संख्या घटती जा रही है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस नर्म योजना का उपयोग कम से कम सात महानगरों में और इन सात महानगरों के किनारे बहने वाली नदियों और इन नदियों की शुद्धि की दृष्टि से और इनके प्रदूषण के लिए अस्सी प्रतिशत जिम्मेदार नगरीय क्षेत्रों के उत्सर्जित जल का शतप्रतिशत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान से शुद्ध करके इन नदियों में डालने का काम शुरू करें तो शायद अच्छा होगा। अस्सी प्रतिशत में होगा तो औद्योगिक कचरे के द्वारा होने वाला प्रदूषण, खेती में अधिक पेस्टीसाइड के उपयोगों के द्वारा होने वाला प्रदूषण का प्रतिशत भी घटेगा और अच्छे जल की मात्रा का प्रतिशत बढ़ेगा।

दो सुझाव मैं देना चाहता हूं। इण्डस्ट्रीयल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक इकाइयों में जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग एनओसी देता है, सार्टीफिकेट देता है जब सम्भावित प्रदूषण होता है उसका

वह प्रबन्ध कर लेते हैं, चाहे वह वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जल प्रदूषण की दृष्टि से सरकार इस पर विचार करे। एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक औद्योगिक स्थान में शासन अपने स्वयं या किसी प्राइवेट इन्टरप्रेनियोर को टेक्निकल नो हाऊ और आवश्यक सहयोग देकर प्रत्येक इण्डस्ट्रियल एरिया में उसके जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए एक संयंत्र स्थापित करे और सब इकाइयों का जल उस संयंत्र में लाये और फिर परिशुद्ध करके नदी नाले के माध्यम से आगे जाने दें। क्योंकि प्रत्येक इकाई अलग-अलग लगाती नहीं हैं। अगर वह सरकारी इन्तजाम होगा और उसमें शुद्ध करके भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे पी0 के0 राय जी चले गये हैं उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी कि जो शहर नर्म योजना के अन्तर्गत नहीं अच्छादित हो रहे हैं उन शहरों में उनके सीवेज के उत्सर्जित जल को परिष्कृत करके उस जनपद में या उस जनपद के नाले का जिस नदी में विसर्जन हो रहा है उस नदी में विसर्जन से पूर्व उस शहर के उत्सर्जित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट में शुद्ध करके आगे भेजने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करें और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित करायें। इससे न तो बिजली की आपूर्ति का संकट होगा और न यह समस्या सामने होगी कि यह प्लान्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है या वह खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब सबकी जिम्मेदारी होगी, जब उसकी व्यवसाय का, आजीविका का साधन होगा तो वह सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट को ऐसी जगह स्थापित करेगा जहां नाला आकर मिलता हो और नदी में जाने से पहले वह शुद्ध करेगा और नदी में शुद्ध पानी जायेगा। और अस्सी प्रतिशत नदियों के जल के प्रदूषण का जिम्मेदार सीवेज का जल ट्रीटमेंट होकर जायेगा तो जिन शहरों में नर्म योजना है, उनमें नर्म योजना के माध्यम से और जिनमें नर्म योजना नहीं है, उनमें प्राइवेट इण्टर पैनेबोर करे या यहां के स्थानीय इकाई अपने संसाधनों से या शासन अपने संसाधनों से करे और औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक विकास विभाग स्वयं स्थापित करके उनके उत्सर्जित जल को शुद्ध करके आगे भेजे। इसी निवेदन के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

*श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का मौका दिया है। मैं निश्चित तौर पर डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का साधुवाद करता हूं और उनकी इस चिन्ता के साथ अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। जो उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव के कारण उन शहरों का जो उत्सर्जित है और वह जो उन शहरों के नजदीक नदियां हैं उनका जल प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में आज हमारे समक्ष एक गम्भीर चुनौती और समस्या खड़ी हुई है। मान्यवर, माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने बहुत विस्तार से नर्म योजना की चर्चा की हम बधाई देना चाहते हैं केन्द्र सरकार को कि कम से कम उसने पूरे हिन्दुस्तान के हर राज्यों के कुछ शहरों को इस योजना के तहत लिया है, जिसमें हमारे भी उत्तर प्रदेश के सात जनपदों चाहे वह लखनऊ शहर हो, कानपुर शहर हो, इलाहाबाद हो, आगरा, वाराणसी या मथुरा, मेरठ हो, उन शहरों के लिए उन्होंने एक मुश्त योजना बनाई है कि कम से कम उन शहरों की जो अर्बन डिड्यूवल डेवलपमेन्ट के बारे में है उस नर्म योजना के अन्तर्गत न केवल प्रदूषण बल्कि विकास की दृष्टि से भी या सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की दृष्टि से या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन शहरों में जिन क्षेत्रों में अभी सीवरेज नहीं है वहां पर सीवरेज को भी डालने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह विषय राज्य सरकार का है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सात शहरों के लिए इस तरह की योजना के लिए धन देने का उन्होंने निर्णय किया है तो निश्चित तौर से यह स्वागत योग्य है, लेकिन मान्यवर, जिस तरह से डा0 पी0 के0 राय जी ने कहा है कि केवल यह प्रदूषण चाहे वह जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, यह प्रदेश के केवल सात शहरों के मुख्यालयों तक ही सीमित नही है, आज मैं समझता हूं कि इन सातों शहरों को केन्द्र सरकार ने लिया है लेकिन आज चाहे गोरखपुर का जिक्र हो रहा हो या अयोध्या इतना महत्वपूर्ण है, फैजाबाद है, जो सरयू के तट पर बसा हुआ है तो आज वह शहर ले लिये, बरेली इतना महत्वपूर्ण है या तमाम छोटे जनपद है जिनकी संख्या लाखों में बढ़ती हुई चली जा रही है चाहे वह बलिया से लेकर के बस्ती से लेकर और सहारनपुर तक का कोई जनपद हो तो मान्यवर, अगर यह इस योजना से आच्छादित नहीं है, केन्द्र की इस नर्म योजना से तो मैं मान्यवर, राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि प्रदेश में भी कम से कम इस तरह का एक फण्ड क्रियेट करें और जैसे नर्म योजना अगर केन्द्र सरकार ने की है तो कम से कम सर्व योजना स्टेट सरकार के द्वारा शुरू हो। सर्व ही तो होगा अगर नेशनल अर्बन डिड्यूवल जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसको नर्म कह रहे हैं तो अगर स्टेट अर्बन डिड्यूवल योजना होगी तो वह सर्व योजना ही होगी तो मैं समझता हूं कि यह वक्त का तकाजा है, समय की पुकार है, मैं कोई इसकी आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूं, इस प्रदेश के अन्य शहरों को आच्छादित करने के लिए स्टेट को भी चाहिए कि वह भी इस सम्बन्ध में कोई फण्ड की व्यवस्था करे जिससे उन छोटे शहरों या जिन शहरों का उल्लेख किया गया है उससे और शहरों द्वारा जो उन शहरों से निकलता हुआ उत्सर्जित है जो वहां की नदियों के जलों में मिल रहा है, जिसके कारण वहां का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, न तो वह पानी जानवरों के लिए पीने योग्य रह गया है। मान्यवर, मगहर जो कबीर जी की निर्वाण स्थली है, उसके किनारे आमी नदी बहती है और वहां पर एक पेपर इण्डस्ट्री लगी हुई है, उस पेपर इण्डस्ट्री के कचड़े से आपने पेपरों में कई बार देखा है जो इस नदी के जल को जो जानवर पीते हैं उन जानवरों की मृत्यु हो गई, तमाम पुरुष जिन्होंने उसमें स्नान किया उन्हें तमाम तरह की बीमारियां हो गईं तो इस तरह जो छोटे-छोटे शहरों के किनारे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन नदियों का भी जल इस तरह से प्रदूषित हो रहा है।

मान्यवर, आज कानपुर में 2600 एम0एल0डी0 उत्सर्जित जल प्रतिदिन शामिल हो रहा है। इसी तरीके से लखनऊ में 400 एम0एल0डी0 उत्सर्जित जल गोमती में जा रहा है और यही हाल गोरखपुर का है जहां 200 एम0एल0डी0 जल नदी में जा रहा है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर बात है और अगर पूरे प्रदेश के व्यापक पैमाने पर इसे देखा जाये तो यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से यह सरकार के लिए एक चिन्तन का अवसर है कि इस पर हम विचार करें कि कैसे समस्या का समाधान हो। मान्यवर, शहरों में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगे हैं जिसमें जल का ट्रीटमेन्ट करके उसे जन उपयोगी बनाने की बात की जाती है ताकि नदियों का पानी भी दूषित न हो और लोगों को पीने के लिए उपयुक्त पानी मिल सके, जानवरों को पानी मिल सके, सिंचाई के लिए पानी मिल सके।

लेकिन मान्यवर, आज आप देखिए कि आज सरकार में इसके प्रति कितनी संवेदनशीलता है। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो गोमती एक्शन प्लान चल रहा है उसमें सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया गया है और वह आज बन्द पड़ा है और वह प्लान्ट अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है। मेरा कहना है कि जो ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बन्द पड़े हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और प्रदूषित जल का उपयोग लोग कर रहे हैं जो मानवता के नाम पर अभिशाप है। इन सब बातों के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मान्यवर, आज दुनिया के तमाम मुल्कों में पर्यावरण के मुद्दे पर बहसें हो रही हैं और वहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के एजेण्डे इसी विषय पर केन्द्रित होते हैं और उसी पर वे लोग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन हमारे यहां स्थिति क्या है जातिवाद और धर्म की बात हर जगह हो रही है। मैं उन कुछ चीजों का उल्लेख यहां नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आज सीवेज की योजना नहीं है और तमाम गांव के लोग अब शहर में आकर बसना चाह रहे हैं जिससे शहरों की आबादी बढ़ रही है और आप देखें जनपदीय मुख्यालयों में बढ़ती हुई जनसंख्या की क्या स्थिति है। बड़ी-बड़ी कालोनियां सामने आ गई हैं और फिर बरसात के दिनों में वह पूरा शहर पानी से भरा रहता है। मान्यवर, आप लखनऊ में ही देख लें थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो हजरतगंज में पानी भर जाता है यही स्थिति पूरे शहर की हो जाती है। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके की सीवेज की व्यवस्था होनी चाहिए वह सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अधिक से अधिक शहरों में सीवेज की योजना बनाई जाये। आज इन शहरों में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है कालोनियां बढ़ रही हैं उसके कारण संचित जल जो है, जो मल है उसके निकलने का कोई साधन नहीं है और उसमें जिस तरीके से कचरा जाकर मिलता है उससे पानी दूषित हो जाता है। मान्यवर, इसलिए इस संकल्प का जो प्रस्ताव है वह अच्छा प्रस्ताव है। मान्यवर, आज स्थिति क्या है राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मदद की मांग करती है। लेकिन स्टेट से उन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को लगाने के लिए क्या फण्ड दिया जा रहा है इसको भी देखने की बात है। हम केवल केन्द्र पर आश्रित होकर बात करते हैं। हमें प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए और जिन्हें नदियों में मिलाया जा सके उनके लिए धन देने की बात करनी चाहिए। यह हमारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।

आज स्थानीय निकायों की हालत क्या है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद भी 5 वर्ष की अवधि पर निर्वाचित नगर पालिकाएं और नगर पंचायत कायम नहीं हो पा रही हैं और उस संशोधन की मंशा के विपरीत ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी गई हैं जिस कारण वह चुनाव स्थगित हो गये हैं और उनमें प्रशासक बिठा दिये गये हैं। आज स्थिति यह है कि जनप्रतिनिधियों के वहां न होने के कारण नगरपालिका और नगर पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, गर्मियों के दिनों में जिस तरीके से गैंग चलते थे और नालों की सफाई होती थी आज कहीं पर कुछ काम नहीं हो रहा है।

मान्यवर, आज जिस तरह की शहरों में परिस्थितियां हो गयी हैं लगता है कि नगरपालिका संस्थाएं कोई डाइंग संस्था हो गयी हों, मृत संस्था हो गयी हो। ऐसा इसलिए कि किसी एसडीएम को चार्ज दे दिया, उस एसडीएम के पास सब डिवीजन का चार्ज है, उस एसडीएम के पास असलहा का चार्ज है, उस एसडीएम के पास और 3-4 चार्ज हैं और एक उसको एक नगरपालिका का भी चार्ज

आपने दे दिया तो मान्यवर, वह मान्यता ही खत्म हो गयी कि यहां पर जनता के ही चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं। आज स्थिति यह हो गयी कि चाहे मेरठ हो चाहे आपका शहर हो कि लोग शादी व्याह में अपने मुहल्लों घर की सफाई के लिए नगरपालिका नगर निगम के गैंग बनाते थे, आज वह नहीं मिल रहे हैं आज लोग अपने पैसों से अपने घरों की सफाई करा रहे हैं। अगर किसी के घर में शादी व्याह है तो वह उसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

अब मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे कि क्या आज जो प्रशासक नियुक्त किये गये हैं उससे नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगम की स्थितियों में सुधार आया है तो मैं समझ जाऊंगा। आज जहां कहीं भी जनता का जनप्रतिनिधि रहता है तो जवाबदेह होता है और वह जनता के प्रति संवेदनशील होता है अपने दायित्व का निर्वहन करता है उसे अपने कर्तव्य को बोध होता है और उसकी जवाबदेही होती है, संवेदनशीलता होती है लेकिन आज और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा एफीडेविट देने के बावजूद भी कि 6 माह में चुनाव हो जायेंगे, 6 माह लगभग हो रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। फिर एक प्रयास हो रहा है कि आज प्रशासकों के कार्यकाल की वृद्धि की जाय, राज्य सरकार सुप्रीमकोर्ट जा रही है चेयरमैन के उसको ले करके । तो मान्यवर, राज्य सरकार खुद स्थानीय निकायों के महत्व को नहीं समझेगी जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चाहे उनके दल के हों या किसी भी दल के हों वहां के सभासद हों, चेयरमैन हों, मेयर हों वह कम से कम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते थे और उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करते थे आज वह प्रशासकों के हाथ में चला गया। प्रशासकों को लगता है कि उन्हें इक्स्ट्रा चार्ज मिल गया वहां से 3-4-5 कर्मचारी उसके घर में माली का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं और उनके यहां अमला बढ़ गया उनकी व्यवस्था बढ़ गयी। लेकिन बस्ती में पिछले 4 दिनों से नगरपालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं न वहां पर कोई जिलाधिकारी है न कोई एसडीएम है कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है तो मान्यवर, वास्तविक स्थिति क्या है ? आप कम से कम इन स्थानीय निकायों की वास्तविकता से परिचित हो लें और दूसरी तरफ राज्य सरकार के कम से कम इस संकल्प के माध्यम से मान्यवर, इस सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि एक ऐसा संकल्प आये कोई राजनैतिक विषय नहीं है। यह जनजीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, ज्वलन्त समस्या लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो कम से कम चाहे हमारे पास संसाधन थोड़े हों, स्थानीय निकाय के पास संशाधन नहीं हैं। आज स्थानीय निकाय जिस तरीके से एस0एफ0सी0 से जो हमारी है, उस योजना के तहत हम किस तरीके से इसे दे रहे हैं लेकिन आज डेवलपमेन्ट के लिए किस तरह की परिस्थितियां हैं आप जानते हैं तो आज जब स्थानीय निकाय के पास संसाधन नहीं है कि वह अपने शहरों में कोई सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाना चाहे तो कोई स्थानीय निकाय नहीं लगा सकता। आज नगर निगम नहीं लगा सकता। आज वर्ल्ड बैंक की ऐसी स्कीम है कि अगर हम डब्ल्यूएचओ को लिखें कि हम उत्तर प्रदेश के 70 मुख्यालयों में, 70 नगरपालिकाओं में हम चाहते हैं वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक से कि हम सीवरेज के लिए सीवेज की योजना हर शहरों में लागू करना चाहते हैं तो मान्यवर, आज तमाम योजनाओं में पैसा वर्ल्ड बैंक दे रहा है डब्ल्यूएचओ दे रहा है तो आप क्यों नहीं प्रयास करते। इस संकल्प के साथ मैं चाहूंगा आज राज्य सरकार इस पर अपनी नीति स्पष्ट करे कि हम उत्तर प्रदेश के 70 शहरों में जो

आज सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो कचरा है या आज वहां का सीवेज का पानी है या आज का वहां का जो प्रदूषित है उसको उस शहर से बाहर निकालने की यह तो मान्यवर, उन शहरों की बात है या शहरों से निकला हुआ उत्सर्जित पदार्थ है उसको शुद्ध शत-प्रतिशत ट्रीटमेन्ट करने की बात डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने कही है। मैं तो उन शहरों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस संकल्प के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का और राज्य सरकार का आज प्रदेश के हर जनपदों में कुछ-कुछ कवाल टाउन छोड़ दीजिए, 7-8 जनपद होंगे जहां पर तुरन्त सीवरेज की योजना है। मान्यवर, किसी भी छोटे शहरों में आज भी कहीं सीवरेज की योजना नहीं है तो जब सीवरेज की योजना नहीं है तो वह निकल नहीं रहा है आज उत्सर्जित उन्हीं मुहल्लों में जमा हुआ है। आज बीमारियां हो रही हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। हर शहरों में मलिन बस्तियां हैं और इन मलिन बस्तियों की क्या स्थिति है। आज इन मलिन बस्तियों में जिस तरीके से आज डूडा और सूडा को काम करना चाहिये था, आज मैं समझता हूं कि इन मलिन बस्तियों में डूडा और सूडा ने अभी भी उसका विकास नहीं किया है। तो आज इन मलिन बस्तियों की स्थिति को आप देखें। हम शहरों की सड़कों पर चलते हैं, सड़कों के किनारे की कुछ गगनचुम्बी इमारतों को देख लेते हैं, अट्टालिकाओं को देख लेते हैं। लगता है, हर शहर बहुत अच्छा है। लेकिन जब इन इमारतों के पीछे की बसी हुयी कालोनियों में चले जायें, या गन्दी बस्तियों में चले जायें, तब आपको अहसास होगा कि किस तरह उस शहर में चिराग तले अंधेरा की कहावत है और इन शहरों में भी नारकीय जिन्दगी है। इसी लखनऊ के पुराने लखनऊ में आप चले जायें, नालों के किनारे रहने वाले लोग दिख जायेंगे। मुख्य मंत्री जी के निवास की तरफ चले जाइये, जो गन्दा नाला वहां बहता है, इसी तरह रेलवे स्टेशन पर चले जाइये, हुसेनगंज के आगे के0 के0 सी0 कालेज के पहले जो नाला है, उस नाले के किनारे, नाले के बराबर कितनी बड़ी मलिन बस्ती बनी है। वहां कितनी गन्दगी है। आप पूरे 12 महीने उस गन्दे नाले का पानी पीने के लिये बाध्य होते हैं। यह लखनऊ राजधानी है और यह केवल हमारे या सरकार के लिये नहीं, पूरे प्रदेश के लिये शर्म की बात है।

आज भी इस राजधानी में नालों के किनारे पूरे परिवार की जिन्दगी गुजर-बसर कर रही है। तो मान्यवर, आज ऐसी जब परिस्थितियां हैं तो हम इन 7 शहरों के लिये, जिसके लिये केन्द्रीय योजना की बात आई है, चाहे नेशनल अरबन रूरल हो, उसके साथ-साथ हम स्टेट के द्वारा आज इस संकल्प पर चाहेंगे कि राज्य सरकार इन 70 नगरपालिकाओं के लिये या मुख्यालयों के लिये, जिसके हर शहरों के किनारे कोई न कोई नदी बहती है, चाहे बस्ती के किनारे कुआनो हो, आमी हो, घाघरा, राप्ती हो। पूरब की बात कही गयी इसलिये मैं पूरब का उल्लेख कर रहा हूं। आपने हिन्डन की बात की, गंगा की बात की, आपने सिद्धार्थनगर की बात की। सिद्धार्थनगर में जिस तरह से पानी में सिल्ट आ रही है, आज उस वजह से सिद्धार्थनगर में पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है और वहां का किसान जिस तरह गरीब है तो मान्यवर, में समझता हूं कि यह इससे ज्यादा कोई संकल्प महत्वपूर्ण हो नहीं सकता और जिस तरह से शहरों का दबाव बढ़ रहा है और आज जिस तरह से प्रदूषण है। यह बात सही है कि 80 प्रतिशत सीवरेज का पानी है, उससे सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और जब इस प्रदेश में हम केवल समस्या की चिन्ता व्यक्त करें। आज यह अवसर है कि उस समस्या के समाधान के लिये भी हम लोगों को काम करना होगा। क्योंकि इन 7 शहरों के साथ ही हर शहर का महत्व है। आज हर शहर

की आबादी लाख, डेढ़ लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख पहुंच रही है। आज जब ऐसी स्थिति हो रही है। तो हर किसी शहर के विकास की योजना हो। आज शहरी विकास परियोजना के लिये पैसा नहीं है। आज पर्यावरण के लिये पैसा नहीं है। प्रदूषण बोर्ड की बात कही गयी। आज इस राज्य में निश्चित तौर से यू0 पी0 पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड जो है, उसकी तो कोई उपयोगिता जनता को समझ ही नहीं आती। हां अलबत्ता वहां बैठे लोगों को फायदा हो सकता है कि उन्होंने किसी चीनी मिल को नोटिस सर्व कर दिया, किसी इन्डस्ट्री को कर दिया कि आपके पास एन0ओ0सी0 नहीं है, ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं है तो वहां से उनको सुविधा मिल गई, पैसा मिल गया।

लेकिन जो वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व होना चाहिए राज्य सरकार के प्रति, राज्य की जनता के प्रति, आज वह नहीं है। आज वह केवल कमाऊ जगह रह गयी है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश के प्रदूषित जल, सीवरेज के ट्रीटमेन्ट के लिये काम कर रहा हो, या उसका कोई प्रभाव दिख रहा हो, कोई उसकी इफेक्टिवनेस दिख रही हो, में समझता हूं कि आप भी इससे सहमत होंगे, हम सब लोग भी सहमत हैं। आज जो उसको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए वह नहीं कर रहा है। इस तरह से मान्यवर, मैं समझता हूं कि हम लोग जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है और हम एक तरफ किसान को दे रहे हैं लेकिन आज हर किसान का परिवार जो एफोर्ड कर सकता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ायें, मेरठ में, गोरखपुर में, वाराणसी, बस्ती, इलाहाबाद, आगरा में आज हर गांव का किसान भी शहर में अपना छोटा सा मकान बनाता है, इसलिए इसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। आज जो शहरी जनजीवन है, उसमें गांव का आदमी भी शामिल हो रहा है, आज जब हम शहरी जनजीवन सुधारने का संकल्प लेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जनता उससे लाभान्वित होगी। हम यहां पर चार सौ तीन सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और कोई विधायक चाहे किसी भी क्षेत्र का हो लेकिन उसका अपने जिला मुख्यालय में मकान जरूर होगा।

श्री बीजू पटनायक-

मेरा नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

अगर आपका नहीं है तो आपके परिवार का होगा।

श्री बीजू पटनायक-

परिवार का भी नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

हो सकता है कि किसी सदस्य का मकान शहर में न हो, जैसे कि हमारे अम्बिका चौधरी जी ने तो कहीं पर आवास बनाया ही नहीं है, बलिया के लोग जानते हैं कि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, शाम को कहीं मिलेंगे तो सुबह कहीं मिलेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)-

मान्यवर, मैं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा रखे गये संकल्प से अपने को सम्बद्ध करता हूं। संकल्प में कुछ विशेष नगरों का उल्लेख किया गया है। बरेली में रामगंगा नदी है, इस नदी का जल

बहुत ही प्रदूषित है रामगंगा नदी में कल-कारखानों का भी दूषित जल गिर रहा है, जिसके कारण यह लज बहुत ही प्रदूषित हो गया है। यह जल न तो पीने के योग्य है और न ही स्नान करने के योग्य है इसलिए में चाहूंगा कि बरेली के पास भी एक ट्रीटमेन्ट प्लान स्थापित किया जाये, जिससे कि वहां के पानी को शुद्ध किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता महोदय, बाजपेयी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प आज सदन में प्रस्तुत किया है और अपने संकल्प को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है, वह स्वाभाविक ही है। यह चिन्ता किसी एक माननीय सदस्य की नहीं हो सकती है, इस चिन्ता से अपने आप को पूरी तरह से सम्बद्ध करने का काम श्री जगदम्बिका पाल जी ने भी किया है। सचमुच यह ऐसी समस्या नहीं है कि जिस पर मात्र वाद-विवाद करके, एक-दूसरे का प्रतिवाद करके इस प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया जाए। आम तौर पर ऐसी स्थिति होती है कि प्रतिपक्ष की ओर से जब कोई बात आती है तो उस पर सरकार की ओर से दूसरे ढंग का जवाब दे दिया जाता है लेकिन मान्यवर, यह प्रकरण पक्ष और विपक्ष का नहीं है, यह प्रकरण सभी से सम्बद्ध है। यह संकल्प ऐसा है, जिस पर वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है, यह गम्भीर विषय है। नदियां सभी सभ्यताओं की वाहक रही हैं, सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। मानव सभ्यता जब से आई, तब से सर्वाधिक आबादी नदियों के किनारे ही बसी, इसका कारण यह नहीं था कि उनका विकास नदियों के किनारे ही हो सकता था बल्कि उसका कारण था कि नदियां एक प्रकार से हमारे जीवन की वाहक हैं। जब आदमी के पास दूसरे साधन नहीं थे तब इन नदियों का इस्तेमाल मनुष्य ने अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए किया, इसलिए नगरों का विकास नदियों के किनारे ज्यादा हुआ। मनुष्य ने इन नदियों को शुद्ध करने के बजाय अपना प्राण और जीवन उससे लेने के बावजूद, उसे प्रदूषित करने का काम निरन्तर किया और इसमें घोर लापरवाही बरती गई। जब हम विदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ी-बड़ी आबादी के शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। पेरिस जैसा बड़ा शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के दोनों तरफ बसी हुई आबादी लेकिन नदियां इतनी साफ हैं, उसमें इतना वाटर ट्रांसपोर्ट, तेजी से चलते हुए जहाज, बावजूद इसके नदियां इतनी साफ हैं उनकी सफाई देख करके शर्म का अनुभव होता है। पश्चिमी सभ्यता में उनका भावनात्मक जुड़ाव उस स्तर का नहीं है जितना हमारा है। हम अपने को आध्यात्मिक तौर पर उससे जुड़ा पाते हैं और यह मान्यता है कि सारे पापों और अशुद्धियों को धोने के लिए 5 बूंद आचमन के लिए मिल जाता है तो जन्म भर के संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर से हम नदियों से जुड़े हुये हैं बावजूद इसके हमने इसको प्रदूषित करने का काम किया, कभी ध्यान नहीं दिया कि अन्ततः प्रदूषित होते-होते इस स्थिति में न आ जाए कि जीवन भी दूभर हो जाये। आज यह स्थिति आ गयी है। आज तो पेयजल की योजनाओं के लिए, उनको चाहे जितना भी शुद्ध कर लें उसकी जो पेयजल की सप्लाई है, वह ठीक नहीं रहता। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आपने कुछ काम नहीं किया, हमने तो डेढ़ लाख लीटर बढ़ा दिया है। अपने प्रयास का उल्लेख करके जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास भले ही कर लें उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। सचमुच में उतनी ही गम्भीरता से इसके सरोकार होने की आवश्यकता है। मैं आज यह स्वीकार करना चाहता हूं कि अभी भी वह दृष्टि पूरी तरह से समाज में और सरकार के स्तर पर, अलग से कहने की आवश्यकता हो तो

उसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सचमुच से जो दृष्टि और प्रयत्न होना चाहिए इस प्रदूषण को रोकने के लिए और नगरीय अशुद्धियों को नहीं पूरे मानव जीवन को सुखी और निरोग बनाये रखने के लिए जितना प्रयास करने की आवश्यकता है शायद उस मजबूत संकल्प के साथ हम नहीं कर पाये हैं। ऐसी स्थिति में जो डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने संकल्प रखा है उसके भाव की सराहना होनी चाहिए, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अकेले छोटी-मोटी बातों के कर देने से यह कार्य होने वाला नहीं है। प्रयत्न हुये, कानून भी बने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी जिम्मेदारी दी गयी। जो कल-कारखानों के जहरीले उत्सर्जन से जल में रहने वाले जलीय जीवों की ही हानि नहीं होती, प्रकारान्तर से हमारे उन पशुओं और मनुष्यों पर भी प्रभाव पड़ता है जो उसका जल पीते हैं और अंतिम तौर पर उसका असर मनुष्यों पर भी पड़ता है और मानव-जीवन को प्रभावित करने का काम करते हैं। इसको स्वीकार करना होगा। ईमानदारी से उन नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुए और चाहे भ्रष्टाचार के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, चाहे शिथिलता और लापरवारी के कारण या किन्हीं भी कारणों से, किसी के प्रति लगाव के कारण बरती गयी नरमी के कारण हम उन उद्योगों का जो उत्सर्जित जल है, जो जहरीले पदार्थ डालते जा रहे हैं, चाहे लखनऊ में कोई शराब बनाने का कारखाना हो, कानपुर में चमड़े के शोधन का कारखाना हो, अलीगढ़ या अन्य जगहों में जो जल आ रहा है, सभी जगहों पर सख्ती से जो कार्रवाई होनी चाहिए अगर हमने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो भयावह परिणाम होंगे। बहुत सख्ती के बावजूद एक रिवाज नहीं बन सका कि जिस रिवाज में लोग स्वयं उत्सर्जन करना बन्द कर दें या कम कर दें। डा0 बाजपेयी जी ने जो सुझाव दिया है, बहुत मूल्यवान सुझाव है, आपने समस्या का व्यापक जिक्र करते हुए दूसरी तरफ भी यह कहा कि अन्ततः इसका प्रदूषण से जो हमारा भूगर्भ जल है वह भी प्रदूषित होता है, भूगर्भ जल के प्रदूषित होने का कारण है, समुचित मात्रा में जो रिचार्ज होने के लिए जल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसलिये एक प्रदूषण से ज्यादा स्तर पर वह कंसन्ट्रेटेड फार्म में नदियों में जाता है। वाटर रीचार्जिंग के लिए कई योजनायें बनायी गयीं लेकिन कामयाब इस कारण से नहीं हो पाये कि इंडीवीजुअल चाहे जितने कानून बनाये जायं वह ठीक से लागू नहीं हो सकते। अपने भवनों में वाटर रीचार्जिंग के लिये एक स्कीम लागू की गयी लेकिन वह लागू नहीं हो पायी। इसलिये अब यह योजना बनाकर लायी गयी है कि अब सामूहिक रूप से एक कालोनी के लिये एक रीचार्जिंग सिस्टम बनाया जाय। सबके भवनों के आगे एक मुख्य नाली हो और सब भवनों की नालियां उसमें जुड़कर एक जगह पहुंचें और एक स्थान बनाया जाय उस इलाके में जहां पर एक बड़ा क्षेत्रफल तैयार हो वाटर रीचार्जिंग के लिये। इस तरह से वाटर रीचार्जिंग का काम हो सकता है क्योंकि अपनी नाली को मुख्य नाली से जोड़ने के लिये शायद भवन स्वामी सक्षम हो सकेगा लेकिन इंडिवीजुअल रूप से प्रत्येक बिल्डिंग में भवन स्वामी वाटर रीचार्जिंग की व्यवस्था करने में कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल स्टेटस हैं और दूसरे इलाकों में जो उद्योग लगे हैं जो पूरे मायने में उद्योग परिभाषित नहीं हैं, ऐसे उद्योगों में जो जल उत्सर्जित होता है और जो नालों के माध्यम से नदियों में जाकर नदियों को प्रदूषित करता है वहां पर कोई प्लांट स्थापित किया जाय और जल का ट्रीटमेंट करके साफ जल नदियों में छोड़ा जाय और जो सालिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल किया जाय ताकि जहरीला जल नदियों में न जाय।

मान्यवर, यह कम चिन्ता की बात नहीं है कि गंगोत्री के अलावा गंगा नदी में आगे पानी स्नान करने के योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में नदियां हिमालय से आती हैं या नेपाल से आती हैं। इन दोनों जगहों से आने वाली नदियों का जल इस क्वालिटी का नहीं है कि उसका आचमन करके पान कर सकें। मान्यवर, पिछली बार जब हम विपक्ष में थे तो हरिद्वार में कुम्भ मेले पर जल के सम्बन्ध में बात उठायी गयी थी। इसी तरह से इलाहाबाद में पिछले कुम्भ में यह समस्या आयी थी कि नदी का जल स्नान करने लायक नहीं है। हरिद्वार आज हमसे राजनीजिक कारणों से अलग हो गया है। हरिद्वार का जल स्नान करने योग्य न रह जाय यह कल्पना करने से भय लगता है कि आप वहां स्नान नहीं कर सकते हैं। इसलिये जिन बातों की गम्भीरता का उल्लेख आपने किया है उनको हम बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं। माननीय पाल साहब बहुत बुद्धिमान हैं मैं उनसे, जिस दिन मैं विधान सभा में आया हूं उसी दिन से सीखता हूं। विधान सभा के बाहर बहुत सी चीजें सीखता हूं उनकी सब बातें सीखने योग्य नहीं हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने कुछ देर पहले कहा था कि माननीय सुरेश खन्ना से बाहर मैं डरता हूं सदन में आपसे सुरक्षित हूं। मंत्री जी अब पाल जी के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि उनसे एक-दो बातों को छोड़कर बाकी चीजें बाहर सीखता हूं। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह सुरेश खन्ना से बाहर क्यों डरते हैं और क्यों वह बताने से हिचक रहे हैं। इस तरह से माननीय जगदम्बिका पाल जी की कौन सी एक-दो बातें ऐसी हैं जिनका अनुरक्षण वह नहीं कर रहे हैं। आज मंत्री जी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहे हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अभी भी छोटी लाइन पर चल रहे हैं मैं बड़ी लाइन पर चल रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

पाल साहब बड़े भाई हैं उनकी बात का उत्तर देना उचित नहीं है। लेकिन यह छोटी लाइन और बड़ी लाइन का चक्कर नहीं है। खन्ना साहब के बारे में कहना है कि एक तरफ जानकारी मुझे मिलती है दूसरी तरफ जानकारी उनको देता हूं इसको वह समझ गए होंगे। कुछ योग ऐसे होते हैं जो केवल सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं। कुछ बातें मेरे स्तर की नहीं हैं। जहां तक नर्म योजना में राज्य सरकार के योगदान की बात है तो 50 प्रतिशत मात्रा केन्द्र सरकार देती है और 50 प्रतिशत मात्रा राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार में हमारी लोकल बार्डीज है। सरकार और लोकल बाडीज मिलकर यह 50 प्रतिशत कन्ट्रीब्यूट करते हैं। लोकल बाडीज को धनराशि ऋण के रूप में सरकार भुगतान करेगी या बैंक गारण्टी सरकार लेगी। ऐसी कोई योजना नहीं है जो केन्द्र सरकार चला रही हो और उसमें हमारा कोई योगदान न हो। नर्म योजना में उत्तर प्रदेश में सात नगरों का चयन हुआ है। इन सातों शहरों का आपने उल्लेख किया है इनका प्रस्ताव किसने किया यह आपने कहा यह हमने प्रस्ताव किया है। सातों शहर इसमें चयनित है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने यह नहीं कहा कि सातों शहरों का चयन कर लिया है। मैंने कहा है कि नर्म योजना में सात शहरों का चयन किया है। भारत सरकार इसमें धनराशि उपलब्ध करेगी उस धनराशि से प्राथमिकता पर इन महानगरों के साथ बहने वाले प्रदूषित पानी के प्रदूषण को दूर करने के लिये सीबेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने जो उल्लेख किया है उसमें यह सातों शहर हैं। इसमें अनेकों चीजें हैं पेयजल की आपूर्ति है, सफाई की व्यवस्था है, मलिन बस्तियों में सफाई की व्यवस्था है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रविधान है इस योजना के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम लिए जाएंगे। यह योजना के अंग हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन शहरों में लगाए जाएंगे। सरकार इस पर गम्भीरता से सोच ही नहीं रही है बल्कि सरकार की सोच यह है कि अन्य नगरों में हम छोटे-छोटे ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे ट्रीटमेंट प्लांट से हुए साफ पानी से आस-पास कृषि योग्य भूमि की सिंचाई भी हो सके। इससे किसानों का भला होगा और नदियों का प्रदूषण भी कम होगा। जहां तक मथुरा की बात है। मथुरा में 80 और 20 का अनुपात है। बाकी जगहों पर 50-50 का अनुपात है।

श्री जगदम्बिका पाल-

आपने 7 शहरों का उल्लेख किया है जिनको इसमें शामिल किया है। लेकिन क्या भविष्य में पहले चरण में उत्तर प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों को इससे आच्छादित करेंगे। केवल अपने वक्तव्य से अगर आप सहमत हैं और आपने जिस तरीके से इसके महत्व को इंगित किया है तो मैं समझता हूं कि आज राज्य सरकार को सदन में घोषणा करने में क्या कठिनाई आ रही है। आज प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों को इसमें शामिल किये जाने की आवश्यकता है। आपकी प्राथमिकता फैजाबाद की नहीं हो सकती है, आपकी प्राथमिकता गोरखपुर की नहीं हो सकती है लेकिन प्रदेश की जनता की प्राथमिकता अयोध्या फैजाबाद की हो सकती है। जहां पूरे प्रदेश से प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां कितनी गन्दगी निकलती होगी, कितना कचरा निकलता होगा। इसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ? सात शहरों को तो केन्द्र सरकार ने शामिल किया है राज्य सरकार कौन से शहरों को शामिल कर रही है। आप कहेंगे कि 50 प्रतिशत धन हम दे रहे हैं तो राज्य सरकार का भी दायित्व है। आज मण्डल मुख्यालयों के सम्बन्ध में आपने भी नहीं कहा है कि हम प्रस्ताव करेंगे केन्द्र सरकार से कि जितने मण्डल मुख्यालय हैं उनको भी इस फण्ड से डेवलेप करें। आप केन्द्र से नहीं करा सकते तो फिर अपने स्टेट योजना से डेवलेप करें। अन्यथा हमारा यह कहना कि हर शहर में ट्रीटमेंट प्लान लगायेंगे यह सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन आज इस संकल्प के बारे में आपकी सरकार की मंशा क्या है, अन्य शहरों के लिये यह पता चलना चाहिए। यही चिन्ता संकल्प के माध्यम से व्यक्त की गई है। 7 जिलों के उत्सर्जित जल के ट्रीटमेंट के बारे में आज जो फण्ड शहर में

आयेगा उसकी प्राथमिकता इस बारे में होगी। लेकिन इसके साथ ही चिन्ता इस बात की भी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वांचल के जितने मण्डल मुख्यालय हैं आजमगढ़ हो, देवी पाटन हो, गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती जो इसमें आच्छादित नहीं हुए हैं, को लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

पाल साहब ने जो बात कही है अभी उन्होंने मण्डल मुख्यालयों की बात तत्काल जोड़ ली उसका भी स्वागत है। हम मण्डल मुख्यालयों के अलावा नदियों को नगरीय कचरे के कारण दूषित करने वाले उन शहरों की बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आप नीति और सिद्धान्त के रूप में आपको तो सरकार में रहने का अनुभव है। आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं इसलिये सर्वाधिक अनुभव है। आप अनुभव के आधार पर देख सकते हैं कि क्या किसी योजना को इतने व्यापक स्तर पर एकाएक लागू कर दिया जाना सम्भव है। किसी योजना को एकाएक व्यापक स्तर पर लागू कर दिया जाना सम्भव नहीं है। जहां एक तरफ गति ला रहे हैं सरकार ने उस कठिनाई को किस तरह से व्यवस्थित किया है। जिन नगर पालिकाओं में छोटी नगर पंचायतों में अपनी तनख्वाह के लिये लाले पड़े रहते थे। 1 साल के अन्दर 6 महीने 8 महीने आन्दोलन चलता रहता था।

(श्री जगदम्बिका पाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मुझे सुन तो लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल साहब मंत्री जी का उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

पाल साहब मैं आपका आदर करता हूं। मुझे कहने दें। जहां यह स्थिति रहती थी कि एक साल में 8-6 महीने नगर पालिकाओं में कूड़ा सफाई इस कारण नहीं होती थी कि कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह के लिये आन्दोलन करना पड़ता था, मैं कोई राजनैतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता मैंने अभी तक एक शब्द न की है न मैं करना चाहता हूं। यह गंगा को पवित्र करने का सवाल है गोमती के जल को आचमन योग्य बनाने का सवाल है, नगरों में रहने वाले लोगों और सकारात्मक सोच से देश और प्रदेश के नागरिक जीवन को खुशहाल बनाने का सवाल है। इसमें कोई राजनैतिक टिप्पणी नहीं की जा सकती है लेकिन जहां यह कठिनाइयां थीं उनमें एक साथ इन योजनाओं को पूरे प्रदेश में एक साथ लागू कर दिया जाय और अन्य जगहों को इसमें शामिल कर दिया जाय सम्भव नहीं है। अभी तो आवश्यकता इस बात की है कि सचमुच में इस तथ्य को स्वीकार किया जाय और इस तथ्य को गम्भीरता से स्वीकार करके ऐसी योजना बनाई जाय कि हम इसको ऐसी गति दे सकें जिस गति में 7 शहरों में। 7 शहरों में ही क्यों ? 7 शहरों में इसलिये नहीं कि यह सात शहर महत्वपूर्ण हैं बल्कि इसलिये कि सर्वाधिक गन्दगी इन्हीं शहरों से जाती है नदियों को प्रदूषित करने में।

आप आंकड़े देख लें चूंकि इनको प्रदूषित करने का काम सर्वाधिक इन्हीं स्थान पर होता है। आबादी के कारण यह होता है या अन्य कारणों से। इसलिए इन सात शहरों में इस योजना को लागू करने के अलावा अगर भारत सरकार कोई योजना नहीं चलाती है तो हमें विचार करना पड़ेगा। राज्य सरकार अपने संसाधन से कौन सी योजनायें चला सकती है। जिन योजनाओं के माध्यम से यह हो, जिम्मेदारी हमारी है। हम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अकेले उन पर नहीं छोड़ सकते हैं। आपका सुझाव मूल्यवान है। महत्वपूर्ण है। इस सुझाव पर आगे भी चलना चाहिए। अगर यह शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित योजना होती तो शायद इस स्थिति में होते। जो 50 प्रतिशत राशि इसके लिए लगा रहे हैं वह 50 प्रतिशत राशि हम दूसरे शहरों में लगा सकते थे, जहां इस काम को कर सकते। मैं आपसे मदद चाहूंगा माननीय पाल साहब से इस मामले में सहायता चाहूंगा कि केन्द्र सरकार जो 50 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार से लगाने की उम्मीद कर रही है । इसको शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार से पूर्वाधानिक योजना बनवा दे। शत-प्रतिशत राशि मिलेगी तो जो राशि राज्य सरकार की जानी है निश्चित रूप से वह बचेगी। वह और शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट दूसरी योजनाओं में लगाने में राज्य सरकार खर्च करेगी। केन्द्र सरकार को न सिर्फ नगरीय विकास में बल्कि अनेक इनसे जुड़े मामले में, आपने बाढ़ का जिक्र किया सिद्धार्थनगर का, मुझे अच्छा लगा। मैं बाढ़ से पीड़ित प्रभावित जिले गांव का रहने वाला हूं और बाढ़ से पीड़ित प्रदेश को राहत मंत्री हूं। इसलिए बाढ़ की पीड़ा मुझे मालूम है। लेकिन बाढ़ की पीड़ा यह है कि बाढ़ से नुकसान होता है छः हजार करोड़ से ज्यादा। केन्द्र की टीम आती है, रिपोर्ट देती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने मेमोरेण्डम में जितने का नुकसान दिखाया है, नुकसान इससे ज्यादा है हम कहते है। 6 हजार 200 करोड़, उनका आंकलन है 6 हजार 700 या 800 करोड़। हमें रुपया मिलता है 20 करोड़, 40 करोड़। 6 हजार करोड़ का नुकसान हो गया और बीस करोड़ रुपया देते हैं। इतनी बड़ी गाली नहीं हो सकती है। हम झेलते हैं उन चीजों को, राजनीतिकरण से नहीं कह रहा हूं। प्रदेश का सवाल है इस पर हमें आपको बैठकर सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से ऐसा नहीं करेगी या ऐसा नहीं किया। मैंने कहा अन्य चीजों को पटरी पर लाने के लिए इस काम में लगे हुए हैं। गोमती एक्शन प्लान आज की शुरू योजना नहीं है। हम क्या अपने नलों को चिन्हित करके एक मुहाने पर नहीं डाल सकते हैं। अब लखनऊ के सरकटे नाले की क्या स्थिति है। एक नाले के किनारे बसने वाले लोगों की दशा चिन्तनीय होती है लेकिन जहां सबकी गन्दगी जिस नाले से बहकर जाती है उस नाले के लिए दिशा तक भी इन्फैक्शन प्लान में, जो बहुत शुरूवात में दी जानी चाहिए वह नहीं दी गई। कौन गवर्नमेंट में बैठा है। कौन गर्वन्मेंट में नहीं बैठा है। हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं लेकिन सचमुच में गोमती एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, हम सब के लिए शर्म की बात है कि विश्व बैंक चिन्ता करे हम विश्व बैंक के यहां अपनी योजना तब लेकर जाएं जब वह हमको इसके लिए आदेशित करे । अब गंगा की सफाई के लिए योजना लेकर कोई नहीं आता है। ऐसा नहीं इसकी हमने शुरूआत की। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है उन योजनाओं की शुरूआत हमने अपनी तरफ से करने का प्रयास नहीं किया। हमने योजनाओं की शुरूआत दूसरों के हुकुम और आदेश पर की। इसलिए श्रीमन जहां इसकी आवश्यकता है सारे एक्शन प्लान पूरी तरह इम्पलीमेंट हो इसको इस लायक बना सकें कि पेयजल भूगर्भ स्तर ठीक कर सकें।

भूगर्भ जल का स्तर, क्वालिटी ठीक कर सकें। कुल मिलाकर मानव जीवन के योग्य परिस्थितियों का निर्माण नगरीय अवस्थापनाओं में जो जल की भूमिका का जो स्थान है। जो नदियों का स्थान है उसको अपने स्थान पर स्थापित कर सकें इसका प्रबन्ध करना है। सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि कूड़ा उत्सर्जन के लिए कूड़े पर चलने वाले संयंत्र चलते हैं या नहीं किन कारणों से चलते हैं किन कारणों से बैठ जाते हैं। किन कारणों से ऐसी योजना बनाते हैं जहां उन योजना में सीवेज प्लान्ट की ओर ले जाने के लिए आधी योजना पर काम शुरू कर देते हैं जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनेगा, उस जगह का चिन्हीकरण भी नहीं हो पाता। मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, सचमुच जितनी गम्भीर यह समस्या है, उतनी गम्भीरता से कदाचित् इसके निवारण के प्रयास नहीं हुए, उसको करने की आवश्यकता है। पाल साहब ने चुनाव और प्रशासक की भी बात कह दी, इस संकल्प से उसका कोई रिश्ता नहीं है। मुझे एक बात कहना है अभी कल ही आपने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सुना और पुनः उसको स्पीकर महोदय ने पढ़ा, आपने उसको भी सुना और दोनों में ही इस बात का उल्लेख किया गया है, आप पढ़ते भी हैं, उसमें उल्लेख किया गया है कि यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी नगर पालिकाओं के चुनाव कराये जायेंगे। इसलिए जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख आ गया तो अनावश्यक रूप से अपने मन में संदेह पालने का कोई कारण नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। न्यायालय किस मामले में स्टे लगा देता है या परिसीमन की जो रिपोर्ट जाती है, उस पर आयोग क्या रोक लगा सकता है, आज इस विषय पर यहां चर्चा नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मंत्री जी यहां पर चुनाव की घोषणा कर दें, मैंने चुनाव की बात इस संकल्प के रूप में कहीं है। मंत्री जी ने कहा कि पाल जी के मन में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में इस बात का जिक्र कर दिया है, ठीक है कि सरकार यथाशीघ्र चुनाव करा देगी, लेकिन उसकी कोई समय-सीमा तो हो, यह चिन्ता का विषय है। आपने एफीडेविट दिया है और न्यायालय में कहा है कि 21 मई तक चुनाव करा देंगे लेकिन अभी तक कोई प्रयास ही शुरू नहीं हुआ है। आप यथाशीघ्र को पारिभाषित कर दें। जहां तक मंत्री जी ने कहा है कि हम कोई राजनीतिक बात नहीं कहेंगे लेकिन बड़ी सफाई से राजनीतिक बात कह रहे हैं कि किस प्रकार से स्थानीय निकायों को वेतन दिया। मानयवर, जिस प्रकार से बदले की भावना से नगर पालिकाओं को बर्खास्त किया गया।

श्री अधिष्ठाता-

जो संकल्प यहां रखा गया है, उससे चुनाव का कोई संबंध ही नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

चूंकि इनका नगर पालिकाओं से संबंध है और यदि नगर पालिकाओं से न हो तब भी नगर पालिका से तो है ही। इसलिए इनकी चिन्ता स्वाभाविक है और उस चिन्ता को इस संकल्प से जोड़ रहे हैं। यहां राजनीति की कोई बात ही नहीं हो रही है, फिर भी महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो बात कही है, वह राज्यपाल महोदय का कोई व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं है, जिसका उल्लेख हुआ है, कोई उनके व्यक्तिगत विचार नहीं हैं, वह हमारी सरकार की नीति है और नीतियों का दस्तावेज है, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण। इसलिए पूरी तरह से सोच-विचार कर अपनी नीतियों

के संबंध में जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, जिसका उल्लेख किया गया है, वह सरकार कर रही है और जो भविष्य के लिए उल्लेख किया है, वह सरकार करेगी। आज लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के संकल्प पर अपनी उपलब्धियों का बखान करूं। या अन्य विभागों की उपलब्धियों का उल्लेख इस संकल्प पर करना शुरू करूं, चूंकि आपने विषय रखा है कि चुनाव कराये जायेंगे या नहीं कराये जायेंगे, इसलिए मैंने कहा कि कल ही महामहिम राज्यपाल जी ने इसका उल्लेख कर दिया है इसलिए दोबारा इस प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं है और जो मामला न्यायालय में लम्बित है, उस पर टिप्पणी करना मेरी मर्यादा में भी नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

मानयवर, जो बात न्यायालय में है उस पर हमें कौन सा पक्ष रखना है उसकी घोषणा मैं यहां नही कर सकता। अगर पाल साहब चाहते हैं कि नगर पालिका के चुनाव टल जायें तो मुझे लगता है कि उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का अपना महत्व है। जब चुनाव होने हैं तो उस समय चुनाव होंगे। को-आपरेटिव का चुनाव हुआ जहां पर बहुत दिनों से प्रशासक से काम चल रहा था। वहां पर चुनाव कराये गये, पंचायतों के चुनाव कराये गये और इन चुनावों की देश के अन्य भागों में भी चर्चा हुयी।

श्री जगदम्बिका पाल-

चुनावों में गड़बड़ियां भी हुयीं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल साहब संकल्प का संदर्भ करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय पाल साहब का नगर पालिका से संबंध है। मैं कहना चाहता हूं कि उनका नगर पालिका से नहीं बल्कि नगर पालिका के चेयरमैन से संबंध है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मेरा नगर पालिका के चेयरमैन और नगर पालिका दोनों से संबंध है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल साहब नगर पालिका अलग विषय है और संकल्प का अलग विषय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय पाल साहब जिस नगर पालिका के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं उनसे आपका संबंध है। जिनसे आपका संबंध है उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस संकल्प पर चर्चा में जितनी भी बातें आयी हैं और हम इसको पूरा महत्व देते हैं और इसको स्वीकार करते हुए मैंने सरकार की भूमिका की इस पर जानकारी भी दी है। मैं समझता हूं कि इस संकल्प को पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

बाजपेयी जी आप अपना संकल्प वापस लेंगे ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नहीं मान्यवर । मान्यवर, अगर इस संकल्प को सदन मे पारित कराना होता तो मैं लिखता कि यह सदन का निश्चित मत है। मैं केवल इस संकल्प के माध्यम से केन्द्र सरकार से सिफारिश कराना चाहता हूं। इस नाते मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम वह इस बात पर स्पष्ट कर दें कि इन 7 प्रमुख महानगरों जो भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित महानगरीय योजना के भाग हैं और प्रदेश की नगरीय जलीय प्रदूषण का अधिकतम प्रतिशत भी हैं तो कम से कम इन महानगरों के साथ लगने वाली नदियों जिनमें कुछ नदियां हमारी आस्था का प्रतीक भी हैं उन्हें नगरीय सीवेज द्वारा उत्सर्जित जल से 80 प्रतिशत तक होने वाले प्रदूषण के लिए इस योजना में प्राथमिकता देंगे। यहां मैं कहना चाहता हूं कि हम केन्द्र सरकार को केवल सिफारिश ही कर रहे हैं। यह बता दें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, केन्द्र सरकार से सिफारिश का जहां तक प्रश्न है इन 7 शहरों के चयन की स्थिति है। इसके लिए हम तैयार हैं। आप फन्ड्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। फन्ड्स की लिमिट यह केन्द्रीय सरकार ने नहीं लगायी। जितनी योजनाएं प्रस्तावित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे उन योजनाओं के सापेक्ष पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से मिलता है और पचास प्रतिशत अपने संसाधनों से जिसमें राज्य सरकार का और स्थानीय निकायों के जो कारपोरेशन इसमें हैं, उनके अपने फंड्स से तीस प्रतिशत और बीस प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से, और उस तीस प्रतिशत में भी श्रीमन्, उसका प्रबन्ध बैंक गारन्टी स्टेट गवर्नमेंट देगी, ऋण हम उपलब्ध करायेंगे राज्य सरकार की ओर से। उन योजनाओं का प्रारूप वस्तुतः राज्य सरकार को बनाना है। इसमें सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। उसमें फंड्स की अगर रोक होती कि हम इतने ही करेंगे तो हम केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करते। पाल साहब ने उल्लेख किया कि केन्द्र सरकार से, अगर सचमुच आप उत्तर प्रदेश के लिए गम्भीर हैं तो केन्द्रीय सरकार से कहिये कि पचास प्रतिशत राज्य सरकार से मांगने के बजाय जिन सात शहरों का चयन हुआ है, राज्य सरकार तैयार है अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन के लिए, पूरी राशि अगर केन्द्र दे देते तो राज्य सरकार को जो राशि इन सात शहरों में लगानी है उनको हम किसी नगरीय अवस्थापना में दूसरी जगह लगा देते। सिर्फ दो तीन नदियों को इन अशुद्धि से बचाने का काम नहीं करते बल्कि उस कूड़ा उत्सर्जन या पर्यावरण के लिए जो गम्भीर खतरे हैं, उन खतरों से बचाने के लिए उस राशि का सम्यक उपयोग करते और जैसा आपने उल्लेख किया कि फैजाबाद और गोरखपुर या दूसरे शहर, नदियों के किनारे जो शहर हैं, में योजनाओं को क्रियान्वित कर पाते, इसलिए यदि केन्द्र सरकार से आप कर सकते हैं तो करिये और पुनः डा0 बाजपेई जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बात का उल्लेख किया है कि वह केन्द्र सरकार से सिफारिश करें। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, कोई भी योजना, जो केन्द्र सरकार देती है तो मैचिंग ग्रान्ट राज्य सरकार को लगानी होती है, यह एक शास्वत अर्थशास्त्र का नियम है तभी फन्डिंग केन्द्र सरकार करती है। मान्यवर, यह बात हम अनुरोध कर सकते हैं कि पचास-पचास प्रतिशत है उसको मुख्य मंत्री जी पत्र लिख करके अस्सी बीस कर लें।

श्री अधिष्ठाता-

पाल साहब, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया है और इस पर विस्तृत चर्चा भी हो गयी है अब आप समाप्त करें। मान्यवर, आज जो सात शहर लिये गये हैं मंडल मुख्यालय को उसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव करा दें। यह प्रस्ताव राज्य सरकार कर दे जैसे केन्द्र से प्रस्ताव करने की बात है। आज जो सात शहर लिये गये है तो हम यह चाहते हैं कि मंडल मुख्यालय को भी इसमें शामिल करने की बात करते।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सदन के रिकार्ड में यह बात रही है। पाल साहब जैसे वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों का यह कहना है कि सारी योजनाओं में मैचिंग ग्रान्ट देनी होती है, तो अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो शत-प्रतिशत केन्द्र से पोषित होती हैं और हमारे आपके यहां विकास की और कल्याण की दोनों तरह की योजनाएं होती हैं वो शतप्रतिशत केन्द्र से पोषित होती हैं। मेरा यह कहना है कि अगर आप यह कर सकें तो इस प्रदेश के लिए योगदान होगा। इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए। बजाए इसमें टिप्पणी करने की आप अपना मैचिंग ग्रान्ट क्यों नहीं रखेंगे यह दूसरी बात होगी। आप नब्बे दस करा दीजिये, पचानबे पांच करा दीजिए, मैचिंग देने को तैयार हैं पचास प्रतिशत भी देने में हम पीछे नहीं हैं हमने इसको स्वीकार किया है। चूंकि पूरे देश में मात्र 63 नगरों को भारत सरकार ने इसका अंग माना है और 63 में से उत्तर प्रदेश के सात नगरों को लेने की बात कही है इसलिए न हम अपने प्रयास से पीछे हैं, न उद्यम से पीछे हैं, न अपने अंश से पीछे हैं। जो दूसरी बात आपने कही है सिद्धान्त रूप में बाकी शहरों के जल को भी, नदियों में बहने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए योजना चलायी जानी है यह भी बात है और योजनाएं हमारी प्रचलन में हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी आप अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

(इस समय 3 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं एक ही शर्त पर अपना संकल्प वापस ले सकता हूं जब इन सात नगरों में शतप्रतिशत यह ट्रीटमेण्ट प्लान्ट लगाने पर सरकार प्राथमिकता पर विचार करेगी। यानी इन सात नगरों में इस योजना के अन्तर्गत जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों का शतप्रतिशत ट्रीटमेण्ट प्लान्ट सरकार स्थापित करने पर विचार करेगी।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी भी जानते हैं जो आपने सवाल उठाया है, इसके लिए हम संकल्पित हैं, पूरी तरह से और हम अपने जितने संसाधन हैं, उनसे जितने भी इस तरह के कार्य करने होते हैं, उनके बारे में हम जितना भी सम्भव हो सकता है, करते हैं। माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो बात कही है.... ऐसा नहीं है कि केन्द्रीय सरकार कई प्रदेशों की

आवश्यकता के अनुसार विशेष पैकेज दे देती है, इसमें कहीं कोई रोक-टोक नहीं होती है--अगर केन्द्र सरकार चाहे तो। उत्तर प्रदेश ने अपने संसाधनों से बहुत कुछ कर डाला है, विकास दर बढ़ाई, और योजना आयोग ने तारीफ की है, सराहना की है, बहुत कुछ किया है। हमने सात गुना विकास दर बढ़ाई है। हम बार-बार अनुरोध करेंगें, माननीय प्रधान मंत्री से करेंगें, वित्त मंत्री से करेंगे। यह बहुत अच्छी चिन्ता है, आपकी है, पूरे सदन की है कि पूरी नदियों को साफ-सुथरा किया जाय। आप सब लोग स्वयं यह जानते हैं कि जब हम छात्र जीवन में थे तो सबसे पहले 'गंगा साफ करो,' माननीय डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी ने यह सवाल उठाया था हिन्दुस्तान में घूम-घूम करके, लेकिन उस समय के राजनीतिज्ञों ने शायद उसे गम्भीरता से नहीं लिया होगा। आज बहुत संकट है यह पानी नहीं गंगा का, जहर है। गंगा जैसा पवित्र जल जहर हो गया है इसमें हम सब लोगों को मिलकर राजनीतिक उद्देश्य से ऊपर उठकर कार्य करना होगा क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन रखती हैं। हां, सरकार संसाधन हैं जैसे हमारा मेडिकल प्राविधान है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी योगदान कर सकें, लेकिन केन्द्र सरकार को इसमें बहुत मदद देनी पड़ेगी और इसके लिए विशेष पैकेज देने में कहीं कोई दिक्कत भी, माननीय जगदम्बिका पाल जी, नही हैं। हम किसी और विकास के कार्य के लिए विशेष पैकेज की मांग केन्द्र सरकार से नहीं कर रहे हैं। हमें सड़क, पोल या शिक्षा किसी के लिए विशेष पैकेज नहीं चाहिए। अगर इसी में विशेष पैकेज दे दें तो भी हमारे हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा कल्याण हो जायेगा। बड़ी पवित्र आस्था हमारी इन नदियों के साथ में है, पूरे धार्मिक सन्त, ऋषि-मुनि सब इन्हीं नदियों के किनारे बैठ कर के तपस्या किये हैं। मान्यवर, यहां तक कि मौत होने के बाद जो राख बचती है वह भी इन नदियों में बहा दी जाती है कि शायद उसमें बहा देने से आत्मा को मुक्ति मिल जायेगी। इतनी गहरी आस्था है हमारे पूरे हिन्दुस्तान की जनता की। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम यही कोशिश करेंगे, माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र भी लिखेंगे और माननीय वित्त मंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे। पहले इस विषय के लिए नहीं लिखा था, अन्य विषय के लिए तो हमने लिखा था। बेरोजगारी भत्ता के लिए लिखा था मैंने लेकिन वहां से कहा गया था कि हमारी सरकार की नीति नहीं है लेकिन हमने अपने संसाधनों से जुटाया। इसलिए हमारी तरफ से कहीं भी चिन्ता कम नहीं है। जितनी आपकी है, उतनी ही हमारी है और पूरे सदन की है। जो नदियों में गन्दगी है, उसको शुद्ध करने के सवाल पर सब एक मत हैं और सब उससे सहमत हैं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि माननीय बाजपेयी जी अपना संकल्प वापस ले लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब से पूरे सदन को आश्वस्त किया है कि इस कार्य की पूर्ति के लिए वह भारत सरकार से विशेष प्रयास करेंगे और पत्र लिखने की बात कही है तो मैं उनकी इस भावना का आदर करते हुए और इस विषय की महत्ता को देखते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, लेकिन संकल्प तो सदन की सहमति से वापस होता है। इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह भारत सरकार की एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मथुरा तथा मेरठ नगरों के सीवेज उत्सर्जन की शत-प्रतिशत शुद्धि हेतु प्राथमिकता के आधार पर उन नगरों में ट्रीटमेण्ट प्लान्ट स्थापित करें जिससे नदियों का जल पीने तथा सिंचाई के लिए उपयोगी हो सके विषयक संकल्प को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, चार बजे अपराह्न के लिए मद संख्या-11 नियत थी।

मद संख्या-12 एवं 13 के पहले लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मैं मद संख्या-12-13 पहले लिये ले रहा हूं, बाद में मद संख्या-11 को ले लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, मेरा यही अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

तो आप प्रस्ताव कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि मद संख्या-12 और मद संख्या-13 को पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

श्रीमन्, जब आप सहमत हैं तो सब सहमत हैं।

(सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 मई, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जो जनपद देवरिया अन्तर्गत दुग्धेश्वर नाथ मंदिर और पोखरा पर भू-माफियाओं द्वारा न्यायालय के निर्णय के बाद भी कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री राम नरेश यादव की जो जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटान के कारण गांवों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की जो प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह की 1984 के दंगा पीड़ितों को पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा पैकेज अभी तक न दिये जाने के सम्बन्ध में है,

वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास की जनपद झांसी के गरौठा में जल स्तर के नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री मुन्शी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक से न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जनपद लखीमपुर में पलिया स्थित बजाज शुगर मिल द्वारा गन्दा पानी खुले नाले में छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर के दुद्धी तहसील में बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री रिजवान अहमद खां की जनपद मुरादाबाद के महमूदपुर माफी की नई बस्ती ईदगाह मोहल्ले में स्थित कच्चे नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ स्थित नौचन्दी मेला को सुचारु रूप से चलाने हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
2-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
3-श्री विद्या सागर गुप्ता
4-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
5-श्रीमती राजरानी रावत
6-श्री राम इकबाल सिंह
7-श्री मदन गोपाल वर्मा
8-श्री अरूण वीर सिंह
9-डा0 पूर्णमासी देहाती
10-श्री जियाउद्दीन रिजवी
11-श्री राम करन आर्य
12-श्री विश्राम सिंह यादव
13-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय
14-श्रीमती विद्या चौधरी
15-श्री बीजू पटनायक
16-श्री रामहेत भारती
17-श्री प्रागीलाल अहिरवार
18-श्री मदन चौहान
19-श्री रणवीर राणा
20-श्री रंगनाथ मिश्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21-श्री घूरा राम

22-श्री कौशल किशोर

23-श्री सुखदेव राजभर

24-श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा

जनपद एटा स्थित बी0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लाखों लीटर मिट्टी के तेल की काला बाजारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)-

मान्यवर, मैं वक्तव्य पढ़ दे रहा हूं।

जनपद एटा स्थित मेसर्स बी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लाखों लीटर मिट्टी के तेल की काला बाजारी किये जाने के सम्बन्ध में। मा0 सदस्य द्वारा सदन का ध्यानाकर्षण कर उक्त कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण की जांच एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके करायी गयी। जांच से यह तथ्य विदित हुआ कि मे0 बी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी का विगत 03 वर्ष से मासिक मिट्टी तेल का आवंटन 358.00 किलो लीटर निर्धारित है और इनसे नगर एटा, नगर साकिट, ब्लाक शीतल पुर की उचित दर की दुकानें सम्बद्ध थीं। एटा नगर में ही कार्यरत एक और फर्म मे0 राज अशोक आयल कम्पनी मिट्टी तेल के थोक विक्रेता के रूप में कार्यरत थीं जिनके पार्टनर की मृत्यु हो जाने और फर्म डिजाल्व हो जाने के कारण इसका लाइसेंस निलम्बित है। फलस्वरूप माह जनवरी, 2006 से उससे आवंटित क्षेत्रों को मे0 बी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी एटा से जिलाधिकारी के आदेश के अन्तर्गत सम्बद्ध किया गया है। इस प्रकार मे0 राज अशोक आयल कम्पनी आवंटित 269.9 किलो लीटर आवंटन मे0 बी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा उठाया जा रहा है अर्थात बी0एस0 ट्रेडिंग एटा का मिट्टी तेल का आवंटन विगत तीन माह से 628.00 के0एल0 निर्धारित है। जिला पूर्ति अधिकारी, एटा द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि मिट्टी तेल वितरण के सम्बन्ध में मे0 बी0एस0 ट्रेडिंग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

जांच के दौरान जांच टीम द्वारा दों गांवों में बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं मिट्टी तेल वितरण की जांच की गयी जिसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे ज्ञात हो कि उचित दर विक्रेताओं को थोक विक्रेता मे0 बी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी से मिट्टी तेल प्राप्त करने अथवा ऊंचे दाम लिये जाने का तथ्य प्रमाणित होता हो।

विधायक निधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने उस दिन वायदा कर दिया था 7 किलोमीटर सड़क का, वह लगभग मिल गया है। (टोकाटाकी होने पर) प्रक्रिया जारी है और जो कहा है वह हो जायेगा। 10 गांव का था वह मुख्य मंत्री जी आपने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण में विधायक निधि के संदर्भ में कुछ विचार करेंगे तो दो रास्ते हो सकते थे

या लिखित रूप से हो जाता या मुख्य मंत्री जी हमेशा जब भाषण अभिभाषण अपना देते हैं तो जवाब देते वक्त कुछ न कुछ ऐसा कहते हैं तो 18 तारीख को जब हम सब जाय तो मैं केवल स्मरण दिला रहा हूं तो मेरा कोई इरादा किसी भी तरह से कुछ कहने का नहीं है। हम जानते हैं कि 18 तारीख को सदन जब उठेगा तो फिर शायद चुनाव के पहले ही एक या दो ही सिटिंग होगी तो जो आप देंगे तो उसको खर्च करने का समय भी मिलना चाहिए। ठीक चुनाव के पहले देंगे तो दिक्कत आयेगी। तो मैं सिर्फ एक आग्रह आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए चूंकि ठीक भी हो गये है तो उस खुशी में मैं समझता हूं 25-50 लाख कोई बुरी बात नहीं होगी प्रदेश के विकास के लिए। तो मैं एक बार आपके माध्यम से आपकी इच्छा से, आपने मुझसे कहा था कि ऐसा कह देना इसलिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा मत कहिये, मेरा अगर विचार जानते तो मैं पूर्णरूप से इसके विरोध में हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बाजपेयी जी, टण्डन जी गवाह हैं सब कुछ कहा नहीं जाता, कुछ आंखों से भी कहा जाता है मान्यवर, भावों से भी कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे प्रसन्नता है कि आप आंखों के भावों को सबसे अच्छी तरह से समझते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपसे आग्रह करते हुए कि जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें उस दिन हम आशा करेंगे कि हमें कोई शुभ सूचना देंगे जिससे हम जाते हुए प्रसन्नतापूर्वक जायं।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

विधायक निधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, माननीय प्रमोद जी, जब-जब सत्र रहता है तो कोई न कोई बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सबके वकील हैं, फीस नहीं पाते हैं केवल वकालत करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हम यही कहेंगे कि विधायकों को बहुत सहयोग क[illegible] कि 10-10 गांव हमने दिये थे लेकिन आपको पता है कि हमको स्वयं पत्र लिखना पड़ा औ[illegible] 28 फरवरी तक 12 विधायकों को छोड़कर बाकी विधायकों ने 10-10 गांव भी चयनित करके नहीं दिये। [illegible]ड़िये ऐसा मैं अंदाजिया नहीं कह रहा हूं। 12 जिलें हैं जिन्होंने दिये हैं। कुछ एक ने दिये होंगे तो बा[illegible]। मुझे खुद लिखना पड़ा बहुत दबाव देना पड़ा। उसी के चक्कर में अभी लगातार जिलाधिकारी को बुला भी रहे हैं कि हमारे विधायकों ने लापरवाही की है तो आप स्वयं पत्र लिख देते। तो आज हमारे गांव की तस्वीर कुछ और ही होती। हम आपकी मांग तो मानते रहे हैं लेकिन अब की संसाधन ऐसे हैं कि हम बिल्कुल ही आपके सामने जो कुछ ला रहे हैं, वह प्राविधान नहीं है। जैसे हमारी बजट स्पीच के बाद हमने घोषणा की थी कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे। तो हम संसाधन जुटा रहे हैं और बुनकरों को भी सुविधा दे रहे हैं बिजली की। कई ऐसे हैं मद, जिन पर संसाधन जुटाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम संसाधन जुटा ले गये, आपका सहयोग रहा चुनावी वर्ष है, तो सभी डरते हैं, टैक्स लगाने के लिये, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह सांसद निधि, विधायक निधि हम लोगों के लिये बड़ा मुद्दा है। जब चुनाव आयेगा तो इसका सवाल हम लोगों से पूछा जायेगा, जिन्होंने उपयोग किया होगा, उन पर कोई उंगली नहीं उठेगी लेकिन हम जानते हैं कि कितना हमला राजनीतिज्ञों पर हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। यह भी हम बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ बहुत बड़ी ताकते हैं जो मिलकर राजनीतिज्ञों पर हमला कर रही हैं अपराधियों के नाम पर, माफियाओं के नाम पर, हम राज्य सभा में रहे हैं, संसद में रहे हैं, कोई एक नाम बता दो, जो माफिया हो, 250 की है राज्य सभा। इसी तरह से लोक सभा भी है। लेकिन हम लोग मौन रहते हैं और हम लोग एक दूसरे पर हमला कर-करके जो असली है माफिया, उनको बचाते हैं। इसलिये मैं सदन में जानबूझकर के कह रहा हूं कि इतना षड़यंत्र हम लोगों के खिलाफ है, सांसद निधि, विधायक निधि ऐसा नहीं है कि सब विधायक इसका दुरुपयोग कर रहे हों। थोड़ा-बहुत कहीं कर रहे होंगे लेकिन इस सांसद निधि और विधायक निधि के चक्कर में हमारे सारे लोगों पर, काम करने वाले लोगों पर, हमला हो रहा है और ऐसे-ऐसे लोग हमला कर रहे हैं जो पता नहीं, कि जाने ईमानदारी पूरे हिन्दुस्तान में लगता है उन्हीं के पास है। वह सीधा विधायकों और सांसदों पर बिना जाने हमला कर रहे हैं आखिर जब जांच होगी तो वही फसेंगे। यह जो व्यवस्था है, उसके अनुसार तो केवल सांसद और विधायक प्रस्ताव भेजता है। खर्च तो सी0डी0ओ0 के हाथ में है, जिलाधिकारी के हाथ में है। हमला तो उन पर होना चाहिए कि आप मिल कर क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग कितने ऐसे लोग हैं, जो एक पैसे का बता दें, इसलिये हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। यह सदन में आज कह रहा हूं। यह हम लोगों पर बहुत करारा हमला है और अगर जनता का विश्वास उठ गया और हम लोग मौन रहे, कभी इस पर बहस नहीं की तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब लोकतंत्र खत्म होगा तो उसका विकल्प क्या होगा ? तानाशाही के अलावा और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। चाहे जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इससे अच्छी और कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है। इसमें बुराइयां हैं लेकिन फिर भी इससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती है। इसलिये हम लोगों को बहुत संभलकर चलना चाहिए और संभलकर इसका जवाब देना चाहिए। कुछ पत्रकार मित्र सबके हैं, हमें बताइये कि हम लोग कहां माफिया हैं और कैसे माफिया हैं ?

अब हम लोगों पर इमरजेंसी... में कितनी बार जेल गये, कभी तार काट रहे थे, कभी रेल की पट उखाड़ रहे थे, कितनी बार मीसा में बन्द रहे। जाने कितने मुकदमा हैं और समाजवादियों ने कितने आन्दोलन किये हैं, इस आधार पर भी इतने मुकदमें हैं मुलायम सिंह पर। माननीय, आप भी इमरजेंसी में बन्द रहे हैं, आपके कई साथी कार्यकर्ता रहे हैं। इतने अच्छे-अच्छे लोग रहे हैं तो 11 महीने बाद छूटे जब यह विजय लक्ष्मी पंडित ने कह दिया, यह थी तब नैतिकता। प्रमोद तिवारी को कुछ पता होगा, विजय लक्ष्मी पंडित ने कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक, जब तक कि हमारे साथियों को जेल से नहीं छोड़ा जायेगा। लेकिन आजकल हम और आप से कैसे-कैसे बदला लिया जा रहा है। हम लोग इस बात का फख्र करते हैं कि हमने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया है कहीं भी अभी तक किसी पर और जानते हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं। हम राजनीतिज्ञों पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं करेंगे क्योंकि वाजपेयी जी, आप जानते हैं कि हम एक राजनेता को यहां तक आने में कितना समय लगता है, कितने वर्ष लगे होंगे यहां तक आने में। इन सभी लोगों का जीवन इसी तरह का है। एक दिन में कोई इस जगह पर नहीं आ गया है। कितने वर्ष लग जाते हैं यहां तक आने में, तब जा करके आप लोग इस आसन पर बैठे हैं। हमें कितने दिन लग गये यहां तक आने में। कितनी छोटी उम्र में ही जेल गये थे और तब आज हम इस जगह पर बैठे हैं। किसी के सार्वजनिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है ? हम भी चाहें तो जिसके नाम चाहे एफ0आई0आर0 करा सकते हैं। यह राजनीतिज्ञ खुद करवा रहे हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। यहां से लेकर पूरे देश की राजनीति में यही हो रहा है। जो विचार कोई नहीं कर सकता है, वह हम कर सकते हैं। यह सबसे उच्च सदन है, यह सदन मामूली सदन नहीं है। एक ऐसा भी समय था, किन्हीं मायनों में जब संसद में जो बहस होती थी, उससे थोड़ा सा भले ही अन्तर हो स्तर में लेकिन अच्छी बहस यहां भी होती थी। इसलिये हम चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं, यदि जल्दी संसाधन जुटा सके तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। हम तो सत्र बुला ही रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सदन चलता रहे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। इतना मौका तो किसी को मिला नहीं है। हमने सबको सदन में बोलने का मौका दिया है, क्योंकि इससे हमें ही लाभ होता है। आप सारे माननीय सदस्य हमारी कमियों को, बुराइयों को निकालेंगे, सरकार की कमियों को उजागर करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार में कमियां हैं तो उसे सुधारना चाहिए और नहीं हैं तो अच्छी अच्छी बात है। तो इसमें भी हमें विचार करना होगा। आखिर में हमला, माफिया एक-दूसरे पर हमला करते-करते कहीं ऐसा न कर दें कि माफिया के नाम पर हम सबको बदनाम कर दें और अपने सब बच जायें। हम कहना नहीं चाहते हैं नहीं तो पता चल जायेगा सम्पत्ति के बारे में कि जो राजनीतिज्ञों पर हमला करते हैं, उनके पास कितनी-कितनी सम्पत्ति है। हम और आप जानते हैं, इसलिये गम्भीरता से हम लोगों को इस बात को लेना चाहिए। मेरे मन के अन्दर यह बात थी कि सदन में यह बात हो कि किस तरह से हम लोगों को माफियाओं में गिना जाता है, इसलिये मैंने इस बात को रख दिया। अगर हममें कमियां हैं तो उसके लिये आपको सुझाव देना चाहिए, उन कमियों को बताना चाहिए, हम उन कमियों को दूर करेंगे अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप भी इसे गम्भीरता से लें, नेताओं की बैठक बुला करके। और जो मामला है, उत्तर प्रदेश में, इसके खिलाफ हम सभी लोगों को एकजुट हो करके सदन में तभी बात करनी चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, 10 गांवों के मामले में जो गलती हो गई थी, हम लोग दस दिन के अन्दर प्रस्ताव दे देंगे, जो भी आप बढ़ायेंगे 10 दिन के अन्दर हम सब प्रस्ताव दे देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम कोशिश करेंगे कि संसाधन जुटा लें, फिर इस पर भी विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 15 मई को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 4 बजकर 10 मिनट पर सोमवार, दिनांक 15 मई, 2006 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 12 मई, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 116 विधान सभा (192)-2-8-2006-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।